खण्ड-256, अंक-7
मंगलवार, 16 चैत्र, शक संवत् 1887
(6 अप्रैल, 1965 ई0)

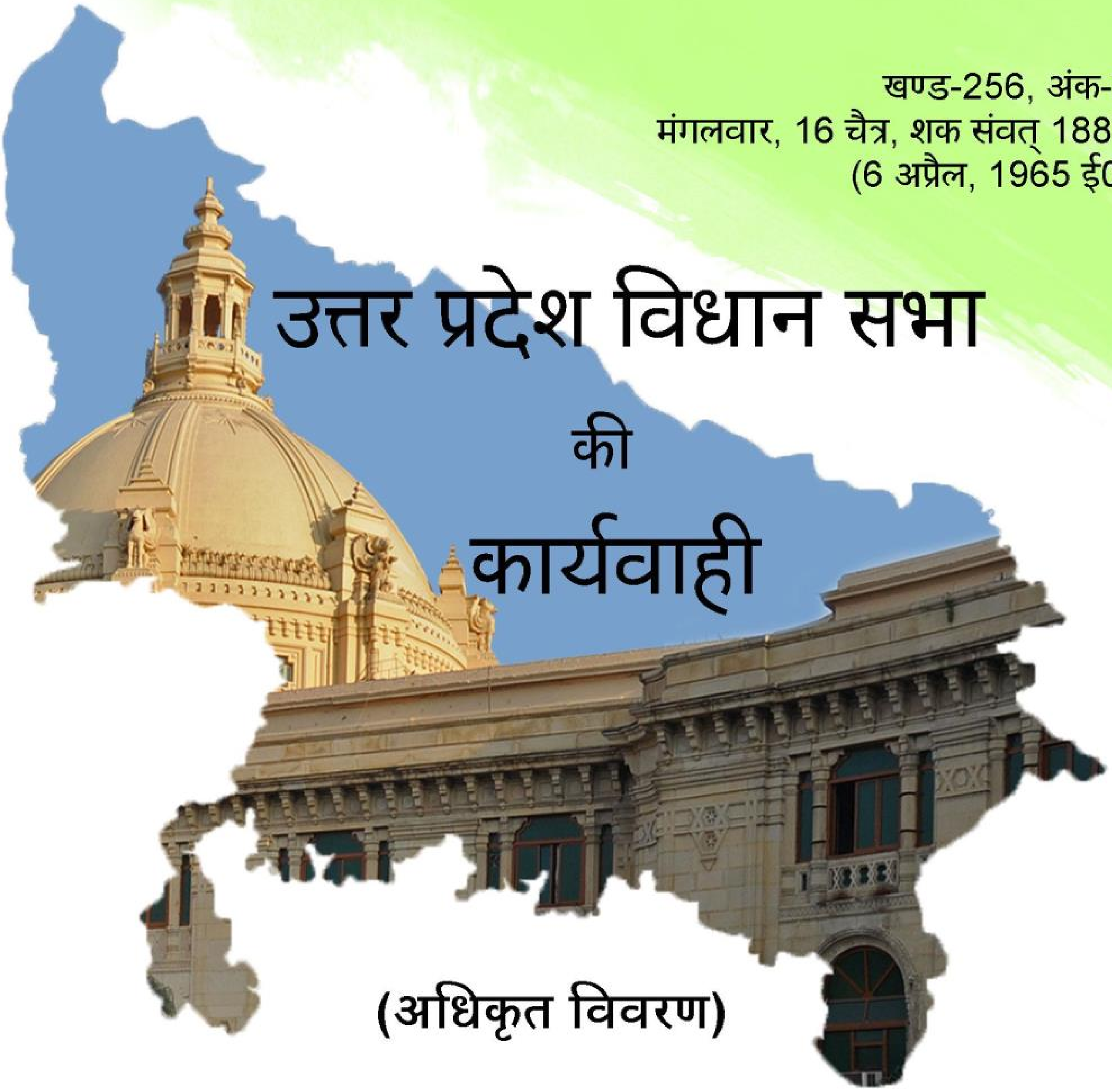

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 256 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६५

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	६६७–६७१
प्रश्नोत्तर	६७१–७०३
हरदोई जिले में भीषण वर्षा से क्षति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना	७०३
गोंडा जिले के भगवानपुर सरोवर के बैरेज की दीवार फट जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	७०३–७०६
विधान सभा सदस्य के प्रति बलरामपुर अस्पताल के डाक्टरों की उदासीनता ..	७०६–७०७
उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६५ (खण्डशः विचार जारी) ..	७०७–७६२
नत्थियां	७६३–७६८

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ६ अप्रैल, १९६५

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६९

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंघईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेश प्रसाद, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री

बयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीत सिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पातीराम अहरवार, श्री

पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टूनूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद श्री
बनारसीदास, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलबीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौती दीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री

राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विनयलक्ष्मी सुमन, श्री
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवशरनसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री

सत्यवीर कुंवर, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद, गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धूसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम सिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मन्त्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ६ अप्रैल, १९६५

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

गृह मन्त्री को पंडित कमलापति त्रिपाठी का पत्र

**१—श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कमलापति, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, कांग्रेस समिति की हत्या के प्रयत्न की सूचना उनको प्राप्त हुई है? यदि हां, तो वह क्या है?

गृह मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

जी नहीं ।

**२—श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या कमलापति जी ने इस सम्बन्ध में उन्हें कोई पत्र लिखा है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री हरगोविन्दसिंह—

श्री कमलापति जी का एक पत्र दिनांक २७-३-६५ का प्राप्त हुआ है । उसमें अंकित बातों को प्रकाश में लाना जनहित में नहीं है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या यह सही है कि जब पं० कमलापति जी का गोरखपुर जाना हुआ तो किसी विशिष्ट स्थान पर ४ व्यक्ति शस्त्रास्त्र से लैस पाये गये और जिन्होंने इस प्रकार का बयान किया कि वे इस प्रकार की हत्या के लिये बुलाये गये थे?

श्री हरगोविन्दसिंह—

यह नितान्त झूठ है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २२ दिसम्बर, १९६४ को गोरखपुर यूनिवर्सिटी के इनागुरेशन के सम्बन्ध में पं० कमलापति जी वहां गये थे ? उसके बाद वहां हास्पिटल के २२६ कमरे और कमरा नं० १ की तलाशी डी० वाई० एस० पी० द्वारा ली गई तो उसमें क्या क्या चीजें बरामद हुईं और कौन-कौन लोग संदिग्धावस्था में पाये गये ?

श्री अध्यक्ष—

यहां प्रश्न है माननीय कमलापति त्रिपाठी, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति की हत्या के प्रयत्न का । अब कहां क्या तलाशी हुई और क्या बरामद हुआ, उससे सम्बन्ध नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि दूसरे पत्र में, जो पत्र माननीय कमलापति जी ने लिखा है । उसमें क्या आरोप लगाये गये हैं, यदि आरोप लगाये गये हैं तो सरकार ने उस सम्बन्ध में क्या-क्या कार्यवाही की ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वह तो मैंने उत्तर दिया कि वह जनहित में नहीं है कि उसको प्रकाश में लाया जाय ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्रीमन्, दिक्कत यह है कि मंत्री जी कहते हैं दूसरा पत्र जो है वह जनहित में नहीं और पहली बात नितान्त झूठ कहते हैं । तो मैं जानना चाहता हूं जैसा कि माननीय नरसिंह नारायण पांडेय ने प्रश्न किया कि क्या किन्हीं कमरों में लोग पकड़े गये । इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को क्या सूचना है, वे पकड़े गये या नहीं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वह दूसरी डकैती के सम्बन्ध में तलाशी हुई थी ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि माननीय कमलापति जी ने इस प्रकार पत्र लिखा और उसके बाद सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिये कोई कार्यवाही की है ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

तारीख तो इसमें दी गई है और उसकी जांच भी करा ली गई है ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

माननीय माधव बाबू पर बस्ती में अटेम्प्ट हो चुका है और मैं खुद इसका शिकार हो चुका हूं, तो मैं जानना चाहता हूं कि जो सदस्य अपनी सुरक्षा के सम्बन्ध में माननीय गृह मन्त्री को पत्र लिखें उसमें ऐसी कौन सी गोपनीयता की बात है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो सरकार ही तय कर सकती है (व्यवधान) । मैं इतना निवेदन कर दूं कि जहां तक गोपनीयता का प्रश्न है, जनहित में क्या गोपनीय है यह सरकार ही निश्चय कर सकती है इस वास्ते कि सरकार के पास वह तथ्य होते हैं जो तथ्य हमारे पास नहीं हैं, यह निर्णय करने के लिये कि कौन सा विषय जनहित में गोपनीय है, कौन सा नहीं है । ऐसी स्थिति में हमें यह अधिकार नहीं है कि हम उनसे यह पूछें कि क्या गोपनीयता है ।

श्री रामश्रवण (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पंडित कमलापति त्रिपाठी जिस समय वहां भाषण दे रहे थे, उस समय वहां किसी प्रकार क्रैकर या बम फेंका गया था ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

हां, वहां एक पटाखा छूटा था और वह उस किस्म का था जैसा कि लड़के दीवाली पर छोड़ा करते हैं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

उस घटना के बाद जिसको कि आप कहते हैं कि दीवाली के पटाखे की तरह की कोई चीज छोड़ी गई थी, उसके बाद शामियाने की तरफ आग लगी और रफीउल्ला बेग तथा वीरेन्द्र सिंह ये दो एक्सपेल्ड स्टूडेंट्स घटनास्थल पर पकड़े गये और उनका बयान लिया गया तो अपने बयान में उन्होंने क्या कहा ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

वह पटाखा छूटा था और जांच के उपरान्त यह साबित हुआ कि वह जो इस वक्त वहां यूनियन के प्रेसीडेंट हैं उनके खिलाफ यह सब था ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

श्रीमन्, मैंने यह पूछा कि बयान लिया गया या नहीं और लिया गया तो बयान में उन लड़कों ने क्या कहा ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

कोई बयान नहीं लिया गया ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में कितने लोग गिरफ्तार किये गये और जिनको गिरफ्तार किया जाता है उनका बयान तुरन्त ही होता है, तो उनका क्या बयान हुआ ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

किसी का बयान नहीं लिया गया । प्राक्टर ने यह बताया कि वह चूंकि प्रेसीडेंट यूनियन के खिलाफ एक प्रदर्शन दूसरे लड़कों को करना था इसलिये सभा में गड़बड़ी हो जाय, इस ध्येय से पटाखा छोड़ा गया था ।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो पत्र पंडित कमलापति त्रिपाठी का आपको मिला है उसके आधार पर आपको क्या यह विश्वास हो गया है कि उनका जीवन खतरे में है ? यदि हां, तो आपने उनकी सुरक्षा के लिये क्या व्यवस्था की ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

उनका जीवन बिलकुल खतरे में नहीं है और उस पत्र में इसका जिक्र भी नहीं था ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

माननीय अध्यक्ष जी, उसका पार्ट तो मंत्री जी ने बता ही दिया, तो क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सभा में गड़बड़ी करने वाले लोगों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध क्यों नहीं कार्यवाही हुई ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

इसलिए कि यूनिवर्सिटी प्रेमिसेज में पुलिस का इन्तजाम नहीं रहता ।

गृह कर लगाने के लिए नगरपालिकाओं को राजाज्ञा

****३—श्री रघपालसिंह (जिला फतेहपुर) तथा श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—**

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा नगर क्षेत्रीय स्थानीय निकायों को कोई इस आशय का आदेश भेजा गया है कि वह स्थानीय निकायों द्वारा लगाये गये हाउस टैक्स में ५ प्रतिशत की वृद्धि कर दें। यदि हां, तो—

(क) टैक्स बढ़ाने का क्या कारण है ?

(ख) इस बात को ध्यान में रखते हुये कि प्रदेशीय भवन भूमि कर से जनता बहुत पहले से ही परेशान है तो क्या सरकार उक्त आदेश वापस लेने की कृपा करेगी ?

स्वायत्त शासन मंत्री की सभा सचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

जी नहीं ।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

स्थानीय नगरपालिकाओं को अगर आदेश नहीं तो क्या ऐसे सुझाव भेजे गये हैं कि वह ५ प्रतिशत टैक्स बढ़ायें ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

९ मार्च, सन् ६५ को एक जी० ओ० सरकार का गया है समस्त नगरपालिकाओं के पास और उसमें यह ध्यान आकर्षित किया गया है कि जिन नगरपालिकाओं ने गृह कर नहीं लगा रखा है वे अपनी आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिये गृह कर लगा लें ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के पास ऐसा सुझाव विचाराधीन है कि भूमि भवन कर विधेयक जो पास हुआ है वह वापस ले लिया जाय ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

कई बार इस प्रश्न पर विचार हुआ और सरकार ने कह दिया कि कर वापस नहीं लिया जायगा ।

श्री ऊदल—

मैं यह जानना चाहताहूं कि भूमि भवन कर विधेयक जब यहां से पास हो गया तथा सरकार ने उसको लगाने के लिये सभी नगरपालिकाओं से कह दिया, तब फिर इस तरह का सुझाव अलग से देने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने बताया कि आर्थिक स्थिति ठीक हो, इसीलिये ५ प्रतिशत टैक्स लगाने के लिये कह दिया है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

तो मैं जानना चाहता हूं कि उस विधेयक के पास हो जाने के बाद टैक्स तो आलरेडी लग जाता है, फिर सरकार ने दोबारा इस प्रकार का सुझाव क्यों दिया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

९ मार्च, १९६५ को जो आदेश गया है, उससे पहले भी १९५८, १९५९ और १९६१ में लगातार इस प्रकार ध्यान आकर्षित करने के लिये सुझाव दिये । उसी का फिर से ध्यान दिलाने के लिये उन नगरपालिकाओं को यह आदेश ९ मार्च को भेजा गया कि जो नगरपालिकायें गृह

कर नहीं लगा रही हैं, उनको लगाने के लिये सुझाव गया है ताकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। भूमि भवन कर प्रदेशीय सरकार द्वारा लगाया गया है। जो पंचवर्षीय योजनाओं में वित्तीय सहायता जुटाने के लिए है।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार को जो इतने जन विरोध के बावजूद भूमि भवन कर लगाना पड़ा है, उससे कुल कितनी आमदनी की सरकार को आशा है?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जो प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है, वह भूमि भवन कर का किया है, और मैं उत्तर जो देने आई हूं वह गृह कर के बारे में है, जो नगरपालिकाओं द्वारा लगाया गया है। अतः माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न के लिए नोटिस चाहिए।

श्री रक्षपालसिंह—

नगरपालिकाओं ने पहले से ही साढ़े १२ प्रतिशत कहीं कहीं टैक्स लगा रखा है, और कहीं कहीं कुछ नहीं है और ५ प्रतिशत भूमि भवन कर है, जिसके १० और १५ प्रतिशत हो जाने की संभावना है। तो क्या सरकार कुछ ऐसा सोच रही है कि १० प्रतिशत से अधिक न देना पड़े?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जिन नगरपालिकाओं ने अपना कर लगा रखा है, वह ३ से १२ प्रतिशत तक लगा हुआ है। इस प्रकार की ६७ नगरपालिकाएं हैं। १३९ नगरपालिकाएं प्रदेश में हैं, जिनमें से केवल ६७ ने लगा रखा है, अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए, और शेष ने नहीं लगा रखा है। इस जी० ओ० के मुताबिक जिन्होंने कोई गृह कर नहीं लगाया है उनको ५ प्रतिशत कम से कम लगाने का सुझाव दिया गया है और जिन्होंने ५ प्रतिशत से अधिक लगा रखा है, वह तो उनके अधिकार की बात है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं जानना चाहता हूं कि उक्त आदेश के बाद जिन नगरपालिकाओं ने कहा है कि हम नहीं लगा सकते, क्या उनको ऐसा पत्र भेजा है कि सरकार उनकी शेष ग्रान्ट बंद कर देगी?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

प्रदेश की नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति दयनीय है और उस नगर में रहने वाले नागरिकों की दिन प्रतिदिन की आवश्यकताएं होती हैं जो नगरपालिकाओं द्वारा पूरी की जाती हैं, वे नगरपालिकाएं जो इस प्रकार का कर लगाने में संकोच करती हैं, स्थानीय नागरिकों का असंतोष नहीं लेना चाहती, वे सब की सब प्रदेशीय सरकार के अनुदान पर निर्भर करती हैं जिससे उनके कार्य पूरे नहीं होते हैं। इसलिए सरकार चाहती है कि उन्हें उस संकोच को दूर कर के कर लगाना चाहिए और इसमें माननीय सदस्यों को सहयोग देना चाहिए।

हिन्द लैम्प्स लिमिटेड, शिकोहाबाद में हड़ताल

**४—श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा), श्री रक्षपालसिंह, श्री लखीसिंह (जिला मथुरा) तथा श्री शिवचरण (जिला आगरा)—

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्द लैम्प्स लिमिटेड, शिकोहाबाद में हुई हड़ताल तथा तालाबन्दी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण अनेक मजदूर पिछले कई दिनों से हड़ताल कर रहे हैं तथा उनमें उनकी स्थिति गम्भीर हो चुकी है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में पूर्ण विवरण क्या है तथा क्या सरकार तालाबन्दी हड़ताल तथा भूख हड़ताल को तत्काल समाप्त करने की कृपा करेगी?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

इस प्रतिष्ठान के श्रमिकों ने सितम्बर, १९६४ में "गो स्लो" (Go slow) किया। सेवायोजकों ने ६९ श्रमिकों को चार्ज शीट (Charge Sheet) दी। कुछ श्रमिकों ने २४ सितम्बर, १९६४ को चार्ज शीट (Charge Sheet) लेने से इन्कार किया और काम नहीं किया और हिंसात्मक कार्य किए। सेवायोजकों की ओर से २४ सितम्बर, १९६४ को तालाबंदी कर दी गई। यह तालाबन्दी, कोशिशों के फलस्वरूप २५ नवम्बर, १९६४ को, खत्म हुई और काम शुरू हो गया। सेवायोजकों ने ६९ श्रमिकों में से ३० को नौकरी से प्रथक कर दिया। फलस्वरूप कुछ मांगें श्रमिकों की ओर से प्रस्तुत की गईं जिनमें निकाले गये श्रमिकों को फिर से नौकरी पर लेने की मांग भी थी और इस बात की धमकी दी गई कि यदि मांगें पूरी नहीं की जातीं तो हड़ताल और भूख हड़ताल की जायेगी। मामले को सुलझाने की कोशिश की गई परन्तु ६ फरवरी, १९६५ से श्री चंदन सिंह ने भूख हड़ताल कर दी और ११ फरवरी, १९६५ से आम हड़ताल हो गई। सेवा योजकों ने कोई तालाबन्दी नहीं की है। ११ फरवरी, १९६५ की राजाज्ञा द्वारा श्रमिकों के वेतन, महंगाई और प्रोडक्शन बोनस (Production Bonus) की दरों के पुनरीक्षण और ग्रेचुइटी स्कीम (Gratuity Scheme) चलाने के मामले अभिनिर्णयार्थ औद्योगिक न्यायाधिकरण तृतीय को सौंप दिये गये हैं।

निकाले गए मजदूरों और लाक आउट (Lockout) के समय के वेतन के प्रश्न भी विचाराधीन थे। और आपसी बातचीत द्वारा उन्हें सुलझाने का प्रयास हो रहा था परन्तु मजदूरों ने वैधानिक रास्ता न अपना कर हड़ताल का रास्ता अपनाया।

इस बात का निरंतर प्रयत्न हो रहा है कि किसी प्रकार समझौता हो जाय किन्तु यूनियन इस बात पर जोर दे रही है कि निकाले गये श्रमिक तुरन्त रख लिए जायं और यही वजह है कि अभी तक कोई समझौता नहीं हो पाया है।

श्री लखीसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह तालाबंदी किसके आदेश से की गई ?

श्री बनारसीदास—

सेवा योजकों के आदेश से की गई।

श्री रक्षपालसिंह—

अभी ७ दिन पहले श्रीमन्, ऐसा ही प्रश्न सदन में आया और फिर आज भी आया और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रयास हो रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कौन से अधिकारी प्रयास कर रहे हैं और मंत्री जी ने स्वयं इसके बारे में क्या किया ?

श्री बनारसीदास—

पहले असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को भेजा उसके बाद डिप्टी लेबर कमिश्नर और लेबर कमिश्नर ने प्रयास किया तथा सेवा योजकों को भी बुलाकर उनसे बातचीत की और उसके फलस्वरूप जैसा मैंने बताया जो मजदूरों की मुख्य मांगें थीं, उनको एडजुडिकेशन के अन्दर भेज दिया गया। जहां तक ३० मजदूरों को डिसमिस करने का सवाल है, उसके लिए भी सेवा योजकों को तैयार कर लिया है कि वह आर्बिट्रेशन में इस मामले को रेफर करने के लिए तैयार हो जायं। लेकिन यूनियन ने आर्बिट्रेशन के आफर को स्वीकार नहीं किया।

श्री उग्रसेन—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यूनियन की ओर से जब मांगें मालिक से रखी गईं और मालिक ने उन मांगों को नहीं माना तो आप ने उसको आर्बिट्रेशन में भेज दिया जो आपके अधिकार में है और उस समय जो तीस आदमी निकाले गये थे, उनकी बात नहीं मान रहे थे, तो इनको क्यों नहीं भेज दिया ?

श्री बनारसीदास—

नवम्बर में जिस वक्त फैसला किया गया फैसले के अन्दर यह शर्त नहीं थी। ६९ आदमियों में से ३० को डिसमिस कर दिया क्योंकि उन्होंने वाइलेंस किया और कोड आफ डिसिप्लिन के मुताबिक वहां के सेवायोजकों को इस प्रकार का अधिकार हासिल है। जनवरी में हमने इस मामले को अभिनिर्णय के लिए भेजा। कुछ टेक्निकल दिक्कतें थीं। इसके बाद हमने उनकी बातों को फरवरी के आदेश में माड़ीफाई किया। मजदूरों की मांग अब यह है कि डिसमिस किए हुये ३० मजदूरों को फिर से रख लिया जाय। सेवा योजक इस बात के लिए तैयार हो गये हैं कि इस मामले को आर्बिट्रेशन के सुपुर्द कर दिया जाय और मजदूरों से कहा कि हम उनके सब प्रश्न एडजुडिकेशन को रेफर करने के लिए तैयार हैं। आर्बिट्रेशन मजदूरों के हित में होता है, लेकिन अभी तक मजदूरों की यूनियन इन तीस आदमियों के प्रश्न को आर्बिट्रेशन में देने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से हड़ताल अभी जारी है और तालाबंदी इस वक्त नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव—

हिन्द लैम्प्स लिमिटेशन, शिकोहाबाद की बिजली के बल्ब तथा राड आदि बनाने में इजारेदारी है और इस कंसर्न में श्री कमल नयन बजाज एम० पी० जो जमनालाल बजाज के पुत्र हैं, के ५० प्रतिशत शेयर्स हैं, कुछ इसमें फारेनर्स भी हैं, जिनका हिस्सा है। इसलिए श्री बजाज ने अपने पद का दुरुपयोग करके यह काम किया है, और विभागीय अधिकारी भी उनके ऊपर ज्यादा प्रभावकारी नहीं सिद्ध हो रहे हैं और लाक आउट वहां के प्रबन्धकों ने किया। इस इमरजेन्सी में ३० मजदूरों को नौकरी से निकाला गया, तो क्या मंत्री जी खुद इन्टरविन करेंगे तथा श्री बजाज और मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ बैठ कर कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे, जिससे उन निकाले हुए मजदूरों को वापस लिया जाय और वहां की स्थिति सुधरे?

श्री बनारसीदास—

मैंने श्री कमल नयन बजाज को बुलाया था। और यह सही है कि इसमें उनके शेयर्स हैं। हमारे ही दबाव देने का कारण था कि श्री बजाज इस बात के लिए तैयार हैं कि ३० मजदूरों के प्रश्न को पंच निर्णय के सुपुर्द कर दिया जाय और प्रायः यह देखा गया है कि मिल मालिक आर्बिट्रेशन के लिये तैयार नहीं होते क्योंकि आगे रिट वगैरा में जाने का उनका रास्ता बन्द हो जाता है। आर्बिट्रेशन मजदूरों के हित में होता है। मजदूरों को इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिये। आर्बीट्रेशन का फैसला सब लोगों पर बाइंडिंग होता है। बाकी सब मामले रिफर कर दिये गये हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब मिल मालिकों ने सितम्बर से नवम्बर तक तालाबंदी कर दी थी तो तालाबन्दी के समय जब मामला पंच निर्णय के लिये सुपुर्द था या कांसिलियेशन बोर्ड में था तो मिल मालिकों ने पेन्डेन्सी के समय ३० मजदूरों को निकाल देना क्यों मुनासिब समझा?

श्री बनारसीदास—

उस समय पंचनिर्णय के लिये सुपुर्द नहीं था। नवम्बर में जब हड़ताल समाप्त हो गई। उसके बाद ६९ में ३० मजदूरों को बरखास्त कर दिया गया और ३९ की चार्जशीट वापस ले ली गयी। इसके बाद मजदूरों ने मांगें रखीं कि मजदूरों को वापस लिया जाय, हड़ताल या लाक आउट के पीरियड का वेतन दिया जाय और ग्रेचुइटी और बोनस दिया जाय। इन ३० के मामले का पेन्डेन्सी से कोई संबंध नहीं है, इसलिये आर्बीट्रेशन की बात कही गयी है।

श्री झारखण्डेराय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस मामले में बहुत से लोग अनशन कर रहे हैं। और इस समय भी ४ आदमी भूख हड़ताल कर रहे हैं तो क्या इस सिलसिले में कोई गिरफ्तारी भी हुई है यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं?

श्री बनारसीदास—

शुरू में श्री चन्दन सिंह ने भूख हड़ताल की थी। इस समय ५ आदमी भूख हड़ताल कर रहे थे। चूंकि शांति भंग होने का अन्देशा था इसलिये उनको जेल के अन्दर हटा दिया गया है। जेल विभाग की ओर से उनका फीडिंग हो रहा है।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि मिल मालिकों और सरकार के सामने ३० मजदूरों को वापस काम पर लेने में क्या कठिनाई है ?

श्री बनारसीदास—

सरकार को ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह सेवायोजकों को मजबूर कर सके कि वह मजदूरों को वापस लें। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ऐक्ट के अनुसार सरकार उनके मुकदमे को अभिनिर्णय के लिये भेज सकती है और अभिनिर्णय का फैसला यदि मजदूरों के माफिक हो तो मिल मालिकों को उनके रखने पर मजबूर किया जा सकता है। सरकार अभिनिर्णय के लिये तैयार है। लेकिन चूंकि अभिनिर्णय में ज्यादा मुकदमे बाजी हो सकती है अतः आर्बिट्रेशन का सुगम मार्ग बताया गया। सरकार ने किसी तरह मिल मालिकों को आर्बिट्रेशन के लिये तैयार कर लिया है।

श्री लखीसिंह—

श्रीमन्, इस उत्तर में ६ जगह अंग्रेजी लिखी हुई है। आपके दफ्तर में ही अंग्रेजी चलती है। क्या जरूरत थी इसकी ?

मंत्री जी से मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस पंचायत को यह फैसला दिया गया था उसमें मजदूरों के कितने पंच थे और मिल मालिकों की तरफ से कितने ?

श्री बनारसीदास—

जो आर्बिट्रेशन होता है वह एक व्यक्ति के सुपुर्द होता है जिसको दोनों पक्ष मान लेते हैं और एडजुडीकेशन में हाईकोर्ट तथा अन्य के जज होते हैं। ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं। इसमें मिल मालिकों और मजदूरों के कितने प्रतिनिधि हों, इसका सवाल नहीं है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

ड्राइवरों को दुर्घटना पुरस्कार तथा वर्दी

*१—श्री इन्द्रासनसिंह (जिला आजमगढ़)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन विभाग में कोई ऐसा प्राविधान है कि यदि किसी ड्राइवर से एक पूर्ण वर्ष के अन्तर्गत कोई बस दुर्घटना न हो, बैटरी टायर और इंजन सुरक्षित रखे तो उनको दूसरे वर्ष में दुर्घटना से सुरक्षित ५० रुपए टायर, बैटरी और इंजन की सुरक्षा का १०, १० रुपये पुरस्कार दिया जाता है ? यदि हां, तो गोरखपुर रीजन में १९६० से अब तक कितने ड्राइवर इस प्रकार के पुरस्कार से लाभान्वित हुये हैं उनकी एक सूची सदन की पीठिका पर रखने की कृपा करेंगे ?

खाद्य मंत्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त कांडपाल)—

ड्राइवरों को दिये जाने वाले ऐसे पुरस्कारों की रूप-रेखा संलग्न है। जितने ड्राइवरों को पुरस्कार दिये गये हैं उनकी संख्या इस प्रकार है :

				ड्राइवरों की संख्या
नो एक्सीडेन्ट इनाम	..	..	..	२४३
इंजन ,,	..	..	..	६७
टायर ,,	..	..	..	४००
बैटरी ,,	..	..	..	५१२

सूची बहुत लम्बी है। अतः माननीय सदस्य मेरे कक्ष में देखने का कष्ट करें।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७६३–७६५ पर)

*२—श्री इन्द्रासनसिंह—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ड्राइवरों और कण्डक्टरों को ऊनी वर्दी देने का कोई प्राविधान है ? यदि हां, तो कितने समय के लिये ऊनी वर्दी दी जाती है, और गोरखपुर रीजन में १९६० से अब तक कितने बार दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

वर्ष १९६३–६४ तक केवल ऊनी जर्सी दी जाती थी। परन्तु १९६४–६५ से ऊनी वर्दी दिये जाने का निर्णय हुआ है। जर्सी व ऊनी वर्दी का सेट तीन वर्ष में एक बार दिया जाता है। सन् १९६०–६१ व १९६१–६२ में जो ड्राइवर व कन्डक्टर हकदार थे उनको जर्सी दी गयी। परन्तु सन् १९६२–६३ व १९६३–६४ में पूरी जर्सी न मिलने के कारण सबको जर्सी नहीं दी जा सकी। सन् १९६४–६५ में नियमानुसार सब को ऊनी वर्दी कपड़ा दिये जाने के आदेश दिये गये।

*३—श्री इन्द्रासनसिंह—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऊनी वर्दी के एक सेट में कौन-कौन सा सामान होता है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

ऊनी वर्दी के एक सेट में एक कोट, एक पैन्ट और एक पी-कैप अथवा एक सूती साफा होता है।

श्री इन्द्रासनसिंह—

मंत्री जी ने बताया है कि १९६२–६३ और १९६३–६४ में वर्दी नहीं मिली। इस वजह से वर्दियां नहीं दी गयीं तो क्या उस के एवज में दाम दिये गये उन लोगों को या कोई पैसा उनके एकाउन्ट में जमा किया गया ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

अध्यक्ष महोदय, सन् १९६२–६३ और १९६३–६४ में वर्दी का सवाल नहीं था केवल जर्सी का सवाल था और उस वक्त एमरजेंसी के कारण जहां से यह जर्सियां आती थीं वहां से वह सब फौज को चली गयीं और उन्होंने सप्लाई करने में अपनी असमर्थता जाहिर की इसलिये मजबूरी रही, रह गई। दाम देने की बात विचाराधीन नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इस समय आम तौर से नीचे के कुछ कर्मचारियों को बहुत असन्तोष है कि जो ऊनी या सूती वर्दियां दी जाती हैं उनकी सिलाई और धुलाई काटी जाती है और जो कन्डक्टर और ड्राइवर के अलावा ए० टी० आई० वगैरा दूसरे लोग हैं उनसे सिलाई और धुलाई की दूसरी दर ली जाती है, तो यह भेदभाव क्यों है और क्या वह इसको दूर करेंगे ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

क्योंकि उनकी वर्दी की किस्म दूसरी होती है इसलिये वह भेदभाव तो रहेगा ही।

श्री उग्रसेन—

जिन ड्राइवर आदि कर्मचारियों को विभाग दुर्घटना से सुरक्षित रखने और बैटरी और इंजन की सुरक्षा के लिये ५० रुपया और दस रुपया इनाम दिया जाता है और जबकि एक-एक आदमी कई-कई गाड़ियों पर चलता है तो यह सब इनाम जोड़ कर क्यों नहीं दे दिया जाता ताकि उन सैकड़ों आदमियों को वह मिल जाय जिन्हें इनाम पाना है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह तो देखना पड़ेगा और देख कर ही कुछ कहा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—

ये तो एक सुझाव दे रहे हैं।

श्री इन्द्रासनसिंह—

माननीय मंत्री जी ने यह बताया कि सन् १९६४ में नियमानुसार वर्दी दिए जाने के आदेश दिए गए हैं, तो मैं जानना चाहता हूं, यह बताने की कृपा की जाये कि ये केवल आदेश ही आदेश रह गये या उनको कपड़ा दिया गया है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

आदेश हो गये थे और यह कल्पना की जाती है कि कपड़ा मिल गया होगा। यह सूचना हमारे पास नहीं है कि मैं निश्चित रूप से यह कह सकूं कि कपड़ा सब को मिल गया है। यह सूचना भी हम मंगा लेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

क्या परिवहन मंत्री अपने विभाग से जानकारी हासिल करके बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर रीजन में जो ड्राइवर हैं, उनको वर्दी नहीं दी गई है जबकि जाड़ा भी खत्म हो गया है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

ऐसी सूचना तो मेरे पास नहीं है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि चूंकि वर्दी में फर्क है इसलिए सिलाई में भी फर्क है तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या कपड़े के आधार पर होता है या और किसी कारण से ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

श्रीमन्, यह तो आपको भी मालूम होगा कि आप के कोट की सिलाई जो होगी, उसमें और एक गरीब आदमी के कोट की सिलाई में फर्क होता ही है।

बुलन्दशहर जिले से पानी निकासी के लिए प्रार्थना-पत्र

*४—श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में वर्षा के पानी से जो गांव भर गये जिससे जनता और जानवरों को एक संकट पैदा हो गया और फसल नष्ट हो गई, किन-किन गांवों के प्रार्थना-पत्र जिलाधीश महोदय को मिले, इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

सन् १९६४ में जिलाधीश, बुलन्दशहर को इस विषय पर २५७ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए और इन पर जो कार्यवाही की गई उसका विवरण यदि सदस्य महोदय चाहें तो मेरे कमरे में आ कर देख सकते हैं।

श्री जसरामसिंह—

माननीय मंत्री ने बताया कि वर्षा के पानी से जो गांव भर गये उनमें से २५७ गांवों के प्रार्थना-पत्र जिलाधीशों को प्राप्त हुए तो मैं जानना चाहता हूं कि इन २५७ गांवों में कितने रुपये की फसल की हानि हुयी और कितने जानवर पानी से मर गये?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह तो सूचना मेरे पास डिटेल में नहीं है लेकिन जो प्रार्थना-पत्र में है, वह मेरे पास हैं। वह मैं आप को दिखा सकता हूं।

मथुरा–कोसी कलां सड़क पर दुर्घटनायें

*५—श्री लखीसिंह—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देहली रोड मथुरा से कोसी कलां के बीच १९६४ में तथा १८ जनवरी, १९६५ तक कितने एक्सीडेंट हुए और उनमें कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा इनमें कितनी घटनायें रोडवेज बसों से तथा कितनी घटनायें ट्रकों से हुयीं?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

१७ दुघटनायें हुईं। ९ व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

इनमें से ३ रोडवेज की बसों से हुई तथा ७ ट्रकों द्वारा और शेष अन्य गाड़ियों से।

श्री लखीसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ९ व्यक्ति जो मरे हैं, जिनमें ७ ट्रकों द्वारा तो वे किस किस स्थान पर मरे और वे किस किस स्थान के व्यक्ति थे?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

माननीय सदस्य शायद मेरे जवाब को नहीं समझे हैं। इसके दूसरे हिस्से में जो दिया है वह यह है कि ट्रकों से ७ की मृत्यु नहीं हुई है, ये एक्सीडेन्ट हुए हैं। वह टोटल मृत्यु नहीं है। जो ९ मृत्यु हुई हैं, उनके अलग-अलग विवरण हैं।

श्री लखीसिंह—

जो ७ मौतें ट्रकों द्वारा हुई हैं वे किस स्थान पर हुई हैं?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

माननीय सदस्य की इत्तिला के लिये यह बतलाना चाहता हूं कि ये जो मृत्यु हुई हैं ये रोडवेज की जो बसेज हैं उनके द्वारा एक्सीडेंट्स हुए हैं उनके द्वारा नहीं हुई बल्कि ये मृत्यु ट्रकों द्वारा हुई हैं वृन्दावन के थाने में....

श्री अध्यक्ष—

थाने से काम नहीं चलेगा। माननीय सदस्य उस विशेष स्थान को जानना चाहते हैं।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

अध्यक्ष महोदय, यह सूचना मेरे पास नहीं है कि ठीक स्थान का नाम बतला सकूं।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या यह सही है कि रोडवेज की बसों से जो एक्सीडेन्ट्स होते हैं उनका खास कारण यह है कि ड्राइवर्स से ८ घंटे से ज्यादा ड्यूटी ली जाती है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

जी नहीं। इस बात का खास तौर से ध्यान रखा जाता है कि किसी ड्राइवर से ज्यादा काम न लिया जाय।

चौधरी अब्दुल हसीब खाँ (जिला बहराइच)—

ट्रक से जो अधिक एक्सीडेंट्स होते हैं तो क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सरकार ने एहतियात के लिये क्या उपाय किये हैं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह बात विचारणीय है।

श्री लखीसिंह—

क्या मंत्री जी के पास यह सूचना है कि ये जो पांच मृत्यु हुईं वे चौमहा अकबरपूर में सिंचाई निरीक्षण भवन के पास रोड पर हुईं और जिस ट्रक के जरिये हुईं उसमें तलाशी लेने पर पुलिस को १३ बोतलें शराब की मिलीं ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

माननीय सदस्य उस थाने का नाम भी बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री लखीसिंह—

छाता थाना है।

श्री हरीदत्त कांडपाल—

एक कार का एक्सीडेंट तो है जिसका नं० १३९ था। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री लखीसिंह—

क्या यह सत्य है कि जो पांच मृत्य हुईं वे एक कार से सम्बन्धित थीं जो कि दिल्ली से आगरा और मथुरा अखबार ले कर आती थी और आध घंटे तक ट्रक उसे रौंधता रहा और १३ बोतलें शराब ट्रक में निकलीं ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

इस दुर्घटना के बारे में अगर माननीय सदस्य सवाल करेंगे तो सब बातें मालूम करके बतला दी जायंगी।

एटा—गंजडुंडवारा एवं एटा—पटियाली बस सर्विस

*६—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या परिवहन मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि एटा—गंजडुंडवारा एवं एटा—पटियाली मार्गों पर चलने वाली बसों की मरम्मत में अत्यधिक खर्च हुआ है ? यदि हां, तो किस कारण और उक्त कारण के निवारण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह सही है कि इन मार्गों पर चलने वाली बसों की मरम्मत में खर्च अधिक हुआ। कारण यह है कि इन सड़कों के खराब होने की वजह से गाड़ियां अधिक खराब होती हैं। जी० एम०, आगरा ने जिला परिषद् के अध्यक्ष व जिलाधीश एटा से इन सड़कों को ठीक कराने के लिये प्रार्थना की व परिवहन आयुक्त ने इन सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अपने अधिकार में लेने के लिए उस विभाग के चीफ इन्जीनियर को भी लिखा है।

श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो पत्र परिवहन आयुक्त की ओर से चीफ इंजीनियर, सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिखा गया है, उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह बात फिलहाल ही लिखी गयी है और उस पर विचार हो रहा होगा। अभी शायद उस पर किसी फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंचे होंगे, हमें कोई सूचना नहीं है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या यह मान लिया जाय कि एटा से पटियाली और गंजडुंडवारा सड़कों पर जो सरकारी बसें चलती हैं, उन पर आमदनी से ज्यादा उनकी मरम्मत पर खर्च होता है ? यदि यह सही है तो क्या माननीय मंत्री जी इस मार्ग को हटाकर इस पर व्यक्तिगत बसें चलाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो कह दिया है कि इसे पी० डब्लू० डी० को दे दिया है।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

यह देखते हुए कि इस सड़क की हालत बहुत खराब है और उस पर बरसात में सरकारी बसें चलाना असम्भव हो जायगा, क्योंकि इस सड़क में २-२ फिट के गड्ढे हैं, तो क्या सरकार इस बात की कोशिश करेगी कि एक मास की अवधि के अन्दर यह सड़क पी० डब्लू० डी० के अन्तर्गत चली जाए, जिससे बरसात के पहले इसकी मरम्मत हो जाये ?

श्री हरीदत्त कांडपाल—

यह मसला पी० डब्लू० डी० के विचारार्थ तो है ही।

श्री अध्यक्ष—

वह चाहते हैं जल्दी हो जाए।

श्री श्रीराम—

हम भी यही चाहते हैं।

ओबरा पावर हाउस में अधिगृहीत भूमि का प्रतिकर

*७—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़), श्री ऊदल तथा श्री सुरजनराम विशारद (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार ता० ९ फरवरी, १९६५ के अतारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेगी कि ५१००.३७६ एकड़ जो भूमि अभी ली जाने वाली है उसके बदले किसानों को भूमि देने पर सरकार विचार करेगी और बतायेगी कि बाजार दर से मुआवजा न देने का कारण क्या है ? क्या इधर गाजियाबाद, गोरखपुर, हरिद्वार, ज्वालापुर, में बाजार दर से मुआवजा दिया गया है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

संशोधित प्रस्ताव ४७७४.१५६ एकड़ और भूमि लेने का है। इस भूमि के जो किसान मुआविजा लेने को तैयार न होंगे उन्हें भूमि के बदले में भूमि देने पर विचार किया जायगा। २४८३.११ एकड़ भूमि जो पहले सन् १९६१–६२ में ली गई उसके किसानों को दिये गये मुआविजा का विवरण संलग्न है जो उस समय के बाजार दर के ही अनुकूल हैं।

उद्योग विभाग द्वारा उक्त स्थानों में अध्यापन की गई भूमि का मुआवजा बाजार दर पर दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७६६ पर)

श्री ऊदल—

मान्यवर, आप उत्तर देख लें। मैं जानना चाहता हूं कि बाजार दर १०० रुपये एकड़ के हिसाब से है, उस दर से मुआवजा दिया गया है या पुराने १८९८ के कानून के अनुसार सरकार दे रही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

असल में दिक्कत यह है कि वहां पर कोई जमीन नहीं बिकी। मैं स्वयं इस बात से सेटिस्फाई नहीं हूं कि यह जो रेट दिया जा रहा है वह ठीक है। इसलिये मैं आदेश दे रहा हूं कि इसे दुबारा देख लिया जाय और उन्हें ज्यादा दाम दिये जायें।

श्री ऊदल—

गड़वा राबर्ट्‌गंज रेलवे लाइन बनी है, जिसमें बिहार और मध्यप्रदेश की जमीन ली गयी है और जिसके लिये भारत सरकार द्वारा मुआवजा दिया गया है, जो वहां के किसानों को मुआवजा दिया गया है, क्या सरकार उसे मंगाकर देखने की कृपा करेगी कि वह अपने यहां के किसानों को भी उसी दर से मुआवजा दे ? आप ओबरा डैम के लिये जमीन ले रहे हैं, आप उसको मंगाकर अवश्य देख लें और उसीके अनुसार वहां के किसानों को भी मुआवजा देने की कृपा करें।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

हमने तो पहले ही यह कह दिया कि जो मुआवजा वहां पर दिया गया है, उससे मुझे अपने आप सन्तोष नहीं है, मैं दिखवा रहा हूं कि जो बाजार के दाम हैं वह उनको मिलना चाहिये, उन्हें कम नहीं मिलना चाहिये।

श्री सुरजनराम विशारद—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो जमीन ले ली गयी है, उसके मुआवजें में जो जमीन दी जा रही है, उस पर मुआवजा पाने वालों का कब्जा हो गया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इसके लिये दो चीजें हैं। एक तो जो जमीन वहां पर समीप में उपलब्ध थी वह मुआवज में दी जा चुकी है और जो शेष रह गये हैं जिनके लिये जमीन नहीं मिली है, उनके लिये जमीन की तलाश की जा रही है। आगे जमीन ली जाने वाली है। डी० एम० के पास जब जमीन होगी तो उसे देने का प्रयास किया जायगा।

श्री सुरजनराम विशारद—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जितनी जमीन उन्होंने दाम देकर ली है, उसी दाम की हैसियत से जमीन खरीदकर उनको दी जा रही है या जितने बीघा जमीन उनसे ली गई है, उसी के बराबर नाप में उन्हें जमीन दी जा रही है ? और क्या इन किसानों की हजारों एकड़ भूमि जो ली गयी है बनको एक ही गांव में या अन्य २ गांव में भूमि दी जायेगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

हजार एकड़ की तो बात नहीं है केवल ५८७ एकड़ जमीन ली गयी है बाकी तो सरकार की जमीन है।

श्री चन्द्रजीत यादव—

वस्तुस्थिति वहां यह है कि ५ सौ एकड़ से ज्यादा जमीन ऐक्वायर कर ली गयी है और किसान वहां पर आन्दोलन इस बात का कर रहे हैं कि उनकी जमीन तो ले ली गई है मगर उनको मुआवजा नहीं मिला उनकी जमीन के बदले में जमीन नहीं मिली। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा था कि अधिकारी से इस बात की जांच करा लेंगे और बाजार के रेट्स पर उनको मुआवजा दिया जायगा। बाजार का रेट सौ रुपये एकड़ था लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट ने वह भी नहीं दिया तब प्रधान मंत्री ने दखल किया और उसके बाद स्टेट को २५० गुना ज्यादा मुआवजा उनको देना पड़ा। तो क्या इन सब बातों को देखते हुये सरकार अपने यहां के किसी अधिकारी को भेज देगी और जांच पड़ताल करवा कर रिपोर्ट प्राप्त करेगी जिनसे उनको मुआवजा दिया जा सके?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

असल में यह है कि वहां एक रिहैबिलिटेशन आफिसर रखा गया है। लेकिन आपकी जानकारी के लिये मैं बता दूं कि सबकी सब जमीन काश्तकारों की नहीं है, इसमें काफी जमीन सरकार की भी है.....

श्री अध्यक्ष—

वह तो सिर्फ काश्तकारों की जमीन के लिये कह रहे हैं।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

काश्तकारों की जमीन के बारे में यह है कि १२ परिवार ऐसे हैं जिन्हों ने मुआवजा नहीं लिया है बाकी लोगों ने मुआवजा ले लिया है। जिन्होंने मुआवजा ले भी लिया है उनको भी अधिक दिलाने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं। जिन १२ परिवारों ने जमीन नहीं ली है उनके लिये जमीन का इन्तजाम हो गया है। जो आगे जमीन लेने की बात है उसके लिये उनको जमीन के बदले जमीन देने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री ऊदल—

इसमें जो ४७७४.१५६ एकड़ जमीन आगे लेने का विचार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जमीन के बदले में जमीन देंगे तो क्या जिस वक्त उनकी जमीन आप लेंगे उसी वक्त उनको जमीन देने की कृपा करेंगे ताकि वे अपनी खेतीबारी शुरू कर दें?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

हम तो यही चाहेंगे कि उनको जमीन के बदले में जहां तक हो सके उतनी ही जमीन मिल जाय और अगर जमीन के बदले में जमीन नहीं दे पायेंगे तो उचित मुआवजा देंगे।

वाराणसी जिले में नलकूप

*८—श्री सुरजनराम विशारद तथा श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार गांव कामापुर, जलालपुर, चितौरा, परगना कोलअसला, तहसील व जिला वाराणसी में ट्यूबवेल लगाने पर विचार कर रही है? क्या केराकत माइनर से गांव परसरा, परगना कोल असला से दो माइनर एक फतेहपुर तथा दूसरी फूलपुर से निकालने की तथा एक दिनदासपुर माइनर से मदेउली, कटौना, कामापुर के लिये एक माइनर निकालने की व्यवस्था करने जा रही है?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

ग्राम कामापुर, जलालपुर चितौरा, में नलकूप निर्माण की उपयुक्तता के लिये सर्वेक्षण प्रारम्भ कर दिया गया है।

श्री सुरजनराम विशारद--

मैं यह जानना चाहता हूं कि वह जांच कब शुरू हुई और उसकी कार्यवाही कब तक समाप्त हो जायगी?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

कब शुरू हुई यह तो सूचना हमारे पास इस समय नहीं है लेकिन जून ६५ तक हमारा सर्वे पूर्ण हो जायगा।

एस० डी० ओ०, नैनीताल द्वारा मुकदमों का फैसला

*९--श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान एस० डी० ओ०, नैनीताल को सरकार द्वारा समरी अधिकार प्राप्त हैं? यदि नहीं, तो १ नवम्बर, १९६४ से ३१ जनवरी, १९६५ तक कितने मामलों को उनके द्वारा समरिली डिसाइड किया गया और क्यों?

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)--

जी नहीं। इस अवधि में उन्होंने कोई मामला समरिली डिसाइड नहीं किया।

*१०--श्री हरिगैनराम--

उक्त सब डिवीजनल आफिसर नैनीताल के इस अधिकार को प्रयोग करने से कितने व्यक्ति नैनीताल सब-डिवीजन से बेदखल व बेघरबार किये गये? तथा उनका नाम व पता क्या है?

श्री जयराम वर्मा--

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरिगैनराम--

मंत्री जी ने कहा कि कुछ मुकदमे "समरिली डिसाइड" हो गये हैं तो जो मामले इस अवधि में तय हो गये हैं वे क्या थे?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--

मेरे खयाल में बजाय समरी फैसले के बाकायदा उनके फैसले हुये होंगे।

सयाना क्षेत्र में नलकूपों पर गूलें

*११--श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर) तथा श्री अनीसुर्रहमान (जिला नैनीताल)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र सियाना, जिला बुलन्दशहर में कितने राजकीय नलकूप ऐसे हैं कि जिन पर नियमानुसार दो मील लम्बी पुख्ता गूलें नहीं हैं और वह किन-किन स्थानों पर हैं और उन पर नियमानुसार दो मील लम्बी पुख्ता गूलें कब तक बनवा देगी?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

६९ राजकीय नलकूप ऐसे हैं जिन नलकूपों पर दो मील से कम लम्बी पुख्ता गूलें हैं। उनका †विवरण संलग्न है। इनको पक्की करने के कार्य की मार्च, १९६७ तक पूर्ण होने की आशा है।

---

†छापा नहीं गया।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस विवरण को देखते हुये कि १९६४–६५ में केवल १।। मील पुख्ता गूल बनाई गई तो ६४ मील ४ फर्लांग गूल २ वर्ष में कैसे बना लेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आपसे वादा किया जा रहा है ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

मैं वादा नहीं स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैं आश्वासन नहीं दे रहा हूं ।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

यह नियम है कि हर ट्यूबवेल के साथ २ मील पुख्ता गूल होनी चाहिये । ३०, ३५ वर्ष इन ट्यूबवेल को बने हो गये लेकिन अब तक पुख्ता गूल नहीं बनी हैं । इसका आश्वासन होना चाहिये कि २ साल के अन्दर इतनी गूल यानी ६४ मील ४ फर्लांग गूल बना देंगे ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह लक्ष्य तय किया गया है कि हर सरकारी ट्यूबवेल में २ मील पुख्ता गूल बनाई जायगी ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

न तो तय है और न तय हो सकता है । गूल बनाने के लिये सबसे पहले यह जरूरी है कि जमीन एक्वायर की जाय और जमीन एक्वायर करने में समय लगता है ।

[६ अप्रैल, १९६५ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

नौगढ़ क्षेत्र में सिंचाई तथा नौगढ़ व चन्द्रप्रभा बांध में अध्याप्त भूमि

*१—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री तहसील चकिया, जिला वाराणसी के नौगढ़ क्षेत्र में एक घबरहा बन्धी सिंचाई हेतु बनाने पर विचार कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या इसका सर्वे आदि हो गया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जी हां । सर्वेक्षण हो रहा है ।

*२—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नौगढ़ बांध तथा चन्द्रप्रभा बांध में जिन किसानों की जमीन डूब गयी है उन लोगों को इस वर्ष जोतने के लिये पट्टे पर जमीन न देने का कारण क्या है जबकि जमीन दूसरों को पट्टे पर उठाई गयी है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

नौगढ़ व चन्द्रप्रभा बांधों की जमीन नहर विभाग को फारेस्ट मैनुअल के अधिनियम १२० के अन्तर्गत हस्तान्तरण हुई थी । फारेस्ट के नियमों के अनुसार सिंचाई विभाग को कोई पट्टे पर भूमि देने का अधिकार नहीं है और यह भूमि सुरक्षित वन (Reserve forest) ही रहना चाहिये। पट्टे पर भूमि देने पर वन विभाग को आपत्ति हुई इसी कारण मार्च, १९६५ के बाद कोई जमीन पट्टे पर नहीं दी जावेगी ।

श्री ऊदल—

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों की जमीन डूब में आ गई थी उनको जमीन पट्टे पर न देकर दूसरे लोगों को क्यों दी गई ? क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जमीन तो जंगलात से ली गई थी, फारेस्ट ऐक्ट के मातहत यह है कि रिजर्व फारेस्ट से जो जमीन हम लेंगे वह जंगल के लिये सुरक्षित रहेगी, किसी दूसरे को नहीं दे सकते। जब उन्होंने कहा कि कानूनन नहीं दे सकते तो रुकना पड़ा।

श्री ऊदल—

मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री जी इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि इस डूब में जिन किसानों की जमीन गई है उनको शर्त के मुताबिक उनको पट्टे पर न देकर सन् १९६४ में वह दूसरे लोगों को पट्टे पर दी गई है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जांच तो हम करा लेंगे लेकिन जो जमीन डूब गई है वह तो खाली नहीं होती।

छोटी गंडक नदी नहर योजना

*३—श्री उग्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि पटेल कमीशन द्वारा सिफारिश की गई छोटी गंडक नदी नहर योजना गोरखपुर, देवरिया में जो १६४ करोड़ की लागू होने वाली है उस पर कार्य शुरू कर दिया गया है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

जी नहीं।

*४—श्री उग्रसेन—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उक्त योजना के कार्यान्वयन में क्या देर है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

यह योजना अभी केन्द्रीय सिंचाई एवं विद्युत् आयोग के परीक्षण में है।

श्री उग्रसेन—

पटेल कमीशन ने छोटी नहर योजना के लिये १ करोड़ ६४ लाख रुपया रखा था और उसमें जल विद्युत् आयोग के इंजीनियर्स भी मौजूद थे, और परीक्षण के बाद ही यह योजना मंजूर हुई थी, फिर इसको कार्यान्वित करने के समय उत्तर प्रदेश सरकार ने फिर इसको जल विद्युत् आयोग के पास परीक्षण के लिये क्यों भेज दिया ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

पहले तो कोई योजना बिना परीक्षण के फाइनल नहीं होती जब तक कि धन नहीं मिलता, लेकिन आपकी जानकारी के लिये बतला दूं कि जब नेपाल बांध बन गया है तो फिर एक बार सोचना पड़ेगा इस वजह से कि पानी आना बन्द हो गया है।

श्री उग्रसेन—

नेपाल बांध की वजह से पानी कम आयेगा इसीलिये उन्होंने सोचा कि इस योजना से सिंचाई भी हो जायगी और काम भी चलता रहेगा। इसके लिये ही इस योजना को कमीशन ने सिफारिश

की थी और उसके लिये पैसा भी दिया था। तो क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि यह आयोग एक महीने के अन्दर अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेगा ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

माननीय उग्रसेन जी उतावले ज्यादा हैं और समझते कम हैं। आपको....

श्री उग्रसेन—

३/४ अक्ल तो उनके पास है। हमारा उनका शास्त्रार्थ हो जाय इसी पर।

श्री अध्यक्ष—

वह तो इतना ही कह रहे हैं कि इसमें शीघ्रता की जाय। आवश्यकता हो तो केन्द्र की भी सहायता लें।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

इसकी जांच के लिये हम रुड़की में रिसर्च करा रहे हैं, लेकिन जैसा मैंने बतलाया, इसे हर स्टेज पर एक्जामिन करना पड़ेगा।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

जिस समय इस गंडक योजना के बारे में सर्वेक्षण हो रहा था और रिपोर्ट की जा रही थी उस समय बिहार की सरकार ने भी इस पर स्वीकृति दी थी कि पानी का प्रवाह बहुत तेज है और इसलिये सरकार को इसे ट्रेन्ड करना चाहिये तथा इसकी जांच केन्द्र के दो प्राविधिकों से भी करा ली गयी है, उसके बाद भी इसमें तेजी क्यों नहीं हो रही है ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में हमारे पास कुछ कमेन्ट्स भेजे थे उनकी हम जांच करा रहे हैं। इसके बहुत से स्टेजेज हैं। नेपाल बांध भी बन गया है। उन सब का असर इसमें पड़ सकता है।

वाराणसी जिले में सिंचाई कार्यों के लिए सीमेंट

*५—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग वाराणसी (ट्यूबवेल विभाग) के पांचों सब डिवीजन में अलग-अलग अक्तूबर, सन् १९६४ से जनवरी, १९६५ तक कितने बोरी सीमेंट कार्य हेतु दिया गया ? क्या सरकार कृपया बतायेगी कि एक सीजन में कितनी बोरी सीमेंट का कार्य होना चाहिये और फोर्थ-सब-डिवीजन भदोही में अक्तूबर, ६४ से जनवरी १९६५ तक कितने बोरी सीमेंट खर्च हुई ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

ट्यूबवेल डिवीजन, वाराणसी में केवल चार ही सब डिवीजन हैं। इन सब डिवीजनों में प्रश्न में उल्लिखित अवधि में प्राप्त हुई सीमेंट का विवरण संलग्न है।

एक सीजन में कितनी बोरी सीमेंट का उपयोग होना चाहिये यह कार्य के ऊपर निर्भर है। चतुर्थ सब डिवीजन भदोही में अक्तूबर ६४ से जनवरी ६५ तक ४५९७ बोरी सीमेंट खर्च हुई।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ७६७ पर)

श्री ऊदल—

सीमेंट के अभाव में ट्यूबवेल की गूलें भी नहीं बन पा रही हैं और सिंचाई विभाग का बहुत सा काम पिछड़ा है तो क्या मंत्री जी जल्दी और ज्यादा सीमेंट दिलाने की व्यवस्था करेंगे ताकि काम अच्छी तरह से हो ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

हम प्रयास करते हैं सीमेंट मंगाने का और जो मिलता है उसे भेजते हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र—

सिनेमा बन रहे हैं, लेकिन सिंचाई विभाग के लिये सीमेंट नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

नियम समिति के सदस्य नियम नहीं तोड़ सकते ।

आजमगढ़ क्षेत्र में रोडवेज के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी

*६—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या परिवहन मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि आजमगढ़ रोडवेज उपक्षेत्र के कितने १९५९ से १९६३ तक लगातार कार्य करने वाले (फोर्थ) चौथी श्रेणी के कर्मचारी सन् १९६३ में कार्य से विरत कर दिये गये ?

श्री मुजफ्फर हसन—

कोई नहीं ।

*७—श्री उमाशंकर—

क्या यह सच है कि उपरोक्त कर्मचारियों को रीजनल सेलेक्शन कमेटी ने अपनी १७ और १८ मार्च, १९६१ की बैठक में अनुमोदित कर दिया था ? यदि हां, तो जब स्थायी जगह खाली हुई तो उनको प्राथमिकता क्यों नहीं दी गई ?

श्री मुजफ्फर हसन—

प्रश्न ६ के उत्तर को देखते हुये यह प्रश्न नहीं उठता ।

सहारनपुर जिले में नलकूप

*८—श्री रामसिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९६४–६५ में जिला सहारनपुर के ब्लाक रामपुर, नागल तथा नारसन के किन-किन ग्रामों में राजकीय नलकूप लगाने की योजना है और अब तक यह नलकूप किन-किन ग्रामों में लगाये जा चुके हैं तथा किन-किन ग्रामों में लगाने शेष हैं तथा इनके कब तक लग जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

१९६४–६५ में सहारनपुर जिले के रामपुर, नागल तथा नारसन ब्लाकों में नलकूप लगाने की कोई योजना नहीं थी ।

मथुरा जिले में बस स्टेशनों का निर्माण

*९—श्री लखीसिंह—

क्या यह सत्य है कि मथुरा रोडवेज में बसों में पुराने इन्जन चालू हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो इन बसों के चलने की मील संख्या सन् १९६५ तक क्या है ? क्या इसी कारण बस काबू से बाहर होकर टकराती हैं ?

नोट—तारांकित प्रश्न ५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री मुजफ्फर हसन--

जी नहीं । बसों की मील संख्या की तालिका काफी लम्बी है जिसे माननीय सदस्य मेरे कक्ष में देख सकते हैं । शेष प्रश्न नहीं उठता ।

*१०--श्री लखीसिंह--

क्या परिवहन मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि तहसील में छाता बस स्टेशन का निर्माण जो हुआ उसमें कितना धन व्यय हुआ ? और स्टेशन शेरगढ़ तथा चौमुहां व नन्दगांव के निर्माण कराने में कितना समय लगेगा ?

श्री मुजफ्फर हसन--

तहसील छाता में बस स्टेशन की भूमि को समतल कराने, चहार दीवारी बनाने एवम् ईंटों का फर्श लगाने में ७,५०० रुपये व्यय हुये हैं । अभी बस स्टेशन भवन का निर्माण नहीं हुआ है । शेरगढ़ में बस स्टेशन निर्माण के लिये इस साल कोशिश की जावेगी ।

चौमुहां तथा नन्दगांव में बस स्टेशनों के निर्माण का अभी विचार नहीं है ।

*११--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

[८ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*१२--१३--श्री चन्द्रबलीसिंह--

[हटा दिये गये ।]

*१४--१५--श्री लखपतराम शर्मा--

[हटा दिये गये ।]

गाजीपुर जिले में नलकूप

*१६--श्री झिलमिटराम (जिला गाजीपुर)--

क्या सिंचाई मंत्री १० मार्च, सन् १९६४ के प्रश्न २ के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि उक्त प्रश्न के उत्तर देने के आश्वासन के अनुसार ग्राम मलेठी व चौथी व नेखतपुर और देवा में नलकूप लगा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल--

ग्राम चौथी तथा नेखतपुर का सर्वेक्षण अभी पूर्ण नहीं हुआ है । ग्राम मलेठी का क्षेत्र ऊसर तथा धानी है इसलिये वहां पर नलकूप निर्माण उपयुक्त न होगा । ग्राम देवा में नलकूप लगा दिया गया है ।

सरसावा क्षेत्र में जमुना की बाढ़ योजना

*१७--श्रीमती शकुन्तलादेवी (जिला सहारनपुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष १९६४ जिला सहारनपुर में सरसावा क्षेत्र में जमुना बाढ़ के कारण कुतुबपुर गांव का जो कुछ हिस्सा पानी में आ गया है उसको बांध के द्वारा या ठोकर के द्वारा ठीक कराने की व्यवस्था की गई है । यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल--

एक योजना १३.७७ लाख रु० लागत की बनाई गई थी । यह लागत होने वाले लाभ की अपेक्षा बहुत अधिक पाई गई । अतः इस योजना को कार्यान्वित करना व्यवहार्य नहीं समझा गया ।

रोडवेज बुकिंग कार्यालय, राजेपुर बन्द होना

*१८—श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फतेहगढ़, शाहजहांपुर रोड पर फर्रुखाबाद जिले में ही राजेपुर के रोडवेज का बुकिंग कार्यालय कई वर्ष पहले था जिसको बाद में समाप्त कर दिया गया जब कि १० मील तक इधर-उधर कोई बस स्टेशन नहीं है और इस क्षेत्र के निवासियों के लिये यातायात का कोई साधन नहीं है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

औसत आय बहुत कम होने के कारण यह बुकिंग आफिस बन्द कर दिया गया ।

*१९—श्री महरामसिंह तथा श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या परिवहन मंत्री फर्रुखाबाद से फतेहगढ़ होती हुई राजेपुर तक सिटी बस तुरन्त चलवाने की व्यवस्था करेंगे जिससे उस क्षेत्र की जनता को यातायात की सुविधा हो सके और राजेपुर से बुकिंग कार्यालय की स्थापना का आदेश देंगे ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी नहीं क्योंकि यह सम्भव नहीं है ।

बाराबंकी जिले का बिजली

*२०—श्री गिरजाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम्य विद्युतीकरण परियोजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण करने हेतु बाराबंकी जिला में विकास क्षेत्रवार किन-किन स्थानों का सर्वेक्षण करके अनुमान तैयार किया जा रहा है और उनमें किस वित्तीय वर्ष तक बिजली दे दी जायेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

ग्रामों में विद्युतीकरण किये जाने की सूचना विकास क्षेत्रवार नहीं रक्खी जाती है । तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अभी तक बाराबंकी जिले के ६१ स्थानों का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है जिसमें प्रथम ३० स्थानों का विद्युतीकरण हो चुका है जिनकी सूचना संलग्न सूची में दी हुई है । शेष स्थानों का विद्युतीकरण तृतीय पंचवर्षीय योजना के अवशेष काल में होने की सम्भावना है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ७६८ पर)

रोडवेज क्षेत्र, शाहजहांपुर में ड्राइवरों व कण्डक्टरों का वेतन काटना

*२१—श्री सुरेन्द्रविक्रम तथा श्री महरामसिंह—

क्या परिवहन मंत्री को पता है कि शाहजहांपुर रोडवेज में चालकों को तथा परिचालकों को उनकी ड्यू छुट्टी नहीं दी जाती है और यदि कोई व्यक्ति छुट्टी का प्रार्थना-पत्र दे कर चला जाता है तो उसकी तनख्वाह काट ली जाती है ? यदि हां, तो अब तक कितने चालकों और परिचालकों की तनख्वाह काटी गई ?

श्री मुजफ्फर हसन—

ड्राइवरों और कन्डक्टरों को उनकी आवश्यकता और सरकारी कार्य दोनों को ध्यान में रख कर छुट्टी दी जाती है । जो लोग बगैर छुट्टी स्वीकृत कराये चले गये थे उनका वेतन काटा गया है । अब तक १०९ ड्राइवरों तथा ६७ कन्डक्टरों की तनख्वाह काटी गई ।

रोडवेज क्षेत्र, इलाहाबाद में ए० टी० आई० की नियुक्तियां

*२२—श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद रीजन परिवहन विभाग में सन् १९६१ से अब तक कन्डेक्टर, क्लर्क तथा बाहर से कितने अलग-अलग ए० टी० आई० बनाये गये हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

ए० टी० आई० के पद पर कुल ४९ नियुक्तियां हुई जिनमें से २४ सीधी भर्ती तथा १५ क्लर्कों व १० कन्डक्टरों की पदोन्नति द्वारा की गई ।

*२३—२४—श्री मूलचन्द शास्त्री—

[९ वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*२५—२७—श्री दयाराम शाक्य—

[९ वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*२८—श्री कृष्णचन्द्र—

[हटा दिया गया ।]

*२९—श्री रघुनाथसिंह—

[९ वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

जौनपुर ब्रांच नहर से सिंचाई

*३०—श्री भगौतीदीन (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शारदा नहर की जो शाखा जौनपुर ब्रांच के नाम से जौनपुर जिले में गई है वह मौके पर बमूजिब मंजूरशुदा नक्शा व खर्चा तक नहीं बनायी गयी ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं ।

*३१—श्री भगौतीदीन—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि जौनपुर ब्रांच नहर बजाय मुताबिक मंजूरशुदा नक्शा व खर्चा के मौके पर वे बनने के योजना के मुताबिक किसानों के खेतों को सिंचाई नहीं करती हैं और पूरा पानी छूटने से जगह-जगह अक्सर टूट जाती है और फायदे के बजाय किसानों का नुकसान करती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर जिस कर्मचारी ने ऐसा किया है उसको सजा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्न नहीं उठता ।

*३२—श्री भगौतीदीन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर ब्रांच नहर की सफाई तीन, चार साल से नहीं कराई गई और उसका पैसा सरकारी कर्मचारियों ने बरामद करा लिया है और फलस्वरूप सन् १९६४–६५ की रबी की फसल जिसको सिंचाई किसानों की ३१ वें मील के इस लये नीचे नहीं हो सकी कि नहर की तलेटी में सेवार घास ज्यादा जम आई है और पानी ३१ वें मील के नीचे आ सका । यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करके किसानों को मुआवजा देगी ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं ।

३१ वें मील के नीचे पानी ले जाने में कठिनाई अवश्य हुई । फिर भी रजबहे को चालू रखकर सेवार की सफाई कराई गई और कृषकों को सिंचन सुविधा पहुंचाई गई ।

कानपुर जिले में नुनारी माइनर से सिंचाई

* ३३—श्री नित्यानन्द पाण्डेय (जिला कानपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर जिला स्थित मंगलपुर, रजबहा, माइनर नुनारी की सफाई विगत ३ वर्षों से नहीं कराई गई और क्या यह सही है कि सन् १९६४ के नवम्बर तक नुनारी माइनर की सफाई नहीं हुई है ?

श्री गिरधारीलाल—

यह सही नहीं है कि नुनारी माइनर की सफाई पिछले तीन वर्षों से नहीं हुई । नवम्बर दिसम्बर, १९६४ में भी इसकी सफाई कराई गई ।

*३४—श्री नित्यानन्द पांडेय—

क्या यह सही है कि मंगलपुर, रजबहा, माइनर नुनारी जो कानपुर जिले के अन्तर्गत है, उसमें मुर्रा, मुपतियापुर, नुनारी और कपासी ग्रामों को पानी १९६२, ६३, ६४ में नहीं मिला ? यदि हां, तो क्यों और क्या सरकार इस बात की जांच कराकर सदन की मेज पर रखेगी कि उक्त माइनर की सफाई के नाम कितनी रकम सन् १९६२, १९६३, १९६४ में कम हुई और ठेकेदारों के क्या नाम हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं । ग्राम मुर्रा, नुनारी और कपासी को १९६२, ६३, ६४ में पानी मिला है । ग्राम मुपतियापुर में इस माइनर से सिंचाई होने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि इस ग्राम का रकबा इस माइनर पर नहीं है ।

इस माइनर की सफाई पर १९६२–६३, ६३–६४ व ६४–६५ में क्रमशः ४९२ रु०, ५३६ रु० तथा ७४३ रु० की रकम व्यय हुई और सफाई का कार्य तीनों बार श्री झब्बू लाल ठेकेदार ने किया ।

बांदा–इलाहाबाद बस सर्विस की मांग

*३५—श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बांदा-इलाहाबाद रोड पर सरकार की ओर से यू० पी० बस सर्विस चलती है ? यदि नहीं, तो सरकार बांदा से इलाहाबाद में चलने वालों की अधिक संख्या को देखते हुये सरकार बस सर्विस चालू करने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब से शुरू करेगी ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी नहीं, लेकिन इस मार्ग पर रोडवेज की बस सर्विस चलाने के लिये राष्ट्रीयकरण की कार्यवाही जारी है । राष्ट्रीयकरण के बाद रोडवेज बस सर्विस चालू हो सकेगी । फिलहाल कोई निश्चित समय बताना सम्भव नहीं है ।

बुन्देलखण्ड में सिंचाई साधनों का अभाव

*३६—श्री बृजमोहन लाल गुप्त तथा श्री राम किशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बुन्देलखंड डिवीजन में सिंचाई के साधनों का अभाव है जिसकी वजह से कृषि उत्पादन नहीं बढ़ पाता ? यदि हां, तो क्या सरकार लघु सिंचाई योजनाओं को

खास तौर के उत्तम क्षेत्र में चालू करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं ।

*३७—३८—श्री जगदीशप्रसाद पांडेय—

[८ वें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या ६५–६६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

कन्नौज तथा गुरुसहायगंज बस स्टेशन पर पानी भर जाना

*३९—श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या परिवहन मंत्री को इस बात की जानकारी है कि फर्रुखाबाद जिले में कन्नौज और गुरसहायगंज बस स्टेशन पर, जहां गाड़ी खड़ी होती है, पानी भरा रहता है और यात्रियों को पानी और कीचड़ में घुसकर ही बस पर बैठना होता है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

अधिक वर्षा होने पर ही कन्नौज बस स्टेशन के मुख्य द्वार पर तथा गुरसहायगंज के भवन और सड़क के बीच की भूमि पर पानी भर जाता है व कीचड़ हो जाती है जिससे असुविधा होती है ।

*४०—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

अगर हां, तो क्या सरकार शीघ्र ही ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे यात्रियों को इस मुसीबत से छुटकारा मिल सके अथवा इस दिक्कत को देखते हुये दूसरी जगह बस स्टेशन बनाने पर मंत्री जी विचार कर रहे हैं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

कन्नौज बस स्टेशन की भूमि को ऊंचा करने का प्रबन्ध किया जा रहा है । गुरसहायगंज बस स्टेशन और सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क के बीच की भूमि को ऊंचा कराने तथा इस पर ईंटे बिछाने की व्यवस्था की जा रही है ।

नलकूपों से लगे कमरे

*४१—श्री उमाशंकर तिवारी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि नलकूपों में लगे हुये कमरों में नलकूप आपरेटर अपना आफिस रखे हुये हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं ।

*४२—श्री उमाशंकर तिवारी—

क्या यह सही है कि उन कमरों का आपरेटरों से यह कहकर उनसे किराया वसूल होने जा रहा है कि वे उनके क्वार्टर हैं ? यदि हां, तो उनके आफिस अब कहां रहेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्न नहीं उठता ।

*४३—श्री पितईराम (जिला रायबरेली)—

[हटा दिया गया ।]

श्री उग्रसेन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने के लिए हाईकोर्ट से इजाजत मांगना

*४४—श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री उग्रसेन एम० एल० ए०, देवरिया ने अपने विधान सभा के चुनाव के विरुद्ध इलेक्शन पिटीशन में जिला जज के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील कब की थी ? उसका फैसला कितने दिनों में हुआ तथा मुकदमा सिविल जज या बेंच आफ जजेज के समक्ष हुआ ?

श्री सैयद अली जहीर—

हाईकोर्ट ने सूचित किया है कि अपील ५ नवम्बर, १९६२ को दायर की गई थी लेकिन नोटिस वगैरह के तामील होने और कुछ दरमयानी कार्यवाहियों (इन्टर लोकेटरी प्रोसीडिंग्स) को निबटाने के बाद वह सुनवाई के लिये ५ नवम्बर, १९६३ को तैयार हुई थी। बहस ५ दिसम्बर १९६३ तक पूरी हुई और फैसला ८ जनवरी, १९६४ को सुनाया गया था। सुनवाई के लिये तैयार होने के बाद से अपील का फैसला होने तक ६३ दिन लगे। अपील की सुनवाई और फैसला कोर्ट की डिवीजन बेंच ने किया था।

*४५—श्री ईश्वरशरण—

क्या सरकार बताने की कृपा करगी कि उक्त हाईकोर्ट के इजलास के फैसले के खिलाफ उक्त इजलास से अपील के लिये प्रतिवादी ने इजाजत मांगी जो उक्त इजलास ने खारिज कर दी ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि यह फैसला खारिज कितने दिनों में हुआ ?

श्री सैयद अली जहीर—

हाई कोर्ट ने सूचित किया है कि एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिये २ मई, १९६४ को दाखिल की गई थी, जो अपील की सुनवाई करने वाली डिवीजन बेंच द्वारा ९ अक्तूबर, १९६४ को खारिज कर दी गई।

*४६—श्री ईश्वरशरण—

क्या यह सत्य है कि हाई कोर्ट से, अपील करने की इजाजत न देने के फैसले की जो नकल प्रतिवादी ने अपील सुप्रीम कोर्ट में उनके फैसले के खिलाफ करने के लिये मांगी है उसको वह अभी तक नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि फैसले के नकल की दरख्वास्त दिये हुए कितने दिन हुये तथा नकल मिलने में अभी और कितने दिन लगेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—

हाईकोर्ट ने सूचित किया है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिये दी गई दरख्वास्त को खारिज किये जाने के मुताल्लिक कोर्ट के ९ अक्टूबर, १९६४ के फैसले की नकल के लिये कोई दरख्वास्त अभी तक दी गई मालूम नहीं होती। तो भी इस बारे में और जानकारी की जा सकती है अगर किसी ऐसी दरख्वास्त की पूरी तफसील कोर्ट को दी जावे।

हमीरपुर जिले में बरमा नदी पर बांध बनाने की योजना

*४७—श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हमीरपुर में बरमा नदी पर बांध बनाने की योजना बनाई जा रही है जिसमें लगभग १५, १६ ग्राम डूब (गरकी) में आ रहे हैं और वे ग्राम बड़ी-बड़ी जन-संख्या के ग्राम हैं जिसमें कस्बा पनवाड़ी एक बड़ा कस्बा है ?

श्री गिरधारीलाल—

बरमा नदी पर बांध बनाने की योजना का सर्वेक्षण हो रहा है । प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर केवल ६ गांवों की आबादी जलमग्न होगी और पनवाड़ी ग्राम जो कि एक बड़ा गांव है, डूब में नहीं आयेगा ।

माताटीला बांध से बुन्देलखंड को बिजली

*४८—श्री शिवसम्पति शर्मा (जिला जालौन)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माताटीला बांध से बुन्देलखंड क्षेत्र को बिजली प्रारम्भ कर दी गई है ?

श्री गिरधारीलाल—

बुन्देलखंड क्षेत्र को माताटीला विद्युत् गृह से २८ फरवरी, १९६५ से बिजली की सप्लाई प्रारम्भ कर दी गई है जिसका विज्ञापन विभिन्न पत्रों में भी हो चुका है ।

*४९—श्री शिवसम्पति शर्मा—

क्या सरकार की जानकारी में है कि माताटीला बांध से बिजली का रेट वही रक्खा गया है जो कि पावर से चलने वाले इंजन से लिया जाता है ?

श्री गिरधारीलाल—

माताटीला विद्युत् गृह से दी जाने वाली बिजली की दर गंगा शारदा क्षेत्र की बिजली की दरों के समान है । यह दर तेल से चलने वाले इंजन की दर से कम है ।

*५०—श्री शिवसम्पति शर्मा—

क्या सरकार इस बात को देखते हुये कि बुन्देलखंड में इंडस्ट्रीज का काम नहीं के बराबर है इसको जागृत करने के लिये इंडस्ट्रीज के काम के लिये कानपुर का जो रेट इंडस्ट्रीज के लिये है उसी रेट पर बिजली सप्लाई करने का प्रबन्ध करेगी जिससे कि बुन्देलखंड में इंडस्ट्रीज लगाने में लोगों को प्रोत्साहन मिल सके और उत्पादन में भी कानपुर से कम्पटीशन किया जा सके ?

श्री गिरधारीलाल—

उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये इस क्षेत्र में राज्य विद्युत् परिषद् ने बिजली की दरों में पहले ही से कमी कर रखी है जो कि पहले से बहुत कम है ।

*५१-५२—श्री सन्तसिंह यूसुफ—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये ।]

*५३—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

देवरिया जिले में सिंचाई कार्यों के लिए सीमेंट

*५४—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले में सन् १९६४-६५ के वित्तीय वर्ष के सिंचाई विभाग के निर्माण-कार्य हेतु सीमेंट की व्यवस्था नहीं की गयी है जिसके कारण इस सिंचाई विभाग का सारा निर्माण-कार्य रुक गया है ? यदि हां, तो कारण क्या है और क्या सरकार, जिस अधिकारी की लापरवाही के कारण सीमेंट की व्यवस्था नहीं हो पाई है, उसे सजा देने की सोच रही है ? कृपया तत्काल सीमेंट की व्यवस्था करके उक्त निर्माण-कार्य को पूरा करायेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—जी नहीं ।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

स्कूटर के लिए विधायकों के प्रार्थना-पत्र

*५५—सर्वश्री राजेंद्रसिंह आदि—

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री नाथू राम शिक्षक सदस्य विधान सभा के १ मार्च, १९६५ के तारांकित प्रश्न ३७ के उत्तर में जो कहा है कि जितनी भी दरख्वास्तें आती हैं वह सभी लिस्ट में दर्ज कर दी जाती हैं ? तो लिस्ट में दर्ज करने एवं प्राथमिकता दिये जाने का क्या आधार है?

श्री मुजफ्फर हसन—

स्कूटरों की संख्या कम होती है जरूरत के लिहाज से एलाटमेंट करने की कोशिश की जाती है ।

*५६—सर्वश्री राजेंद्रसिंह आदि—

क्या परिवहन मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, १९६४ में प्रार्थना-पत्र दिये जाने वाले श्री समीदुल हसन, एम०एल०सी० को स्कूटर जनवरी, मार्च, मई, जून एवम् जुलाई, १९६४ में देने वाले विधायकों से पहले देकर विधायकों के बीच में भेदभावपूर्ण नीति को क्यों अपनाया गया है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं है जैसा ऊपर के प्रश्न के उत्तर से जाहिर होगा ।

*५७—सर्वश्री राजेंद्रसिंह आदि—

क्या परिवहन मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि १९६४ में २६ विधायकों में से जिन ९ विधायकों को स्कूटर प्राप्त हो गये हैं उनके बाद अब शेष को उनके प्रार्थना-पत्र के दिनांक के अनुसार प्राथमिकता देकर शीघ्रातिशीघ्र स्कूटर दिलाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो शेष १७ विधायकों को क्रमशः किस-किस महीने में स्कूटर प्राप्त हो जावेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—

इसके बारे में कहना संभव नहीं है ।

*५८—श्री रामसूरतप्रसाद—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*५९—श्री अवधनारायण प्रतापसिंह—

[९वें मंगलवार के लिये स्थगित किया गया।]

नहर पतरौल, श्री छोटेलाल गुप्ता की अपील

*६०—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सिंचाई मंत्री, श्री छोटे लाल गुप्ता, पतरौल, सिंचाई विभाग सीतापुर डिवीजन द्वारा जो अपील एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के विरुद्ध अधीक्षण अभियन्ता, पंचम वृत्त, बरेली के पास हुई थी और उस पर जो निर्णय तारीख २२ दिसम्बर, १९६० ई० को अधीक्षण अभियन्ता ने दिया है, जिसका नम्बर डी-२०२७४ पी/पी-४० है, उसको सदन के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल--

श्री छोटेलाल गुप्ता ने जो अपील अधीक्षण अभियंता, पंचम वृत्त, बरेली को की थी, उसकी प्रतिलिपि तथा उस पर निर्णय जो अधीक्षण अभियन्ता ने अपने पत्र संख्या डी २०२७४वी/पी४० दिनांक २२-१२-६० से दिया था, उसकी †प्रतिलिपि संलग्न है ।

*६१--श्री रियासत हुसैन--

क्या सिंचाई मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त निर्णय को अभी तक नीच के कर्मचारियों में पूर्णतया व्यवहार रूप में परिणत क्यों नहीं किया है और उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध क्यों श्री छोटेलाल को उनके अधिकारों और हकों से वंचित किया जा रहा है ?

श्री गिरधारीलाल--

जी नहीं, ऐसा नहीं है । श्री गुप्ता अपनी ज्येष्ठता के अनुसार २५-३-६३ से अमीन के पद पर कार्य कर रहे हैं ।

*६२--श्री रियासत हुसैन--

क्या यह सच है कि श्री छोटेलाल को उपरोक्त निर्णय के विरुद्ध दिनांक २२ दिसम्बर, १९६० से २४ मार्च, १९६३ तक अमीन न मानकर उनके सारे आर्थिक हक मारे गये हैं जबकि अमीन की जगह खाली भी थी और श्री छोटे लाल ही एक मात्र उस वैधानिक उचित नियुक्ति के अधिकारी थे ?

श्री गिरधारीलाल--

अमीन के आर्थिक हक अमीन पद पर काम करने की तिथि से ही शुरू होते हैं । अतः इसके पूर्व आर्थिक हक होने का प्रश्न नही नहीं उठता । अमीन की जगह भी खाली नहीं थी । वैधानिक उचित ज्येष्ठता श्री छोटे लाल को दे दी गई है ।

मिधौली गांव के तालाब से नाला निकालने की योजना

*६३--श्री कोतवालसिंह भदौरिया--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि फर्रुखाबाद जिले के विकास खंड छिबरामऊ के अन्तर्गत मिधौली गांव से बहुत बड़े तालाब से जिसमें पानी भरा रहने के कारण ढाई सौ एकड़ जमीन पर किसी प्रकार की फसल नहीं हो पाती है ? एक नाला खुदाने की व्यवस्था करने की कृपा करेगी ताकि हजारों मन गल्ला पैदा होकर गांव का किसान खुशहाल हो सके ?

श्री गिरधारीलाल--

सर्वेक्षण के पश्चात् नाला बनाने की योजना पर निर्णय लिया जायगा ।

गाजीपुर जिले को बिजली

*६४--श्री राजनाथसिंह (जिला गाजीपुर)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के अन्तर्गत मनिहारी, जखनियां तथा सादात विकास खंडों में किन-किन गांवों में वित्तीय वर्ष, १९६४-६५ तथा १९६५-६६ में विद्युतीकरण का प्रस्ताव है और उसका आधार क्या है ?

---

†छापी नहीं गयी ।

श्री गिरधारीलाल—

स्थानों के विद्युतीकरण का रिकार्ड विकास खंडों के अनुसार नहीं रखा जाता वरन् जनपद के अनुसार रखा जाता है । गाजीपुर जनपद में १९६४–६५ में १८ स्थानों के विद्युतीकरण हो जाने का प्रस्ताव है जिनकी सूचना संलग्न सूची 'अ' में दी गई है । इनमें से प्रथम १७ स्थानों का विद्युतीकरण अब तक हो चुका है । वित्तीय वर्ष १९६५–६६ में ७० स्थानों के विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है जिनकी सूचना संलग्न†सूची "ब" में दी गई है । अन्य स्थानों में सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है । केवल उन्हीं स्थानों को विद्युतीकरण करने के लिय चुन लिया जाता है जिनके लिये १००० जन-संख्या पर १।। मील लम्बी लाईन का निर्माण करना पड़े ।

*६५—श्री राजनाथसिंह—

क्या सिंचाई मंत्री को गाजीपुर जनपद के सादियाबाद क्षेत्र के गांवों में विद्युतीकरण के लिये कोई प्रार्थना-पत्र अप्रैल, सन् १९६३ और अगस्त, १९६४ में प्राप्त हुये थे ? यदि हां, तो उसके अनुसार किन-किन गांवों का सर्वेक्षण हुआ और कौन से गांव योजना में सम्मिलित किये गये ?

श्री गिरधारीलाल—

गाजीपुर जनपद में सादियाबाद ब्लाक के गांवों के विद्युतीकरण के लिये एक प्रार्थना-पत्र फरवरी, १९६४ में प्राप्त हुआ था । इन में २७ स्थानों का सर्वेक्षण कर लिया गया है जिनकी सूचना संलग्न सूची †'ख' में दी गई है । इनमें से प्रथम ९ स्थानों को विद्युतीकरण करने के लिये चुन लिया गया है । शेष १८ स्थानों का विद्युतीकरण राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा निर्धारित माप दंड के अनुसार संभव नहीं है ।

*६६—श्री राजनाथसिंह—

उक्त सर्वेक्षित ग्रामों में विद्युतीकरण का कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री गिरधारीलाल—

विद्युतीकरण के लिय चुने गये स्थानों का विद्युतीकरण १९६५–६६ में हो जायेगा ।

अतारांकित प्रश्न

कानपुर क्षेत्र में रोडवेज कर्मचारियों को वर्दी

१—श्री दयाराम शाक्य—

परिवहन मंत्री कृपया यह बताने का कष्ट करेंगे कि रोडवेज के कानपुर क्षेत्र में वरदी के लिये जो ऊनी कपड़ा स०या० निरीक्षकों को दिया गया ? क्या वही कपड़ा सामान्य प्रबन्धक के चपरासियों को भी दिया गया ? अगर ऐसा नहीं है, तो दोनों की वर्दियों के कपड़ों का मूल्य प्रति मीटर बताया जावे ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी नहीं । सहायक यातायात निरीक्षकों को जो ऊनी कपड़ा दिया गया उसका मूल्य ९ रुपया प्रति मीटर था और सामान्य प्रबन्धक के चपरासियों को जो ऊनी कपड़ा दिया गया उसका मूल्य ७ रुपया ८५ पैसा प्रति मीटर था ।

---

†छापी नहीं गई ।

२—श्री दयाराम शाक्य—

परिवहन मंत्री कृपया यह भी बतलाने का कष्ट करें कि उत्तर प्रदेश रोडवेज विभाग के बस चालकों को जो ऊनी कपड़ा दिया गया है, क्या वह स० या० निरीक्षकों की ऊनी वर्दियों से बहुत अच्छा है ? दोनों कपड़ों के प्रति मीटर के मूल्य भी बताये जावें ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी नहीं । चालकों के लिये जो ऊनी कपड़ा १९६४–६५ में खरीदा गया था वह मिल का बना दोहरी चौड़ाई का था और उसका मूल्य १५ रुपया प्रति मीटर था । सहायक यातायात निरीक्षकों को १९६३–६४ में जो ऊनी कपड़ा दिया गया था वह अल्मोड़ा वूल स्कीम क अन्तर्गत ऊनी खादी का बना था वह एकहरी चौड़ाई का था और उसका मूल्य ९ रुपया प्रति मीटर था ।

फतेहपुर जिले को बिजली

३—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वह वर्ष १९६४–६५ के अंतिम समय तक या वर्ष १९६५–६६ के प्रारम्भ में फतेहपुर जिले के महत्वपूर्ण एवं अधिकाधिक जन-संख्या वाले ग्रामों, जहां सिंचाई की भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है और जहां विद्युत के अभाव में कुओं से भी सिंचाई नहीं की जा सकती, अमौली, चांदपुर, जाफरगंज, ललौली, कोरकिनक के लिये विद्युत् लाइन लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्न में उल्लिखित अमौली, चांदपुर, ललौली, कोरकिनक ग्रामों को विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित कर लिया गया है और १९६५–६६ में इन का विद्युतीकरण होने की संभावना है । जाफरगंज का सर्वेक्षण करने के लिये आदेश दे दिये गये हैं और यदि उसका विद्युतीकरण राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार संभव पाया जायेगा तो उचित समय पर उसका भी विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ।

४—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि उपरोक्त ग्रामों में से बिजली लगाने और उसकी उपयोगिता के औचित्य को देखने के लिये कई का सर्वेक्षण किया जा चुका है जिससे स्पष्ट है कि वहां बिजली की कितनी आवश्यकता है, फिर भी इस सत्य का अनुभव करते हुए अब तक बिजली की लाइन न लगाने का व्यवहारिक औचित्य क्या है ? और अंतिम रूप से किन-किन ग्रामों को कब तक बिजली की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्न ३ के उत्तर में कहा जा चुका है कि अमौली, चांदपुर, ललौली, कोरकिनक ग्रामों को विद्युतीकरण के लिये चुन लिया गया है और उनका विद्युतीकरण १९६५–६६ में होने की संभावना है । जाफरगंज का विद्युतीकरण भी उचित समय पर कर दिया जायेगा यदि वह सर्वेक्षण करने पर राज्य विद्युत् परिषद् द्वारा निर्धारित मापदंड के अन्तर्गत आ जायेगा ।

कटेहर क्षेत्र में सिंचाई

५—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी के कटेहर विधान सभा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष १९६४–६५ में पिछले वर्ष से लघु और वृहद सिंचाई योजनाओं द्वारा अलग-अलग कितनी एकड़ भूमि की सिंचाई क्षमता बढ़ाई गई और आगामी वित्तीय वर्ष, १९६५–६६ में अलग-अलग कितनी बढ़ जावेगी ?

श्री गिरधारीलाल—

उक्त क्षेत्र में राजकीय लघु सिंचन योजनाओं द्वारा वित्तीय वर्ष १९६४–६५ में पिछले वर्ष की तुलना में सिंचाई क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई है और आगामी वित्तीय वर्ष १९६५–६६ में इन कार्यों द्वारा २,२२० एकड़ अतिरिक्त भूमि को सिंचन सुविधायें प्रदान कराने का प्रस्ताव है। वृहत् सिंचन योजनाओं द्वारा इस क्षेत्र में सिंचन क्षमता का उत्पादन नहीं हुआ।

एस० टी० ए०, लखनऊ के यहां विचाराधीन अपीलें

६—श्री कृष्णचन्द (जिला झांसी)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की रीजनल ट्रांसपोर्ट अथार्टियों के निर्णयों के विरुद्ध कितनी अपीलें लखनऊ की एस० टी० ए० के यहां सन् १९६१ के आरम्भ में पेंडिंग में थीं और उनमें कितनी-कितनी किस-किस वर्ष में दायर की गई थीं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जनवरी १,१९६१ को कुल ३३१ अपीलें स्टेट ट्रांसपोर्ट एपिलेट एथारिटी के सामने पेंडिंग थीं। उनमें से १६,१९५७ में, २०, १९५८ में, ४१,१९५९ में और २५४,१९६० में दायर की गई थीं।

७—श्री कृष्णचन्द—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६१, ६२ व १९६३ में कितनी-कितनी अपीलें दायर हुई थीं और कितनी-कितनी अपीलें किस-किस वर्ष फैसल हुईं ?

श्री मुजफ्फर हसन—

अपील दायर हुईं				अपील	फैसला हुईं
१९६१	..	..	..	४५९	.. १९४
१९६२	..	..	..	४४५	.. २६१
१९६३	..	..	..	७९१	.. ४११

८—१३—श्री उग्रसेन—

[९ वें मंगलवार के लिये स्थगित किये गये।]

तहसीलदार सलोन द्वारा दफा ३२३ के मुकदमों का फैसला

१४—श्री पितईराम—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६३ ई० स माह जनवरी, सन् १९६५ तक कितने केस ३२३ धारा के जिला राय बरेली, तहसील सलोन के तहसीलदार महोदय के इजलास में दर्ज हुये ?

श्री सैयद अली जहीर—

३८ केस।

१५—श्री पितईराम—

क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त केसों में कितने खारिज हो गये और कितनों में फैसले हुये तथा कितने अभी पेंडिंग हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—

१६ केस खारिज हुये, १५ मुकदमे फैसल हुये और ७ केस मार्च के अन्तिम पखवारे तक पेंडिंग थे।

वाराणसी जिले में सिंचाई मशीनों की सप्लाई

१६—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैकेनिकल पार्ट, जैसे पाइप, सेफ्ट बेयरिंग मशीन सम्बन्धी वाराणसी में सप्लाई (भोरा तथा कजहिया) द्वारा किया जा रहा है, जब कि इनका सामान खराब होने की वजह से कन्ट्रैक्ट समाप्त कर दिया गया था और दिसम्बर, १९६४ से तथा जनवरी, १९६५ से फिर शुरू कर दिया गया है ? ऐसा क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

भोरा तथा कजहिया नाम की किसी फर्म ने वाराणसी जिले के सिंचाई व नलकूप खंडों में मेकेनिकल पार्ट जैसे पाइप, बेयरिंग, मशीन सम्बन्धी सप्लाई न तो पहले ही की थी और न अब कर रही है ।

हरदोई जिले में भीषण वर्षा से क्षति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

मैंने माननीय परमाई लाल की हरदोई जिले में भीषण ओला के कारण जो फसल में क्षति हुई है, उस सूचना को स्वीकार कर के माननीय राजस्व मंत्री के पास भेज दिया है । शेष के सम्बन्ध में मैंने आदेश दे दिया है, कृपा करके माननीय सदस्य देख लें ।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

एक मैंने कानपुर का दिया था. . . . . .

श्री अध्यक्ष—

मैंने आदेश दिया है, कृपा करके देख लें ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मैंने दिया था ७,००० आदमियों को तनख्वाहें नहीं मिलीं ? कहिये तो अल्पसूचित प्रश्न कर दूं ।

श्री अध्यक्ष—

उसको आप देख लें ।

गोंडा जिले के भगवानपुर सरोवर के बैरेज की दीवार फट जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

यह सही है कि गोंडा जिले में नवनिर्मित भगवानपुर सरोवर के बैरेज की रिटर्न विंग दीवाल में १५ फिट ऊंचाई तक दरार पड़ गई थी । इस दरार की मरम्मत करा दी गयी है । मरम्मत का कार्य उसी ठेकेदार ने जिसने बैरेज का निर्माण किया था, जिसकी लागत लगभग ३०० रुपया पड़ी । यह धनराशि ठेकेदार से वसूल की जायगी । इस दरार के पड़ने के कारण किसी प्रकार की क्षति कृषकों को या अन्य किसी को नहीं हुई है । सरकार को भी क्षति नहीं हुई है क्योंकि मरम्मत का खर्च ठेकेदार से ही वसूल कर लिया जायगा । यह कहना ठीक नहीं है कि सरोवर से निकलने वाली नहर पानी छोड़ते ही दोनों तरफ से बह गयी ।

श्री सुखदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह बैरेज डेढ़ साल पहले बन गया और उसमें एक सब-डिप्टी साहब इंजीनियर भी थे और जिस समय गड़बड़ी हो रही थी तो उनका उसी समय ट्रांस्फर कर दिया गया ? यदि हां, तो किस पद पर और कहां वह भेजे गये ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

गड़बड़ी की बात तो मालूम नहीं। कहां ट्रांस्फर हुआ, इसकी भी सूचना नहीं है। कोई गड़बड़ी हुई ही नहीं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

क्या यह सही है कि जब स बांध बन रहा था उसी समय स जो सरकारी कर्मचारी और ठेकेदार उसमें लगे हुये थे उनके खिलाफ शिकायतें आ रही थीं कि वह गड़बड़ी कर रह थे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसकी जानकारी मुझे कुछ नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

यह दरार क्यों पड़ी, क्या इसकी कुछ जांच हुई ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

एक रिटेंशन वाल दूसरी थी उसमें दरार पड़ गयीं। उसम पैचज लगा दिये गय हैं और यह जांच हो रही है कि यह नार्मल दरार हैं या इसकी कोई और वजह है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या मंत्री जी ने इसकी जांच करवाई है कि यह जो दरार हुई है यह सूराख किसी असावधानी से हुआ ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह कहना ठीक है कि किसी की असावधानी से हुआ है। यह जांच हो रही है। नार्मल तरीके से भी दरार पड़ सकती है।

श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—

यह जो बांध बन रहा था उसी अवसर पर एस० डी० एम० बलरामपुर क यहां सीमेंट चोरी का मुकदमा चल रहा था जो इसी बांध से संबंधित था, क्या यह सही है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इसकी मुझे सूचना नहीं है।

श्री सुखदेवप्रसाद—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह बैरेज कब बनकर तैयार हुआ और कितने दिन बाद यह टूटा और किस दिन उसकी मरम्मत की गयी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह तो थोड़े ही दिन बने हुये हैं, तारीख की सूचना मरे पास नहीं है।

श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)—

क्या यह सच है कि भगवानपुर सरोवर की बैरेज का मैग्जिमम वाटर लेविल और नूकटी नदी का बेड लेविल में इतना अन्तर है कि वाटर थ्रस्ट और अर्थ प्रेशर तथा तमाम किस्म के दबाव से ओवर फ्लो होने के बाद बैरेज की दीवार फट सकती है और आसपास के ग्राम बह सकते हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

मुझे ऐसी सूचना नहीं है ।

श्री सूरजलाल गुप्त वकील—

मैंने अभी जो प्रश्न पूछा था क्या उसको सही मानकर उसकी जांच करायेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

आप लिखकर देंगे तो जांच करा लेंगे, वैसे मुझे तो कोई गड़बड़ी दिखाई देती नहीं ।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि जो मैटिरियल इस्तेमाल हुआ वह बहुत खराब हुआ है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

उसकी तो मरम्मत कर दी गयी है । इसकी जांच हम कर रहे हैं कि यह क्यों हुआ ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी इस ठेकेदार को जिसने इसे बनाया है तथा उस अधिकारी को जिसके सुपरवीजन में यह बना है ब्लैकलिस्ट तथा डिमोट करने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जो दरार पड़ी थी उसको तो ३०० रुपये खर्च करके ठीक करा दिया गया है (व्यवधान) ।

श्री अध्यक्ष—

वह कह चुके हैं कि जांच कर रहे हैं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

यह जांच जो वे कर रहे हैं, कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

इस की मरम्मत तो हो चुकी है, अब दरार अगर और बढ़ती है तो उसको देखा जायगा कि क्या बात है । अगर नहीं बढ़ती है तो यह नार्मल बात होगी, उसमें जांच क्या होगी । (व्यवधान)

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

आप उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करेंगे तथा उस अधिकारी को कोई सजा देंगे या नहीं जिसके कारण यह दरार पड़ी ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह तो दोनों बातें मैंने नहीं मानीं । यह तो नार्मल दरार मालूम होती है ।

श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)—

अभी ३ दिन पहले लोक सभा में एक प्रश्न के जवाब में यह बताया गया कि पूरे देश में एक साल के अन्दर १४ बांधों में दरार पड़ी हैं और डैमेज हुआ है तथा उनमें ३ उत्तर प्रदेश के हैं। तो क्या उन तीनों में एक यह बांध भी है ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

यह सचना मेरे पास नहीं है ।

कुंवर श्रीपालसिंह--

श्रीमन्, माननीय सुखदेव प्रसाद जी, जिनका कि यह प्रश्न है, उस बांध का मसाला ले आये हैं,जिनको आप देखें कि इसमें सीमेंट इतना कम है कि वह इस तरह से हाथ से टूटा जा रहा है । इसी कारण बांध बनने के साल भर के अन्दर ही वह दरार पड़ी, जब कि माननीय मंत्री जी यह कहते हैं कि नेचुरल दरार पड़ी । यह मसाला मैं माननीय मंत्री जी के पास भेज देता हूं, वे इसकी जांच किसी से करा लें । क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि यह मसाला इसी हिसाब से उस बांध में लगा है जिसके कारण यह दरार पड़ी और इसमें जो इंजीनियर और ठेकेदार थे उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

यह तो बांध की मिट्टी है जिसे न मालूम आप कहां से उठा कर ले आये हैं ।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद--

मैं माननीय मंत्री जी को आश्वासन देता हूं कि वे हमारे साथ चलें, मैं उस बांध से मसाला निकाल कर दूंगा, वे इसकी जांच करवा लें ।

श्री सुखदेवप्रसाद--

माननीय मंत्री जी को जो सूचना दी गयी है वह गलत है । जहां तक मरम्मत कर देने की बात है, मरम्मत का काम तो ३१-३-६५ को हुआ और मैंने स्वयं वहां जाकर देखा है कि अभी भी पानी उसके नीचे से बह रहा है । दूसरी दीवार की लम्बाई का नक्शा मेरे पास मौजूद है और दक्षिण किनारे की दीवार से पानी बह रहा है । मैं माननीय मंत्री जी को बतलाना चाहता हूं कि उसके बनाने में जितना मसाला व कंकरीट आदि पड़ना चाहिये था वह उचित मात्रा में नहीं डाला गया है और इस तरह से पूरे काम में ही भ्रष्टाचार है । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच के लिये कोई कमेटी नियुक्त करेंगे और जो दोषी पाये जायं उनको दंड देने की कृपा करेंगे ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा--

जब इस आदरणीय सदन के एक माननीय सदस्य कहते हैं तो वे यदि लिख कर देंगे तो मैं उसकी जांच जरूर करा लूंगा ।

विधान सभा सदस्य के प्रति बलरामपुर अस्पताल के डाक्टरों की उदासीनता

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

अध्यक्ष महोदय, अगर आप इजाजत दें तो एक बात ऐसी है जिसकी तरफ मैं आपका और माननीया मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

कहिये ।

श्री कल्पनाथसिंह--

श्रीमन्, कल रात को १ बजे इस सदन के सदस्य श्री नियामतुल्ला साहब की तबीयत खराब हो गयी, उनको लकवा लग गया और वे अस्पताल गये । उनको वहां पर ३ घंटे तक कोई भी डाक्टर देखने के लिये तैयार नहीं था, न इमर्जेन्सी का और न जेनरल मेडिकल आफिसर, उनको जेनरल वार्ड में रखा गया और जहां तक मेरी सूचना है, उनको जमीन पर रखा गया । इन बातों को सुन कर बड़ी तकलीफ हुई । वे गोरखपुर के सदस्य हैं और बलरामपुर अस्पताल का यह किस्सा है । तो मैं चाहता हूं कि माननीया मुख्य मंत्री जी इस पर अपने कुछ विचार प्रकट करें ।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

मैं खुद इसकी जांच कर लूंगी ।

*उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६५ (क्रमाबत)†

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट कर रहा था तो उसी समय सदन उठ गया था । इस विधेयक के सम्बन्ध में जो धारा ११७ का सब .टीट्यूट करने की बात है, उसी पर मैं बोल रहा था । इसमें अगर आप देखें तो गांव समाज के अन्दर जो सम्पत्ति वेस्ट हो गयी हो, चाहे वह भूमि हो, चाहे पेड़ हो या और कोई चीज हो, उसके बारे में सारे के सारे अधिकार इस धारा द्वारा व्यवस्थित होंगे । इन सारे अधिकारों की व्यवस्था नियमों में कर दी जायगी । उसके सम्बन्ध में कुछ विशेष बातों की ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । एक तो यह कि जमींदारी को टूटे हुये इतने वर्ष हो गये, लेकिन इसके बाद भी अगर गांव समाज की सम्पत्ति का कोई रजिस्टर ढूंढ़ा जाय कि गांव की कितनी भूमि है, उसके कितने पेड़ हैं तो आज भी उसका कोई लेखा-जोखा नहीं है । किस भूमि पर कौन-सा व्यक्ति कितना कब्जा किये हुये हैं उसमें इसका भी उल्लेख नहीं है । पेड़ों के बारे में भी यह है कि ग्राम सभा का प्रधान किसी भी व्यक्ति को बेच देता है और कटा लेता है और वह सम्पत्ति व्यक्तिगत लाभ में होती जा रही है । श्रीमन्, ११७ के बारे में जो चर्चा है उसके सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री से मांग करूंगा कि वह इस बात की व्यवस्था करा दें कि ग्राम समाज के अन्दर जितनी सम्पत्ति हो उसका लेखा ग्राम समाज के अन्दर होना चाहिये, उसके लिये आदेश देने की कृपा करेंगे ।

श्रीमन्, अपने प्रदेश में गोबध निषेध के लिये कानून बना रखा है । परन्तु जैसा कि देखा जाता है कि निरन्तर पशुधन का ह्रास होता जा रहा है । गांवों में जो गोचर भूमि थी वह भी धीरे-धीरे सूखती चली जा रही है और उन पर अनधिकृत कब्जा होता जा रहा है । जो थोड़ी-सी बाकी भी हैं वे भी विवादग्रस्त हैं । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो ग्राम समाज की भूमि पशुओं के लिये हो, उसके संरक्षण की व्यवस्था की जाय ।

सब से विशेष बात ११७ में जमीन को पट्टे पर उठाने की है । इस व्यवस्था में गड़बड़ हो रही है । भूमिहीनों को दिये जाने के बारे में इसमें जितनी भी व्यवस्था है उसका पालन नहीं हो रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि ११७ के अन्तर्गत तथा उसमें जो और नियम है उनमें ऐसी व्यवस्था करें कि लेखपाल जो भूमि प्रबन्धक समिति का सेक्रेटरी भी है, वही प्रधान को प्रेरित करता और कभी पार्टी बनाता है और ग्राम समाज की सम्पत्ति का दुरुपयोग करता है, और उसके साथ-साथ जो पर्पज है कि वहां के हरिजनों के लिये, भूमिहीनों के लिये उस सम्पत्ति का उपयोग हो, वह नहीं हो पाता है इसके विपरीत वह उनके रिश्तेदारों, भाइयों वगैरह को ही मिल पाती है। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो हमारे संशोधन हुये हैं, नियमों में भी परिवर्तन होंगे, उनमें ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि ग्राम समाज की सम्पत्ति का दुरुपयोग न होने पाये और जिस काम के लिये जो चीज दी गई है वह उसी में उपयोग हो ।

इसके अलावा, श्रीमन्, बकाया के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी कई संशोधन ले आये । हमारे देश के अन्दर जो लगान वसूली है जिनके सम्बन्ध में संशोधन आये हैं, उसकी वसूली ९०, ९५ से ९६ प्रतिशत तक तो है ही, परन्तु किसानों की कुर्की बिक्री के भी संशोधन करने के व्यापक संशोधन ले आये हैं । श्रीमन्, बकाया तो वसूल होना ही चाहिये, परन्तु इस सम्बन्ध में फिर एक और संशोधन जो माननीय मंत्री जी ले आये हैं, उसकी आवश्यकता नहीं थी । वसूली के लिये पूरे खाते की कुर्की या बिक्रीहमेशा आवश्यक नहीं है। मान लीजिये एक काश्तकार २० बीघे का है। उसपर

---

†५ अप्रैल, १९६५ की कार्यवाही से ।

*३१ मार्च, १९६५ की कार्यवाही में छपा है ।

[श्री रक्षपालसिंह]

५०० रुपया बकाया होने पर भी यह आवश्यक नहीं है कि उसकी सारी की सारी २५ बीघे की जमीन को पट्टे पर ही दे दिया जाय या उसकी पूरी जमीन ही बेच दी जाय यह अन्याय होगा। ऐसी भी सम्पत्ति हो सकती है कि एक बीघा पट्टे पर उठाने में पूरी वसूली हो सकती है, पूरी जोत नहीं बिकेगी। श्रीमन्, आधी जमीन जो रह जावेगी, वह बच सकती है' उससे उसकी जीविका चल सकती है। जो प्राविधान दिया गया है पूरा खेत बेच देने की, उसके बारे में मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि उससे फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है। लगान तो वैसे वसूल होता ही है और हो ही जाता है। तो इतना व्यापक और किसान को परेशान करने वाली व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें यह जो कुर्की की बात है, तो जो बड़े काश्तकार हैं उनके लिये वह ठीक हो सकती है लेकिन छोटे-छोटे काश्तकार हैं जिनको कि अनआर्थिक जोतों का किसान हम मानते हैं, उनके ऊपर यह अटैचमेंट की व्यवस्था न रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। जहां तक लिमिटेशन ऐक्ट के लागू करने की बात कही गई है तो वह जब से कानून पास होगा तब से लागू होगा। उसमें थोड़ा-सा कानूनी नुक्स रह जायगा कि पुराना लिमिटेशन ऐक्ट जब से पास हुआ तब से लागू होना चाहिये। उसके लिये मैंने संशोधन भी दिया है वह बाद में आयेगा।

अब मैं चकबन्दी के सम्बन्ध में जो संशोधन है उस पर कहूंगा. . . . . .

श्री अध्यक्ष--

नहीं, नहीं यह खयाल रखिये कि इस समय तो प्रिंसिपुल्स पर बहस कर रहे हैं तो उसमें इतने सविस्तार बहस की आवश्यकता नहीं है। संक्षेप में अपनी बात रखिये और संशोधन पर तो आप बाद में बोल लीजियेगा।

श्री रक्षपालसिंह--

ध्यान रखूंगा श्रीमन्। एक बात की और चर्चा हुई पट्टे पर और शिकमी पर उठाने के बारे में, तो उसके बारे में प्रदेश की स्थिति को देखते हुये यह आवश्यक है कि कुछ प्रकार के खातों या जोतों को एक रेस्ट्रिक्टेड वे में उठाने का अधिकार दिया जाय। लेकिन यह नहीं कि हमेशा के लिये कानून ऐसा बना दिया जाय, मगर जैसे अलाभकर जोतें हैं, तीन बीघा किसी की जमीन है और वह नौकरी करता है तो ऐसे व्यक्ति की वह अलाभकर जमीन जो है उसको एक रेस्ट्रिक्टेड वे में उठाने का अधिकार हो। वैसे तो यह बात सही है जो मंत्री जी कहते हैं कि पट्टे पर उठाने का अधिकार देने से फिर से पुरानी जमींदारी वाली बात लौट आयेगी।

श्री अध्यक्ष--

नहीं, एक सिद्धान्त है जिसके आधार पर कि जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट बना और उसमें यह मौलिक सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया था कि भूमि उसके पास हो जो भूमि पर खेती कर सके. . . . . .

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

उसमें टैम्पोरेरी तौर पर अगर कोई नहीं कर सकता है तो. . . . . .

श्री अध्यक्ष--

तो उसको क्लीयर करें।

श्री रक्षपालसिंह--

आज श्रीमन्, एक प्रमुख व्यक्ति के पास अगर ५ सौ एकड़ भूमि है तो उसका परिणाम यह हो रहा है कि खेती ठीक से नहीं होती व पैदावार घटती जाती है। तीन साल की एक लिमिट है कि तीन साल तक अगर लगातार कोई खेती नहीं करेगा तो वह जमीन उसके पास नहीं रहेगी, लेकिन तीसरे साल मान लीजिये उसने ज्वार के खेत में आधा सेर ज्वार छिटक दिया तो वह भूमि

उसकी बनी रहेगी और वह वही चार आने छः आने लगान जो देता था, देता रहेगा । तो इसके लिये मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि सरकार एक पैदावार का कोटा निश्चित करे और यह कहे कि इतने से कम पैदावार जिसके खेत में होगी उसको बेदखल कर दिया जायगा । इसके लिये भी कोई प्राविधान सरकार इसमें करे ।

चकबन्दी के सम्बन्ध में श्रीमन्, वैसे तो बिलकुल यह निश्चित बात है कि चकबन्दी में किसान की जमीन गयी। इसके बारे में जो यह कहा जाता है कि "देश गया दलबन्दी में और भूमि गयी चकबन्दी में", वह बिलकुल सही है । इसमें एक जो संशोधन है उस पर तो लगातार चर्चा होती चली आ रही है, धारा ५२ का प्रकाशन और उसके अन्तर्गत फाइनलिटी और सारी की सारी चीजें जो हैं वह ठीक नहीं है, उनमें संशोधन करने की बात की गई है । कई माननीय सदस्यों ने इसमें अपनी शंकायें रखीं और मेरी भी शंका इस बारे में है । यद्यपि धारा २७ में स्पष्टीकरण देने की व्यवस्था है कि जो गलतियां हैं उनकी दुरुस्ती लैंड रेवेन्यू ऐक्ट की धारा २८ और ३३ में हो सकेगी, लेकिन यह सेटिलमेंट की जो एन्ट्रीज हैं क्या वह कागजात की दुरुस्ती में दुरुस्त हो सकेंगी या नहीं यह एक प्रश्न है जिसको मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी एक्सप्लेन करने की कृपा करें । अगर हो सकती है तो बड़ी अच्छी बात है । मैं तो माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि चकबन्दी जिसको करने के बाद १२ रुपये एकड़ के हिसाब से सरकार ने खर्चा वसूल कर लिया है । उसमें जितनी गलतियां हैं उनको ठीक करने की जिम्मेदारी मंत्री जी की है, परन्तु सरकार वह नहीं करना चाहती है । मैं चाहता हूं कि अन्य प्रकार की जो गलतियां हैं, उनके सुधार के बारे में क्या व्यवस्था है, मंत्री जी अपने जवाब में बतायेंगे ।

कोआपरेटिव सोसायटी के बारे में भी व्यवस्था करने की बात और चकबन्दी में शामिल करने के लिये प्राविधान किया गया है । गांव के अन्दर कोआपरेटिव फार्म कुछ काश्तकारों का बना हुआ है और उन्होंने मिलकर एक खाता बना लिया है, तो वह खाता चकबन्दी में आयेगा, लेकिन मुझे डर है कि इस संशोधन के द्वारा कहीं मंत्री जी सहकारी खेती लागू करने की योजना फिर से तो नहीं चलाना चाहते हैं, जिसको जनता ने स्वीकार नहीं किया है । यदि सहकारी खेती लाने का उद्देश्य उस विधेयक का है, तो मैं उसका विरोध करता हूं । चकबन्दी होने के समय में भी और बाद में भी एक प्रकार के वर्ग के भूमिहीन हो जाने की स्थिति पैदा हो जाती है और वह इस प्रकार के कुछ काश्तकार ऐसे हैं, जिनकी सारी की सारी जमीन किसी रास्ते या अन्य किसी सार्वजनिक कार्य में ले ली जाती है । कल ही मुझे गोरखपुर के कुछ सदस्य मिले थे जिन्होंने बताया कि नहर या पटरी बनने की कोई व्यवस्था हुई, जिसमें उनकी सारी जमीन चली गई । तो इसलिये मैं चाहता हूं कि सार्वजनिक हित के लिये जो जमीन ली जाय, तो गांव समाज की संपत्ति से उस आदमी की व्यवस्था की जा सके, ऐसा प्राविधान इस विधेयक में होना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं दोनों प्रस्तावों का समर्थन करता हूं ।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, जो संशोधन मंत्री जी लाये हैं, वह कोई बहुत मौलिक प्रश्न नहीं है, वरन् कार्य की सुविधाओं की दृष्टि से कतिपय साधारण संशोधन हैं, मैं इनका समर्थन करता हूं । एक दो संशोधन बड़े आवश्यक थे, जो पहले ही आ जाने चाहिये थे—जैसे कि कमिश्नर, बोर्ड आफ रेवेन्यू और हाई कोर्ट में जो गांव समाज के मुकदमे जाते हैं, उनकी पेरवी करने की व्यवस्था के लिये वकीलों का पेनेल बनाने की व्यवस्था की गई है, जब कि पहले ऐसे मुकदमों की पैरवी करने की कोई व्यवस्था उक्त तीनों न्यायालयों में नहीं थी । कलक्टर के न्यायालय तक तो पैनेल था पंचायत के वकीलों का, लेकिन सभापतियों को बड़ी कठिनाई होती थी, रुपये पैसे का प्रबन्ध करके

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कृष्णानन्द राय]

उन मुकदमों को उच्च न्यायालय में पैरवी करने में। अतः इस संशोधन के माध्यम से जो वकीलों का पैनल बनाने की व्यवस्था की गई है, जो हाईकोर्ट, बोर्ड आफ रेवन्यू और कमिश्नर के यहां गांव समाज के मुकदमों की पैरवी करेंगे, इससे गांव समाज की सम्पति की अच्छी तरह से सुरक्षा का प्रबन्ध हो सकेगा। चकबन्दी में भी कोई विशेष संशोधन नहीं है। सरकारी खातों को भी संरक्षण में लाया गया है।

एक विशेष संशोधन मंत्री जी इस विधेयक में लाये हैं, जो मालगुजारी की वसूली से संबंधित है। मार्च के अन्त में एक दिन मैं रेडियो सुन रहा था कि इस विभाग ने कितने बकाये की वसूली की है। उसमें यह बताया गया कि जहां तक मालगुजारी और लगान का प्रश्न है करीब ९२ या ९३ प्रतिशत तक उसकी वसूली माननीय मंत्री जी के माल विभाग ने की है, जबकि अन्य विभागों की वसूली जैसे सेल्स टैक्स और इन्कम टैक्स, ३३ से ४० प्रतिशत तक थी, यह घोषणा लखनऊ के आल इंडिया रेडियो से हो रही थी। मालगुजारी चूंकि हमारे घरों से वसूल होती है, इसलिये हिम्मत नहीं पड़ी कि मंत्री जी को बधाई दूं। लेकिन इतना अवश्य है और हम सबको मालूम है कि मल विभाग मालगुजारी की वसूली जितनी तत्परता से करता है, और जो कुछ भी कानून इस समय मौजूद हैं, वह इतने सक्षम और सफल हैं कि करीब-करीब शतप्रतिशत तक वसूली मालगुजारी की हो जाया करती है। जो बकायेदार हैं, उनको नोटिस दिया जा सकता है, तहसीलदार अपने सामने बुला सकता है, धूप में खड़ा कर सकता है, हवालात में बन्द कर सकता है, उनकी जमीन कुर्क की जा सकती है और यदि इससे भी काम न चले तो उस बकायेदार के चल और अचल संपत्ति का नीलाम किया जा सकता है। जो लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं और ग्रामीण जीवनसे संबंध रखता हैं, उनको इस बात का दुख होता है कि क्या बात है सरकार सेल्स टैक्स और इन्कम टैक्स की बकाया तो वसूल नहीं कर पाती है, लेकिन मालगुजारी के संबंध में इतनी तत्परता की जाती है। मैं यह नहीं कहता कि वसूली नहीं होनी चाहिये। वसूली तो होनी चाहिये, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी अधिनियम आज मौजूद हैं, मालगुजारी और लगान की वसूली के लिये वे काफी सफल हैं, तब फिर मंत्री जी को क्या आवश्यकता पड़ गई, इनके अधिकारियों ने क्या कठिनाइयां इनके सामने उपस्थित कर दीं, जिससे मालगुजारी की वसूली के संबंध में कुछ ऐसे क्लाजेज संशोधन के लिये इस विधेयक में रखे गये हैं। मुझे आशा है, मंत्री जी जवाब देते समय उन कठिनाइयों का वर्णन करेंगे।

श्री अध्यक्ष--

इसमें एक रिसीवर नियुक्त करने का प्राविजन है।

श्री कृष्णानन्द राय--

जी हां, श्रीमन्, और १० वर्ष के लिये पट्टे पर उठाने का भी प्राविधान है और केवल उस जमीन के लिए ही रिसीवर नियुक्त करने का प्राविजन नहीं है जिस पर बकाया हो, बल्कि बकायेदार की तमाम चल और अचल सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त करने का अधिकार है। आप श्रीमन्, योग्य वकील रह चुके हैं और आप जानते होंगे कि जमीन की बिक्री करने तक का अधिकार सरकार को प्राप्त था लेकिन बिक्री कुछ टेक्निकल चीज होती थी जैसे सेल की नोटिस देते थे, तो एक महीने के अन्तर्गत अगर किसान रुपया जमा कर देता था, तो वह सेल नल एण्ड वाइड हो जाता था। तो बिक्री का नियम भी बड़ा कठोर होते हुये थोड़ी सी सहूलियत किसान के लिये थी। यहां पर अब यह होगा कि तहसीलदार सोचे कि हटाओ कौन झगड़े में पड़े, वह रिसीवर नियुक्त कर सकता है या किसी दूसरे को पट्टे पर दे दिया। मुझे नही मालूम श्रीमन्, कि इनके बारे में नियम भी बना पायेंगे या नहीं। रिसीवर साहब का व्यय और पट्टे का व्यय वसूल किया जाय, बकाया की वसूली होनी चाहिये तथा उसकी वसूली में एफीशियेंट कदम उठाये जाने चाहिये, मैं इस बात से सहमत हूं लेकिन इस विषय में मैं माननीय माल मंत्री जी को दोषी नहीं ठहरा सकता फिर भी मेरा अन्तःकरण इस बात को कहता है कि इस संशोधन में रिसीवर

नियुक्त करना, पट्टे पर जमीन देना, इसकी यहां आवश्यकता थी या नहीं, इसके बारे में मुझे शंका है। मुझे आशा है कि माननीय माल मंत्री जी इस बारे में सोचेंगे।

एक चीज और भी स्पष्ट नहीं हो पायी। अब समस्त विधेयक हिन्दी में आ रहे हैं और अब हम लोगों को सब शब्दों का अधिक ज्ञान होना चाहिये। एक विधेयक है जिसके अनुसार जितनी परती, मीनाशय और जलाशय थे, जमींदारी उन्मूलन के बाद वे सब भूमि प्रबन्धक समितियों में निहित हो गये थे लेकिन अब स्थानिक अधिकारिकी में निहित होंगे। मैंने उद्देश्य और कारणों को पढ़ा लेकिन उनमें इसका जिक्र नहीं किया गया है। अगर वहां भी इसको बता दिया गया होता तो ज्यादा अच्छा होता कि अब मीनाशय, जशालय आदि भूमि प्रबन्धक समितियों में निहित न होकर स्थानीय अधिकारिकी में होंगे।

एक चीज और है। धारा २२९ (ख) जो पुराने मूल अधिनियम की है उसके खंड (१) के उपबन्ध (क) और (ख) हैं। तीनों को पढ़ने से शंका की गुंजायश रहती थी कि यह केवल असामी के लिये या किसी अंशदार के लिये भी है। माननीय मंत्री जी ने इसको अब बिलकुल स्पष्ट कर दिया है और सुन्दर शब्दों में संशोधन को ला दिया है। यह बहुत अच्छा संशोधन है और इससे बड़ा स्पष्टीकरण होने जा रहा है। लेकिन माननीय मंत्री जी यदि थोड़ा-सा आगे बढ़ें तो उन्हें मालूम होगा कि २२९(ख) की उपधारा (३) म उपबन्ध की चर्चा अब भी है। जब कि (क) और (ख) दोनों को यहां मर्ज करके एक कर दिया जा रहा है, लेकिन यहां उपबन्धों की चर्चा रखी रहने दी गयी है। मालूम पड़ता है यह एक शाब्दिक गलती रह गयी है। आशा है माननीय मंत्री जी इसको देख लेंगे।

एक चीज के लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। एक बहुत अच्छी शैली उन्होंने सदन के सम्मुख संशोधनों को रखने की अपनायी है। जितने भी भूमि व्यवस्था से संबंधित विधेयक हैं उन सब के संशोधनों को एक ही संशोधन विधेयक के अन्तर्गत ले आये हैं। यह बहुत अच्छी शैली है और अलग-अलग विधेयकों के बाद विवाद में जो समय बरबाद होता वह न होगा।

मालगुजारी की बकाया के बारे में और जमींदारी उन्मूलन की भी इस में चर्चा है, दोनों को एक ही में लाये हैं। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह भूमि संबंधी सभी चीजों के लिये एक ऐक्ट ऐसा ला दें जिसमें भूमि संबंधी जितने कानून हैं, चकबन्दी के, कुमायूं क्षेत्र के या शहरी क्षेत्र के या जो मदान का कानून है इन सब को मिलकर एक भूमि सुधार कानून या यू० पी० भूमि ऐक्ट ला दें और भूमि के संबंध में सभी चीजें उसी में रख दें, इस से तमाम पेचीदगियां खत्म हो जायेंगी। मंत्री महोदय जमींदारी अबालिशन ऐक्ट सन् ५० में लाये, उसको १४ साल हो गये और जमींदारी का इतिहास जो भानु बाबू १०० साल का बताते हैं वह अब पुराना हो गया है और जमींदारी उन्मूलन कानून का भी अब पहले का मूल्य नहीं रह गया है। इस लिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिस तरह से वह इस एक ही संशोधन कानून द्वारा कई ऐक्टों को संशोधित कर रहे हैं इसी तरह से वह भूमि संबंधी सभी ऐक्टों की जगह एक भूमि संबंधी पूरा ऐक्ट ला दें जिस में तमाम चीजें रहें, इस से तमाम पेचीदगियां दूर हो जायेंगी। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, इस बिल को प्रवर समिति में भेजने का जो प्रस्ताव श्री कमला सिंह ने पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। इस संशोधन विधेयक में मंत्री जी ने खास तौर से दो तीन बातों पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

अधिक जोर दिया है। पहले तो यह समझा गया और कुछ परेशानी महसूस हुई कि ग्रामसभाओं के प्रधानों को लैंड मैनेजमेंट कमेटी के मुकदमों के लिये जिले के स्तर की अदालतों में वकील मिल जाते हैं, लेकिन बोर्ड, कमिश्नरी और हाईकोर्ट में जाकर उनसे अच्छी पैरवी नहीं हो पाती थी, इसलिये ऐसी व्यवस्था की गई है कि इन जगहों पर भी उन्हें ऐसी आसानी मिल सके और वह सरकारी वकील द्वारा पैरवी करा सकें। इस सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि इस वक्त जो व्यवस्था है उसमें असल में यह बात देखने की है कि प्रधानों को विलेज स्तर पर कितनी सुविधा प्राप्त हुई है, वह इस से लाभ उठा पाते हैं या नहीं उठा पाते; मैं समझता हूं कि जिला मुरादाबाद प्रदेश का सब से अधिक ७१ लाख की मालगुजारी अदा करने वाला जिला है और वहां १८०० ग्राम प्रधान हैं और वकील भी हैं, लेकिन जब उन प्रधानों को अपने किसी मामले में पैरवी करानी होती है तो शायद मुश्किल से २०-२५ प्रतिशत प्रधान ऐसे होंगे जो आप के सरकारी वकील का लाभ उठाते होंगे जिनकी कि आपने नियुक्ति कर रखी है। उन्हें इन मामलों की प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना पड़ता है और वह इसके लिये मजबूर होते हैं कि आप के वकील से मदद न लेकर और अपनी जेब से खर्च कर के दूसरे वकील को रखकर उससे पैरवी करावें और उस की मदद से ही उन को कमिश्नरी और हाईकोर्ट तक जाना पड़ता है। आपने तो कह दिया कि जिला स्तर पर पेनल वकील मौजूद हैं, लेकिन वह नहीं समझते कि पेनल वकील पर फर्ज है कि वह ऐसे मुकदमों की पैरवी करें। वह तो यही समझते हैं कि यह प्रधान का जाती मामला है और इस से मेहनताना तय किया जाय। मैं यह समझता हूं कि अब आज जब कि जिला स्तर पर उस प्रधान को मुसीबत का समाना करना पड़ता है तो जब वह मुकदमे कमिश्नरी या हाईकोर्ट में जाते हैं, वह पैनल लाइयर, जिसको आप नियुक्त करना चाहते हैं, उससे प्रधानों को आसानी मिलेगी, मुझे संदेह है। बावजूद इसके कि वह आपका पैनल लाइबर हो एक डर तो यही रहता है कि कहीं यह टूट करके दूसरे फरीक से न मिल जाय। अपने काम के लिये अपना वकील खड़ा करना पड़ता है। जिस तरह से आपने जिले के स्तर पर पैनल लाइयर का प्रबन्ध कर रखा है, आप चाहते हैं कि कमिश्नर के न्यायालयों, राजस्व परिषद् और उच्च न्यायालय के लिये भी प्रबन्ध हो जाय, इसलिये मैं चाहता हूं कि इस बिल को पहले प्रवर समिति में भेजा जाय ताकि वे देख सकें कि इससे हमारे प्रधान कितना लाभ जिला स्तर पर उठा पाते हैं। अगर प्रवर समिति के सदस्य इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वाकई इस बिल से फायदा होगा तो ज्यादा बेहतर होगा।

दूसरी चीज आगे आपने कही कि वसूलयाबी के मामले में बड़ी दिक्कत होती है इसलिये उस जमीन को पट्टे पर दिए जाने और अगर रुपया वसूल न हो तो इसको बेच देने तक के अख्तियार इसमें आपने रखे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर आप हर महकमे और हर विभाग की वसूलयाबी से अपने लैंड रैवेन्यू की वसूलयाबी का मुकाबला करें तो आप पायेंगे कि सबसे अच्छी वसूलयाबी आप की है। जो इस समय नियम बनाये हुए हैं उनमें ऐसा है कि एक अमीन और दूसरे चपरासी गांव में जाते हैं। मैं उन चपरासियों को तो 'मुनकर नकीर' कहता हूं। जिस तरह से हमारे यहां पर कब्र के अन्दर जाकर ये मुनकर नकीर सवाल जवाब करते हैं उसी प्रकार से हमारे चपरासी लोग होते हैं। जब अमीन साहब गांव में जाते हैं तो उनकी जहनियत क्या होती है। आपके नियमों में है कि साल में दो किस्तें कर दें और वह रकम साल के अन्दर बेबाक हो जाय लेकिन वे यह कोशिश नहीं करते कि इसको दो बार वसूल करलें। एक दफा ही अमीन साहब गांव में जाते हैं और वह जब रुपया नहीं वसूल कर पाते हैं तो उनके तहसीलदार साहब यह कहते हैं कि उनको तहसील में पकड़ कर ले आओ, हम रुपया वसूल कर लेंगे। अगर दूसरी बार भी वह रुपया वसूल नहीं होता है तो आपके अमीन कहते हैं कि तुम हमारे साथ तहसील चलो, वहां जाकर अगर तुम तहसीलदार से कह दोगे तो हमारी छुट्टी हो जायगी। तहसीलदार साहब के सामने उनको पेश कर दिया जाता है। वे पूछते हैं कि रुपया लाये हो कि नहीं। अगर वे रुपया नहीं ले गये तो तुरन्त वारन्ट बना कर जेल में भेज देते हैं। यह होता है आपके मालगुजारी वसूल करने के

लिए। तीसरे दिन जब किसी रिश्तेदार को मालूम होता है तो वे जाते हैं और रुपया खुद बेबाक कर देते हैं। तो इस तरह से आपका रुपया तो वसूल हो जाता है। अगर इतना ही करने से उसके रिश्तेदार रुपया जमा कर देते हैं तो फिर आपको कौनसी मजबूरी है कि डिफाल्टर होने की हैसियत से उसकी जमीन को पट्टे पर दे दिया जाय और फिर उसको बेच दिया जाय? दूसरे आप ने इसमें कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं की कि यह पट्टा २ साल का होगा, ४ साल का होगा। यह भी साफ नहीं है कि कितने साल के बाद उसे डिफाल्टर माना जायगा और उसकी जमीन को पट्टे पर दिया जायगा या बेच दिया जायगा। फिर इसके बाद एक और परेशानी आपने लगा दी कि १० साल के बाद वह बेच दी जा सकती है। लेकिन अगर उस जमीन को १० साल के पट्टे पर दे दी और पट्टेदार २ साल बाद, ३ साल बाद या ६ साल बाद पटवारी से यह कहे कि मेरा इस पर कब्जा कर दो और वह उस पर कब्जा कर देता है तब क्या होगा? अगर वह किसान जिसकी भूमि है बेबाक कर देता है तो ६ साल के कब्ल उसकी जमीन उसे नहीं मिलेगी। वह उस वक्त छुटेगी जब वह आदमी अदालत में दरखवास्त देगा कि हमने बकाया निबटा दिया है, हमारी जमीन छूट गयी है उसे वापस कर दी जाय। लेकिन जिसने ६ साल तक जमीन को जोता, बोया वह कहेगा कि हम सीरदार हो गये और अब हम काबिले बेदखल नहीं हैं। कहीं यह नहीं किया गया कि जिस वक्त उसके पट्टे की मियाद खत्म हो गयी तो कलेक्टर के यहां से या किसी भी लैंड रेवेन्यू आफिसर के यहां से वह जमीन छोड़ दी जायगी। जब मुकदमा दायर करेगा जमीन वाला तब जमीन छूटेगी। ऐसी हालत में क्या होगा? मुकदमे बाजी बढ़ेगी। सीधी सी बात है, जब ९२–९३ फीसदी वसूलयाबी हो जाती है तो फिर क्या जरूरत है उस जमीन को पट्टे पर देने की, उस पट्टे को बेचने के अख्तियारात लेने की?

दूसरी बात कोआपरेटिव फार्म्स की कही गयी है कि कोआपरेटिव फार्म्स का जो कानून है उसके अन्दर कोआपरेटिव फार्म्स का चक बनाने का कोई इन्तजाम नहीं है। आपने यह कहा कि कोआपरेटिव फार्म्स के चक बन जायं चकबन्दी में इसलिये यह संसोधन विधेयक लाया गया है। मैं मानता हूं कि कोआपरेटिव फार्म्स के चक बनने चाहिये लेकिन उत्तर प्रदेश में जो कोआपरेटिव फार्म्स हैं उनकी हकीकत पर कभी गौर किया गया? क्या वाकई कोआपरेटिव फार्म्स ऐसे हैं कि थोड़ी-थोड़ी जमीन वालों ने, एक-एक दो-दो बैलों ने आपस में कोआपरेटिव फार्म्स बनाये और बनाने के बाद आपसे यह कहा कि हमारे कोआपरेटिव फार्म्स का चक बना दिया जाय जिसके लिये यह फैसला आप करने जा रहे हैं? उनकी असलियत क्या है? एक खानदान के लोग सीलिंग से बचने के लिये, बंजर जमीन होने पर, आपसे लोन लेने के लिये, सब चीजों का फायदा उठाने के लिये करते हैं कि उन्होंने गांव के कुछ मजदूरों का नाम लिख लिया जिनको फावड़ा चलाना है, खेत जोतना है और अपने खानदान के लोगों को ले लिया और उस फार्म का रजिस्ट्रेशन हो गया और इस तरह से उस खानदान ने आपसे सारे फायदे उठाये। जो ए० सी० ओ० हैं, उनसे जो जोरदार लोग होते हैं वही फायदा उठा पाते हैं। फायदा इस तरह उठाया जाता है कि जो अच्छी जमीन होती है ए० सी० ओ० पर दबाव डाल कर उस पर अपना फार्म बना लिया और जो उसकी बंजर जमीन होती है उसको बदले में दे दी और उस बंजर की ए० सी० ओ० से १४ आने वैल्यूएशन कैलकुलेट करा ली और जो अच्छी जमीन है उसकी कीमत दो आने बीघा कैलकुलेट कराई। मेरे क्षेत्र के एक गांव में ए० सी० ओ० पर दबाव डाल कर फर्जी बैनामे करा लिये गये। अच्छी जमीन थी उसका वैल्यूएशन ४ आने बीघा करवा लिया और बंजर का वैल्यूएशन १४ आने बीघा करवाया और इस प्रकार अच्छी जमीन के वह मालिक बन बैठे। कोआपरेटिव फार्म्स के कायदे कानून में यह लिखा हुआ है कि कोई भी फार्म उस वक्त तक रजिस्टर्ड नही किया जा सकता जब तक यह न देखा लिया जाय कि उस फार्म के अन्दर एक ही खातेदार के तमाम रिश्तेदार, तमाम घर के सम्बन्धी तो मेम्बर नहीं हैं, लेकिन इस पाबन्दी के बावजूद भी जब कि हम सब लोग समाजवाद की तरफ चल रहे हैं और चाहते हैं कि सोशलिस्टिक पेटर्न आफ सोसाइटी हो, सरकार का काम सिर्फ यह है कि नक्शे के ऊपर आ जाए कि उत्तर प्रदेश के अन्दर कितनी कोआपरेटिव फार्मिंग चल रही हैं, उसी से हमारा समाजवाद चल जाएगा, ऐसा समझते हैं। जब कि सिर्फ इतना करने से

[श्री रियासत हुसैन]

समाजवाद चलने वाला नहीं है जब तक कोआपरेटिव फार्मिंग अपने सही रूप में जो उसका ऐम है उस पर न चले। कोआपरेटिव फार्मिंग की हकीकत क्या है, कहां-कहां चल रही है और किस रूप में चल रही है इसे देखें। तो मैं चाहता हूं कि कोआपरेटिव फार्मिग के बारे में आप इसे प्रवर समिति के पास भेज दें जो यह देखे की कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप की इस धारा का अनुचित रूप से कुछ ऐसे लोग लाभ उठा लें जिन को नहीं मिलना चाहिये और जिसे आप असलियत में देना चाहते हैं, उसे फायदा न मिले और गांव के कुछ बड़े-बड़े, असरदार लोग उससे फायदा उठावें? यह सब चीजें बैठ कर प्रवर समिति के अन्दर गौर की जाने वाली हैं।

एक बात मैं और आप को बताऊं। मिसाल के तौर पर एस० ओ० और एस० सी ओ० के ऊपर कैसे दबाव पड़ता है, कोआपरेटिव फार्मिंग वाल कैसे अपने हक में गलत काम करवाते हैं, इस पर रोशनी पड़ेगी। आप के सामने मैं मिसाल दे रहा हूं जिसकी फोटोग्राफ मैंने आप के पास भेज दी थी। एक श्री तिलकराम पुत्र श्री छोटाराम, ग्राम गुडवारा, तहसील जानसठ के रहने वाले हैं, जो सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर में इस समय तहसीलदार हैं। वहां पर वह तहसीलदार होने की हैसियत से कुछ तालाबों और बंजर जमीन को अपने हक में करना चाहते थे, गलत तरीके से। वह चाहते थे कि तालाबों और बंजर जमीन को उनके चक में शामिल कर दिया जाये। इस काम को कराने के लिये उन्होंने एस० सी० ओ० साहब को पत्र लिखा है, यह बड़ा लम्बा खत है, इसमें लिखा है तहसीलदार ने एस० सी० ओ० को कि चक बना दें और अब तक जो काम किया है उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं ---

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)---

अध्यक्ष महोदय, मैं इस गांव की तहकीकात करने गया था, जिन तहसीलदार के बारे में यह फरमा रहे हैं उनकी कोई बात वहां चली नहीं है।

श्री रियासत हुसैन---

उन्होंने अपने भतीजे के बारे में लिखा है और यह मैंने पहले ही बता दिया कि पूरे खानदान के नाम से एक कोआपरेटिव फार्म किस प्रकार से बना लिया जाता है। वह खुद नहीं, अपने भतीजे के बारे में कहते हैं। उन्होंने यह लिखा है कि मैं फूलसिंह को भेज रहा हूं, इसका फेवर करने की आप कोशिश करें और जो अब तक आपने किया है उसके सिलसिले में मैं आप का मशकूर हूं। यह खत १-१-६४ को लिखा गया है "माई डियर एस० ओ०" और उन्होंने इसमें यह भी लिखा है कि १२ तारीख को मैं भी आपके पास आ रहा हूं और आपसे मिलूंगा और यह भी लिख दिया है कि यह मेरा भतीजा है। इसमें लिखा है:

.....and decided it in favour of Phool Singh and others. Some difficulties are in the formation of *chaks*. Kindly see the notice by Dr. Phool Singh the my nephew or Surat Singh, who is also one of my nephews. I will also see you near about 12th January, 1964 and let you know if any difficulty still remains unsolved by that time.

तो उसमें लिख दिया है २-३ मामलों में कुछ तालाब और बंजर भूमि के मामले में फूलसिंह जो लेकर आ रहे हैं, मैं आप से यह उम्मीद करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप उनके हक में इस काम में फैसला करें। ऐसी हालत में यह मेरे कहने का मतलब सिर्फ यह है कि किस तरीके से एस० सी० ओज० के ऊपर जो गांव के असरदार लोग हैं जो कोआपरेटिव फार्मिंग की स्कीम से फायदा उठा रहे हैं, अपना प्रभाव डाल रहे हैं और जो गरीब लोग हैं, जिनके लिये आप ने कोआपरेटिव फार्मिंग की स्कीम बनाई उन को फायदा नहीं मिल रहा है। तो वह लोग कह सकते हैं कि उन चकबन्दी अधिकारियों से जिन्हें चक बनाने का अधिकार आपने दे रखा है वे बड़े-बड़े कोआपरेटिव फार्म्स वाले दबाव डाल कर अपना काम ले सकते हैं और उसका नतीजा यह होगा कि गांव के गरीब किसान की जमीन का वैलुएशन कम लगेगा। बहुत जमीन वाला थोड़ी जमीन वाला हो जायगा और फर्जी कोआपरेटिव फार्मिंग वाला जिसके पास थोड़ी जमीन

होगी वह बड़ी जमीनवाला हो जायगा। इसलिए अगर आप इसे समिति में भेज देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी।

एक बात के लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि आपने कामर्शल कंसर्न्स से भी लैंड रेवेन्यू की तरह से बकाया की वसूलयाबी की बात इसमें रखी है। आप अब तक कोई ऐसा ऐक्ट नहीं बना पाये थे जिससे उन पर बकाया की वसूलयाबी लैंड रेवेन्यू की तरह से हो। मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आप के बाजुओं के अन्दर इतनी ताकत आ जाय कि आप लैंड रेवेन्यू के रूल्स और रेगुलेशंस के मातहत जिसमें आप किसान को ५ रुपये के लिये जेल में डाल देते हैं, इन कामर्शल कंसर्न्स को भी जेल का पानी पिलवा सकें।

(इस समय १ बज कर २ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री शिवराजसिंह पीठासीन हुये।)

इतनी बात कह कर मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि आप इस बिल को प्रवर समिति में जरूर भेजें जिससे वहां लोग शान्ति से बैठ कर सोच विचार सकें और कुछ अच्छी बातें इसमें और आ जायं। उससे आप को बधाई भी मिलेगी और जो थोड़ी बहुत खामी होगी वह भी दूर हो जायगी। इतना कह कर मैं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिये माननीय माल मंत्री जी को बधाई देता हूं। सदन के सारे सदस्य इसकी कमी बहुत दिनों से अनुभव करते थे। इसमें कुछ एक ऐसे संशोधन लाये जा रहे हैं जिनकी मांग मेरे जिले के बार असोसियेशन ने की थी। मिसाल के तौर पर खंड १० का संशोधन ऐसा है जिसके बारे में मांग थी। मान लीजिये एक खाते में २० प्लाट थे तो खातेदार १९ के बारे में दावा नहीं करता था उससे केवल एक ही से संबंध था किन्तु वह उसके बारे में भी दावा नहीं कर सकता था। नतीजा यह होता था कि किसान परेशान होता था। मेरे जिले के वकील साहबान ने इसके लिये प्रस्ताव किया। उनकी एक सभा हुई और उनकी यह मांग जो माननीय माल मंत्री के सम्मुख उपस्थित की गयी, उस समय मैं भी इस मुहकमें से सम्बन्धित था और मैंने माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया था कि इस संशोधन की अत्यन्त आवश्यकता है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

पंडित जी क्या आप के असोसियेशन ने यह प्रस्ताव पास किया था कि किसान अपनी जमीन बेच दें, क्या इसका श्रेय आप को है ?

श्री बृजबिहारी—

माननीय मंत्री जी ने अगर धैर्य से और शान्ति से मेरी बात सुनने की कृपा की होती तो इस प्रश्न की आवश्यकता उनको न होती, क्योंकि मैं तो बात कर रहा था दूसरी, और आप ने प्रश्न कर दिया तीसरा। मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि यह बिल देर से ही सही लेकिन आया तो। "देर आयद दुरुस्त आयद"। देर का इल्जाम हम लगा सकते हैं मन्त्री जी पर लेकिन यह नहीं कह सकते कि हमने इस विधेयक को प्रस्तुत करने में कोई गलती की है।

कई सम्मानित सदस्यों की तरफ से यह प्रस्ताव है कि इसको जनमत संग्रह करने के लिये भेज दिया जाय एक मास के लिये और कुछ माननीय सदस्यों का यह प्रस्ताव है कि इसको एक मास के लिये प्रवर समिति में भेज दिया जाय। मैं इन दोनों प्रस्तावों से सहमत नहीं हूं। मैं यह समझता हूं कि जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है वह अत्यन्त आवश्यक है। कई दृष्टि से यह आवश्यक है। इसलिये इसकी अवधि बढ़ाना और अधिक देरी करना उचित नहीं है। यों ही इसमें काफ़ी देर हो गई है जिसका हमारे भाइयों ने सरकार पर इल्जाम भी लगाया है। इस लिए इस विधेयक को प्रस्तुत करने में यों ही काफ़ी देर हो गई है फिर और देरी करने का प्रयास करना, इसमें संशोधन करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होगा, सम्मानित सदस्य कहां तक उचित इसको समझते हैं, वे स्वयं इसका निर्णय करेंगे।

[श्री बृजबिहारी]

एक बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो संशोधन "इसी पर" के लिये किया गया है उसके विरुद्ध माननीय कृष्णानन्द राय जी ने आपत्ति की है। वे वकील हैं और योग्य व्यक्ति हैं। उन्होंने इस बात पर आपत्ति की कि रिसीवर नियुक्त होने से सम्भवतः कुछ गड़बड़ी होगी। उन को यह खयाल हुआ कि इसमें कुछ अधिकार मिल रहा है हमारे कलेक्टर को। मैं यह समझता हूं कि रिसीवर की नियुक्ति से लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। इसका कारण यह है कि इसमें साफ तौर पर यह दिया हुआ है कि "धारा २७९ के अधीन जब किसी व्यापारिक संस्था की कुर्की की जाय तो मालगुजारी तथा अन्य देयों की बकाया, जो मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल होने योग्य हो, की वसूली के निमित्त रिसीवर की नियुक्ति के लिये कोई व्यवस्था नहीं रही है तो इसीलिये इसमें यह संशोधन किया जा रहा है। वह संशोधन इसलिये किया जा रहा है कि ऐसे देयों की वसूली यदि सम्भव न हो हमारे नियमों के अन्तर्गत तो उस सूरत में हम रिसीवर मुकर्रर कर दें और रिसीवर के हो जाने से हम को लाभ यह होगा कि उस की वसूली हो जायगी और जो संस्था मिल या और कोई व्यापारिक संस्था होती है, उसका काम बन्द नहीं होगा। कुर्की हो जाने से एक गड़बड़ यह होती है कि उसका काम ही बन्द हो जाता है तो इस तरह से रिसीवर के नियुक्त होने पर वह काम बन्द नहीं होगा। उसका काम पूर्ववत जारी रहेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि रिसीवर की नियुक्ति पर मन्त्री जी को बधाई ही देनी चाहिये। माननीय मंत्री जी ने इन सब प्रश्नों पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर के इसका निराकरण करने के लिये ही ऐसा किया है।

सहकारी कृषि समितियों के बारे में जो संशोधन किया जा रहा है या पट्टेदारों के नीचे से निकालने के लिये जो संशोधन किया जा रहा है वह भी अच्छा है। उनकी भूमि को चकबन्दी में लाया जा रहा है। हम को इसका स्वागत करना चाहिये। चकबन्दी संचालक के भी अधिकार विस्तृत किये जा रहे हैं। धारा २३ में संशोधन करके धारा ४८ में उन को हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया जा रहा है। मैं इसका स्वागत करता हूं और साथ ही साथ उस को यह भी अधिकार दिया जा रहा है धारा ५७ के अनुसार कि यदि चकबन्दी में कोई अशुद्धि रह गई हो तो वे इसे शुद्ध कर दें। यह भी अच्छी बात है और इसके लिये भी मैं मन्त्री जी को बधाई देता हूं। "रिट पिटीशन" जो चकबन्दी होने से हो जाती चकबन्दी में अनेक कठिनाइयां उपस्थित हो जाती चकबन्दी में अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाया करती थी अब धारा ४७ (१) में जो संशोधन किया जा रहा है उससे हम उन कठिनाइयों को दूर कर सकेंगे। यह भी एक आवश्यक संशोधन है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप के द्वारा मैं मन्त्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हम को मानना पड़ेगा और प्रत्येक माननीय सदस्य इसको स्वीकार करेंगे और मन्त्री जी को भी अनुभव होगा कि गांव समाज की जो भूमि है उस पर अनेकानेक लोग अनधिकृत रूप से कब्जा कर रहे हैं .... यही नहीं, कुछ ऐसी भूमि है जो गड़ ही है। मौके पर परती है और दूसरों के नाम से इंदराजमें चली आ रही है, किन्तु बहुत सी जमीनें ऐसी भी हैं कि जिनमें लेखपाल और प्रधान मिल कर गड़बड़ी करते हैं। भूमि का इंदराज गलत कर लेते हैं और इस प्रकार गांव समाज की भूमि दूसरों की होती चली जाती है। इन अनियमितताओं के लिये मैं सुझाव देना चाहता हूं कि हर हाकिम परगना को यह आदेश होने चाहिये कि जब वे दौरे पर जायं तो वे जहां-जहां जायं वहां-वहां के गांव समाज की पड़ताल स्वयं मौके पर जा कर करें और देखें कि वस्तुस्थिति के मुताबिक इंदराज किया गया है अथवा नहीं। अगर गलती पायें तो उस को तत्काल ही वहीं दुरुस्त कर दें ताकि मुकदमेबाजी की गुंजायश न रहे। इस प्रकार के निश्चित आदेश उनको होने चाहये। आशा है कि मंत्री जी इस सुझाव को स्वीकार करेंगे।

वकीलों के पैनेल के बारे में कहा गया है। मैं इस सिलसिले में निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे दुख है कि जो पैनल बना हुआ है, उसमें के कुछ वकील ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। इस सम्बन्ध में मेरी अपनी कांस्टीटुयेन्सी के कई केसेज मेरे सामने आये हैं औ उस में लोगों ने कहा कि हम को आदेश दिये जायें कि हम प्राइवेट वकील कर लें। प्रधान २०, २० पेशियों में परेशान हो जाता है, लेकिन वकील साहब इंटरेस्ट नहीं लेते। उन की मांग है कि इस बात का

प्राविधान होना चाहिये कि अगर गांव समाज का प्रधान उचित समझता है तो वह प्राइवेट तौर पर दूसरा वकील कर ले। माननीय मंत्री जी से मेरी बात हुई थी। उनका कहना है कि इसमें भी बड़ी गड़बड़ी हो सकती है, और इसलिए उस को अपना "इंटरेस्ट वाच करने" की आवश्यकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर इस तरह का प्राविधान कर दिया जाय तो अच्छा होगा कि अगर प्रधान जरूरत समझे तो दूसरा प्राइवेट वकील भी कर सकता है।

इसके साथ ही कमिश्नरी, हाईकोर्ट तथा ऐसी अदालतों में जहां वकीलों के पैनल का प्राविधान नहीं था और आवश्यकता थी, उस के लिये भी जो प्रयत्न किया जा रहा है वह प्रशंसनीय है। वहां कई बार गांव समाज का नुकसान हो जाया करता है इस कमी की वजह से। एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। उस दिन माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं तो विभाग का पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी था, वह बात पहले क्यों नहीं कही। मुझे खयाल है कि मैंने उन से निवेदन किया था कि गांव समाज के जो बागात हैं, जो पेड़ हैं, वह काफी कट रहे हैं इसे हमारे सारे माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे। यह ठीक है कि उन्हें काटने की आज्ञा देने का अधिकार शायद आपने प्रधान को दे रखा है, कि जब वह परमीशन देगा तभी पेड़ कट सकते हैं। फिर तहसील से भी संबंधित है। मैं तो चाहता हूं कि इसमें कोई न कोई सोच कर के—इस संशोधन विधेयक में तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन जो पेड़ काटे जा रहे हैं, बाग समाप्त किये जा रहे हैं इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर के कोई संशोधन विधेयक लाना चाहिए। पेड़ों के अभाव से कृषि पर और वर्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। पटवारियों को समाप्त करके हमने बहुत अच्छा काम किया था। खाना कैफियत में कैफियत को इन्दराज करने का काम बन्द कर दिया गया है। वह भी अच्छा हुआ है, उससे जनता का आतंक बहुत कुछ दूर हो गया, उसके लिये मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं। लेकिन आज के लेखपाल को, यद्यपि कोई अधिकार नहीं है, फिर भी उसको लोग समझते हैं कि वह आल-इन-आल, सर्वे-सर्वा है—चाहे गलतफहमी से ही सही। माननीय चरण सिंह के शब्दों में जब लेखपाल अपना बस्ता लेकर चलता है तो लोग समझते हैं कि उस के बस्ते में सांप, गोजर और बिच्छू रहा करते हैं। गांव वाले उससे डरते हैं और आज भी आतंकित रहते हैं। इस लिये मेरा विनम्र सुझाव होगा कि जैसे स्थानीय हाकिम परगना के स्थानान्तरण के लिए ३ वर्ष का नियम बनाया है, उसी तरह से आदेश कर दीजिये, कानून बनाने की जरूरत नहीं है, कि अधिकतम सीमा लेखपाल के लिए ५ वर्ष रहे और उससे ज्यादा वह एक स्थान पर न रहे, उसका तबादला कर दिया जाया करे। इससे मुझे विश्वास है कि यह आतंक बहुत हद तक दूर हो जायगा। कुछ सम्मानित सदस्य कह रहे हैं कि ५ वर्ष भी बहुत है, लेकिन यह तो मैक्सिमम पीरियड होगा।

माननीय कृष्णानन्द राय जी ने जो सुझाव प्रस्तुत किया है उससे मैं सहमत हूं कि एक ऐसा विधेयक लाया जाय जो लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, चकबन्दी को सारे ऐक्ट को, क्रम-बद्ध करके सूक्ष्म रूप से चन्द दफात में हो, जो कांप्रिहेंसिव हो, जिसमें सारी बातों का समावेश हो सके।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

या तो समुद्र को कूजे में भरें।

श्री बृजबिहारी—

जी हां। उस प्रयास को मंत्री जी कर सकते हैं। आप के समय में यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर ऐसा करना संभव नहीं होगा, क्योंकि आप को तजुर्बा है, सारे जीवन इस विभाग के मंत्री रह चुके हैं। चकबन्दी के सम्बन्ध में एक निवेदन करना चाहता हूं। कुछ संशोधन किये गये हैं, वह बहुत अच्छे हैं। माननीय शास्त्री जी ने जैसा कहा, मैंने भी देखा था जाकर। माननीय मैनेजर सिंह इस समय सदन में नहीं हैं। मैं उनके जिले में पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी की हैसियत से दौरा कर रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ उन की बात को सुनकर। वहां तो बलिया जिले में मुझे एक गांव भी ऐसा नहीं मिला जहां के लोगों ने शिकायत की हो कि चकबन्दी बुरी

[श्री बृजबिहारी]

चीज है, या ठीक नहीं हुई। बल्कि सभी ने प्रशंसा कि की अच्छा काम हुआ है। यह दूसरी बात है कि इसमें खराबियां हो सकती हैं, और हैं भी। भ्रष्टाचार की बात कही गयी। भ्रष्टाचार तो मैं समझता हूं कि सारे समाज में ही व्याप्त है। प्रश्न यह है कि इसको कैसे रोका जाय। इस प्रश्न पर हमें और आप को सब को मिल कर विचार करना पड़ेगा और उस को दूर करने का कोई न कोई हल निकालना होगा। मंत्री जी उस में मदद करने के लिये तैयार हैं।

एक निवेदन मैं और माननीय मंत्री जी से करना चाहता हूं। सारे प्रान्त में चकबन्दी शीघ्र से शीघ्र होनी चाहिए। चकबन्दी न होने के कारण लोग अपने-अपने खेतों की पैदावार बढ़ाने में उतनी दिलचस्पी नहीं लेते जितनी लेनी चाहिये, क्योंकि वे समझते हैं कि पता नहीं कल को हमारा खेत किसके पास चला जाय। इस अनिश्चितता के कारण वे पैदावार बढ़ाने की तरफ अधिक ध्यान नहीं देते। इसलिये मेरा निवेदन है कि सारे प्रान्त में चकबन्दी शीघ्र से शीघ्र समाप्त की जानी चाहिए। माननीय मंत्री जी को इसमें कुछ कठिनाइयां हैं, मगर इस काम को प्राथमिकता देनी होगी। इससे पैदावार भी बढ़ेगी।

चकबन्दी में जो भ्रष्टाचार है उसका एक कारण यह भी है कि अधिकतर कर्मचारीगण अस्थायी हैं। अस्थायी होने के कारण वे समझते हैं कि जितना लूट सको लूट लो, पता नहीं कब हटा दिये जायं। इसलिये उन को स्थायी करने का प्रयत्न करना चाहिये। (एक आवाज—फिर तो वे लूटेंगे) स्थायी होने पर मेरी समझ से भ्रष्टाचार कम होगा।

एक निवेदन मैं अपने जिले आजमगढ़ के बारे में और कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारे यहां की चकबन्दी का कार्य शीघ्र समाप्त किया जाय। हमारा जिला बहुत बड़ा जिला है। उसके लिये यदि आवश्यक हो तो स्टाफ भी बढ़ा दिया जाय।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और जो दो अन्य प्रस्ताव, जमनत संग्रह के लिये तथा प्रवर समिति में भेजने के लिये हैं, उनका मैं विरोध करता हूं।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, १९५० में जो जमींदारी एबालिशन ऐक्ट पास किया गया था उसमें कुछ संशोधन करने के लिये यह विधेयक पेश किया गया है। कई कारणों से उस समय यह विधेयक पास करना जरूरी हो गया था। अंग्रेजों के चले जाने के बाद यह देखा गय कि जमींदारों के प्रभाव तथा असर के कारण वोटर आजादी से वोट नहीं दे पाता था। इसलिये उस समय की सरकार ने यह जरूरी समझा कि जमींदारी का खात्मा किया जाय। दूसरा कारण यह था कि जमींदार लोग गरीब किसानों से पैसा लगान का इकट्ठा करके नैनीताल में मौज उड़ाते थे और वेश्यागमन करते थे।

हम सोचते थे कि सरकार के पास इस पैसे को जाना चाहिए और राष्ट्र के हित में यह पैसा लगना चाहिए, इस खयाल से हमने जमींदारी का विनाश किया। लेकिन जिन लोगों के हाथ से आपने जमींदारी का विनाश किया, और सरकार डाल-डाल फिरे तो जमींदार लोग पात पात फिरने लगते हैं और आज भी हमारे प्रदेश के अन्दर यह रवैया है कि यदि सरकार डाल डाल फिरती है तो भूतपूर्व जमींदार लोग जिनके हाथ में अंग्रेजों के जमाने में भूमि की ताकत थी, आज भी उन्हीं के हाथों में है।

हमने यह देखा कि जब जमींदारी का खात्मा हुआ तो आपने नागपुर में एक प्रस्ताव पास किया और वह प्रस्ताव यह था कि हमारे प्रदेश के अन्दर एक व्यक्ति पर इतनी भूमि रहनी चाहिए प्रत्येक किसान के पास जो वह इस कानून क पास होने के बाद अपने पास रख सके और इस तरह से साढ़ १२ एकड़ जमीन उसके पास होनी चाहिए और जिसके पास पहले से जमीन और जमींदारी है वह ३० एकड़ रख सकेगा। मर खयाल से यह कानून बिल्कुल गलत था। यदि आपको कोई सीमा मुकर्रर करनी थी तो आप सब के लिए साढ़ १२ एकड़ ही

करते । मैं आपको बतलाऊं कि नागपुर प्रस्ताव से जमींदारी उन्मूलन का सारा मंशा ही खत्म हो गया । जमींदारी के खातमे के बाद यह सोचा गया था कि जमींदारों से जो जमीन बचेगी उसे भूमिहीनों में बांट दिया जायगा, लेकिन यह कुछ नहीं हो सका । जब लोगों को मालूम हुआ कि जमींदारी खत्म हो रही है तो प्रदेश के जमीदारों ने बहुत सारे बाग काट दिए । फिर कुछ दिनों बाद जब सरकार ने बाग रखने को इजाजत दे दी तो इन लोगों ने दो-दो सौ और तीन तीन हजार बीघे में बाग ही बाग लगा लिए । इससे जो सीलिंग आपने निश्चित की थी उसकी सारी मंशा ही खत्म हो गयी , मंशा यह थी कि उनसे भूमि निकाल कर भूमिहीनों को दी जानी थी ।

श्रीमन्, मेरे जिले बिजनौर में ऐसे अनेकों कोआपरेटिव फार्म्स हैं जिनमें उन आदमियों के नाम भी दर्ज हैं जिन्हों ने इस जमीन पर किसी मां के पेट से जन्म नहीं लिया है । बिलकुल फर्जी नाम उनमें भर दिए गये हैं । असेंबम्ली में मैंने एक प्रश्न किया था कि बिजनौर जिले में कितने कोआपरेटिव फार्म्स हैं, तो मुझे उनकी तादाद बतलायी गयी । जब मैंने बतलाया कि ऐसी भूमि पर अनावश्यक ढंग से फर्जी लोगों ने कब्जे कर रखे हैं तो वे सब तिलमिला गये और वे दौड़े हुए यहां तक मेरे मूल प्रश्न को देखने आये । श्रीमन्, मुझे यहां तक धौंस दी गयी कि हम तुम्हें इसका मजा चखायेंगे । इसलिए मैं आपको बतला दूं कि यदि उन लोगों ने मेरे साथ कोई ऐसा व्यवहार किया तो मेरे द्वारा कहे गये ये शब्द कार्यवाही में रहेंगे और उनको उचित दंड दिया जायगा । आप तो केवल शोक प्रस्ताव पास करके ही रह जायेंगे । जमींदारी उन्मूलन से किसानों का कोई फायदा नहीं हुआ है । फायदा यदि हुआ है तो राष्ट्र का हुआ है । हां, एक फायदा किसानों को हुआ है कि जब जमींदारी का खातमा हुआ तो आपने बहुत बड़ी तादाद में किसानों पर रहे बकाया लगान को माफ कर दिया, जिसके लिये आपको शुक्रिया है । लेकिन जब जमींदारी का खात्मा हुआ तो उन दिनों किसानों में एक बात हम बहुत सुनते थे । वे कहते थे कि आज जमींदार खत्म हुई, कल किसानों की किसानी भी इसी तरह से खत्म होगी । तो इस संशोधन विधेयक के देखने से यह पता लगता है कि इसमें आपने कोई सीमा नहीं रखी है कि कितने दिन का बकाया होने पर आप उसकी जमीन को नीलाम करा लेंगे या कुर्क करा लेंगे और उसकी जमीन उसके हाथ से निकल जायेगी । इससे यह भी हो सकता है कि झूठे ही सरकारी अधिकारी लोग या कोई शक्तिशाली आदमी झूठी रिपोर्ट करवा कर लोगों की जमीन निकाल ले सकते हैं । इस तरह से किसानों की वह बात बिल्कुल सही हो जायगी कि एक दिन किसानों की किसानी भी खतम हो जायगी ।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लोग इस प्रदेश की जमीन पर किसी मां के पेट से पैदा ही नहीं हुये उनके नाम से बहुत से कोआपरेटिव फार्म्स चल रहे हैं और उनको सरकार पैसे द्वारा और दूसरी तरह से सहायता भी देती है । माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि आपके जिले में लेखपाल हैं, तहसीलदार हैं उनके पास तो फसल में गेहूं भेज देते हैं और उनके पास तो गाय भैंस भेज देते हैं । आपको पता नहीं है कि वहां नाजायज तरीके की फारेस्ट विभाग की जमीन कितनी है । आप कोई ऐसा विभाग कायम करें जिसको आप तनख्वाह भी दें और साथ यह भी रखें कि जो सरकार की जमीन या ग्राम समाज की जमीन का पता लगायेंगे तो उन्हें इतना इनाम भी दिया जावेगा ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं आज इसी बात पर बल देने के लिये और मंत्री जी को कुछ सुझाव देने के लिये इस संशोधन विधेयक पर बोल रहा हूं । श्रीमन्, इसी प्रदेश के अन्दर इस बात के पता लगाने के लिये, कि कितनी जमीन ऐसी है जो हरिजनों और भूमिहीनों को दी जाय, ८० हजार रुपया खर्च किया गया है, एक कमेटी बनाकर जिसके चेयरमैन श्री बलदेव सिंह जी आर्य थे । माननीय सम्पूर्णानन्द जी की मिनिस्ट्री खत्म हुई, गुप्ता जी की मिनिस्ट्री आई, पर उन कागजों का पता नहीं चल सका कि वे किस आलमारी में बन्द पड़े हैं और उन कागजों का क्या हुआ ? श्रीमन् ,पंजाब से आये हुए लोगों ने तराई में जमीनों पर नाजायज कब्जा किया है

[श्री श्रीराम]

उन लोगों ने १००-१०० बीघे का फार्म खोला। उनके पास इससे पहिले से भी ५०० बीघे जमीन मौजूद थी परन्तु श्री बलदेवसिंह जी आर्य और ये चरणसिंह की सरकार उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रही है। इसके खिलाफ, यदि इस प्रदेश के हरिजन तराई के इलाके में कोई भी जमीन पड़ी हो या वे पांच-छः सालों से जोत भी रहे ह तो फारेस्ट विभाग के आदमी उन लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम कराके जेल भेज देते हैं। मैंने पहिले बताया था कि सरकार की खरीदी हुई ६० रु० प्रति बीघा खाम की जमीन पर बिजनौर जिले में किसी आदमी ने नाजायज अधिकार कर रखा है। सरकार ने उसका उत्तर दिया था कि २ हजार बीघा ऐसी जमीन है जिस पर कब्जा कर रक्खा है और उस पर मुकदमा भी चल रहा है। तो श्रीमन, तराई के इलाके में पैसे वाले लोगों ने कब्जा कर रखा है पर सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पाई है। इस पर तो यही कहावत लागू होती है कि जमीन जोर की नहीं तो किसी और की"। श्रीमन, आज जो यह संशोधन विधेयक है उससे साधारण लोगों को लाभ पहुंचने वाला नहीं है। इससे लाभ हुआ तो पैसे वालों को होगा।

अभी रियासत साहब ने बात कही कि आपकी बाजुओं में इतनी शक्ति है। जिनके पास १० वर्ष से जमीन पड़ी है और उसमें कोई उत्पादन नहीं हो रहा है, प्रदेश को जिससे कोई लाभ नहीं हो रहा है तो क्या मंत्री जी ऐसी जमीनों को उनसे निकालेंगे और क्या मंत्री जी इस संशोधन विधेयक को जनता के पास भेजने की कृपा करेंगे, जनता की राय लेंगे या कम से कम प्रवर समिति को ही भेजेंगे जिससे जिन्होंने झूठे कोआपरेटिव फार्म बना रक्खे हैं और जिनके फार्मों में दो हजार बीघे जमीन फारेस्ट डिपार्टमेंट की शामिल है ऐसी जमीनों को निकालकर गरीब हरिजन भूमिहीनों को देने की व्यवस्था करेंगे?

*श्री राजनारायणसिंह (जिला मिर्जापुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने की आज्ञा दी। श्रीमन्, जो प्रस्तुत भूमि संशोधन विधेयक पेश है, उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं और जो यह संशोधन लाया गया है कि यह जनमत संग्रह के लिये भेजा जाय, मैं इसके खिलाफ हूं।

श्रीमन, हम लोग जानते हैं कि दुनिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है और इस प्रगति के समय में जितनी आवश्यकता होती है जनता भी जागरूक है—और ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है जब कि मांगों को पेश किया जाय और जो जो अड़चनें कार्य करने में आती हैं उनके लिए जरूरी है कि हम जल्दी से जल्दी कोई न कोई विधेयक लायें या संशोधन लायें, जनता के सुख और सुविधा के लिये जल्दी से जल्दी हम अपने कानून में परिवर्तन करें। श्रीमन्, मैं एक मिसाल दे सकता हूं कि जो दफा ११७ में संशोधन किया जा रहा है, मैं अपने क्षेत्र के एक विषय को यहां पर रख दूं तो उससे साफ हो जायगा कि कितनी आवश्यकता इस संशोधन की है। हमारे यहां जमालपुर ब्लाक परगना भुइली में गढ़ई नदी पर तीन रेगुलेटर बने हुये हैं, गाड़ी घाट, उसरौली और पचोखरताल। गढ़ई नदी में काफी पानी होने की वजह से बनारस की सरहद के रेगुलेटर को बनारस वाले बन्द कर देते हैं जिससे ३० गांव भुइली के जलमग्न हो जाते हैं। दो ढाई साल से बराबर में उसके लिये लिखापढ़ी कर रहा हूं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। भुइली के वह जो ३० गांव हैं वह बहुत ही पैदावार वाले गांव हैं। धान की खेती वहां बड़ी जबरदस्त होती है, यह सब लोग जानते हैं। लेकिन यह थोड़ा सा काम न होने की वजह से, जलाशय का इन्तजाम न करके की वजह से और रेगुलेटरों को न हटाने की वहज से ये ३० गांव जलमग्न रहते हैं जबकि नहर का इन्तजाम बड़ी आसानी से किया जा सकता है। इसलिये हम देखते हैं कि थोड़ा सा संशोधन न करने की वजह से देश का कितना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बड़ा नुकसान हो सकता है । इसलिये इसकी आवश्यकता को समझना चाहिये और ऐसे संशोधन का हमें हृदय से स्वागत करना चाहिये न कि प्रवर समिति में ले जाने की बात की जानी चाहिये ।

दूसरी बात जो वकीलों के पैनल की कही गई है वह भी बहुत ही माकूल चीज है और उसका भी स्वागत होना चाहिये ।

मैं एक मिसाल अपने क्षेत्र की देता हूं जो दफा २२५ में वसूल न होने योग्य लगान या और अन्य देय हैं उनको बट्टे खाते में डालने के अधिकार से संबंधित है । चुनार बीज गोदाम से आज से दस पंद्रह साल पहले किसानों को बीज दिये गये थे । उसके संबंध में मेरे पास काश्तकारों की दरख्वास्त आयी हुई है । वह बीज जो उन्हें दिया गया था वह इतने खराब किस्म का था कि वह उगा भी नहीं । किसानों ने फिर भी बीज का दाम अदा कर दिया । मगर आज पंद्रह वर्ष बाद उन पर सूद दर सूद लगाकर और आज जो महंगाई में उसकी कीमत है उस कीमत को उनसे वसूल किया जा रहा है । इसके मुताल्लिक काफी दरख्वास्तें सरकार के पास आयी है, हमारे पास भी आयी है, मैं माननीय मंत्री जी की सेवा में उनको पेश करूंगा । तो अगरचे ऐसे देय जो हैं जिनकी वसूली नहीं हो सकती, उनको बट्टे खाते में ले जाने के लिये गवर्नमेंट की तरफ से कोई संशोधन आता है तो उसका स्वागत करना चाहिये और मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूंगा कि उन दरख्वास्तों पर विचार करके वह ऐसी रकमों को बट्टा खाते में डालने की कोशिश करेगी जो कि वसूलयाबी के लायक नहीं हैं । इससे काश्तकारों को काफी राहत मिलेगी ।

इसी तरह से रिसीवर की जो बात रखी गई है वह भी अपनी जगह पर बिलकुल मुनासिब है । रिसीवर जब किसी जायदाद के लिये मुकर्रर किये जाते हैं तो उस जायदाद की खराबी नहीं होने पाती क्योंकि वह जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं और जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं । 'जिनकी प्रापर्टी रिसीवरी में दे दी जायगी उनको नुकसान नहीं हो सकता ।

मैं अब चकबन्दी के बारे में सिर्फ दो बातें कहना चाहूंगा । एक तो यह कहा गया कि चकबन्दी में रिश्वतखोरी बहुत ज्यादा है । रिश्वतखोरी है इससे इंकार नहीं किया जा सकता लेकिन इसके कारणों को जानना चाहिये और गवर्नमेंट ने उन कारणों को अच्छी तरह से जाना है । हमारी तहसील में चकबन्दी हुई थी । मैं भी जानता हूं कि इसमें रिश्वतखोरी हुई और किस तरह से गवर्नमेंट ने उसका मुकाबिला किया और उसका खात्मा हुआ। एक तो जिला स्तर पर चकबन्दी की कमेटी है, अगर उसके सदस्य और जिला मेजिस्ट्रेट जागरूक रहें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चकबन्दी का काम बहुत सुचारु रूप से चलाया जा सकता है । लेकिन जहां पर जिलाधीश और जिला स्तर की जो कमेटी है, जिसमें हम सब लोग हैं, वह अगर सतर्क नहीं रहते, तो खामख्वाह घूसखोरी बढ़ने का मौका मिलता है ।

दूसरा कारण घूसखोरी का यह है कि जितने कर्मचारी हैं, वह सब अस्थायी हैं । अगर स्थायी कर्मचारियों के मातहत इस काम को रख दिया जाय, तो करप्शन में कमी हो सकती है । इसी तरह से मैंने देखा कि ए० ओ० सी० हमारे यहां के ईमानदार थे, लेकिन अपील में जितने केसेज उनके सामने जाते थे, उन सबको खारिज कर देते थे, जिससे अफसरों को मौका मिल गया कि वह सब मनमानी कर सकते हैं, जिसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो सकती । इसी तरह से डाइरेक्टर वगैरह जो हमारे यहां गये उन्होंने भी शत प्रतिशत मुकदमों को खारिज किया और यह सब जल्दबाजी के कारण ऐसा किया जाता है । इससे अदालत के मातहत के लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, और वह नाजायज काम करने के लिये उद्यत होते हैं । इन सब बातों पर अगर खयाल किया जाय तो भविष्य में यह काम सुधारा जा सकता है ।

एक बात मुझे यह कहनी है कि चकबन्दी और इंजीनियरिंग विभाग में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है, जिससे बड़ा भारी नुकसान होता है । मैं एक मिसाल देता हूं कि जमालपुर ब्लाक में जो ३० गांव हैं और वहां जो गड़ई नदी है, जिसका मैंने जिक्र किया उसके बारे में मैंने दो मर्तबा

[श्री राजनारायणसिंह]

लिखा कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर जो बनारस में रहते हैं, तथा एस० ओ० सी० चुनार को लिखा जाय कि चकबन्दी खत्म होने से पहले उस जमीन का सर्वे और एलाइनमेंट कर दिया जाय, जिसे माइनर के लिये लेनी होगी और तब चकबन्दी का काम फाइनल किया जाय, इससे किसानों को काफी राहत मिलेगी अन्यथा चकबन्दी हो जाने के बाद जो गांव माइनर तथा गड़ई नदी के पानी के निकासी के लिये जो नाला बनाया जा रहा है तथा गड़ई नदी के खोदने की जो तजबीज है, इन सब कामों के लिये अगर जमीन बाद में ली जायगी, तो इससे किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यह काम तभी हो सकता है, जब इंजीनियरिंग विभाग, नहर विभाग तथा चकबन्दी विभाग में कोंआर्डिनशन हो। मैं आशा करता हूं कि इस संबंध में कड़े आदेश विभाग को दिये जायंगे ताकि चकबन्दी खत्म होने से पहले सार्वजनिक कामों में ली जाने वाली जमीन को पहले से ही चक के बाहर निकाल दिया जाय।

धारा ५२ में जो खसरा वगैरह की विज्ञप्ति निकलने की बात है, मैं चाहूंगा कि असामियों और काश्तकारों को चकों का अंतिम विज्ञापन निकालने से पहले उसकी एक कापी दी जाय, ताकि उनको पूरी खबर हो कि हमारे चक का नक्शा किस तरह से बनाया जा रहा है, और हमारी जमीन उस नक्शे में किस तरह से है, जिससे कि वह मियाद के अन्दर उजरदारी कर सकें। अगर्चे ऐसा नहीं किया गया तो उनके लिये अंतिम चीज हो जायगी और अपील वगैरह भी करने पर उन्हें नुकसान होगा। इसलिये नियमों में इस बात का प्रबन्ध किया जाय कि अंतिम चक के नक्शे की एक कापी उन्हें पहले से दी जाय और तब उनसे एतराजात इनवाइट किये जायं। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

श्रीमन्, मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक को पढ़ने से मुझे खुशी होती है कि देश के नादेहन्दों के संबंध में जो बिल आया है, उसमें यह जाहिर किया गया है कि वसूली की क्या विधि होगी। लेकिन जब इसके अन्दर देखता हूं तो यह स्पष्ट होता है कि व्यापारियों की नादेहंदगी की वजह से किसानों को भी, जो ९५ फीसदी तक मालगुजारी बेबाक कर दे देते हैं, इस नई व्यवस्था का शिकार होना पड़ेगा। जहां तक पिछले नियमों का संबंध है, उनके अधीन मालगुजारी की वसूली बहुत अच्छी होती चली आई है। व्यापारियों से बकाया वसूल करने के बारे में जो मंशा इस विधेयक में दरशायी गई है, उसका तो मैं स्वागत करता हूं, लेकिन दुख इस बात का है, कि जब हमारे कृषक सरकार की मालगुजारी बराबर देते आये हैं, और जिसको मंत्री जी ने स्वीकार भी किया है कि हमारा कृषक बहुत अच्छा देनदार है, तो फिर केवल व्यापारियों के न देने की वजह से किसान भी इस नियम के अन्तर्गत आ रहे हैं, यह उचित नहीं है। मैं चाहता हूं कि व्यापारियों पर इस नियम को लागू करने में कोई ढिलाई न की जाय लेकिन किसानों के संबंध में जो मालगुजारी वसूली के पहले से नियम थे, उन्हीं को लागू किया जाय।

जहां तक गांव समाज की जमीन की व्यवस्था करने के सिलसिले में पैनल के वकीलों को चुनने का सवाल है, मान्यवर, यह बहुत जरूरी था और यह बहुत पहले ही हो जाना चाहिये था। जब जमींदारी खत्म हुई, जो १३५९ फसली में गांव समाज की जितनी जमींन थी, यदि पुराने खसरा खतौनी को देख कर ही अगर निश्चित किया जाय कि गांव समाज की कितनी जमीन थी तो मैं समझता हूं कि गांव समाज को लाभ होगा और सरकार को भी अन्त में लाभ होगा। वह जमीनें सब पट्टे पर उठती चली गई, और आज गांव समाज के पास कोई ऐसी जमीन नहीं है, जिसकी इतनी बड़ी व्यवस्था करने की जरूरत पड़े।

चकबन्दी अधिनियम में भी संशोधन लाया गया है। जहां तक चकबन्दी के काम की मंशा है, मैं समझता हूं बहुत अच्छी मंशा है और हर तरफ से इसकी पैरवी की जा रही है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे भी हुये हैं, जिनसे सारी मंशा ही बिखर गई। मैं दो मौजों के संबंध में मंत्री जी के सामने एक बात कहना चाहता हूं जिला बहराइच तहसील कैसरगंज के बसंतपुर

और जगतापुर मौजों में जो पर्चा किसानों को मिला है, उसमें और मौके पर जो जमीन किसानों को मिली है काफी अन्तर है । कहने का मतलब यह है कि पर्चे के मुताबिक किसानों को जमीन नहीं मिली है । ४ मार्च को जिलाधीश बहराइच के सामने ४०–४५ कृषकों ने प्रार्थनापत्र दिये हैं । मैं अनुरोध करता हूं कि उस संबंध में विशेष ध्यान देकर तहसील कैसरगंज के मौजा बसंतपुर और जगतापुर की पुनः जांच कराई जाय ताकि सही स्थिति का पता लग सके ।

जमींदारी खत्म होने से पूर्व जमींदारों ने जो समय निश्चित किया हुआ था मालगुजारी वसूली के लिये उसी पर हमारी सरकार भी चलती चली आ रही है जिसकी वजह से समय, कुसमय कुर्कअमीन किसानों के दरवाजे पर खड़े रहते हैं । मैं चाहता हूं कि कुछ समय निश्चित किया जाय और पुराने जमींदारों के तरीके को छोड़कर जुलाई से अक्तूबर तक काश्तकार से वसूली न की जाय क्योंकि इस समय पड़ताल का काम होने से पटवारी को भी वक्त नहीं मिलता है और कानूनगो को भी सही चेकिंग करने का मौका नहीं मिलता है । वसूली भी कम होती है अन्य जो भी समय निश्चित किया जाय, वह रखा जाय मुझे उसमें कोई एतराज न होगा । इस तरह सही कागजात की तैयारी का मौका मिल जायगा ।

चकबन्दी के संबंध में जैसा कि जमींदारी एबालीशन और भूमि-व्यवस्था अधिनियम की मंशा है कि जो जमीन जोतता है, वही उसका मालिक है, लेकिन अब उस सिलसिले में जमींदारी एबलीशन के बाद जमींदार जो थे, वह भूमिधर हो गये और जो कृषक थे वह सीरदार हो गये और तीसरे असामी थे । पहले दो काश्तकारों के साथ तो सरकार का सीधा संबंध हो गया लेकिन असामियों का सरकार के साथ सीधा संबंध नहीं हुआ । जब तक उनका सीधा संबंध सरकार से नहीं हो जाता है, तब तक किसी किस्म की बकाया लगान उनसे वसूल कर सकना सरकार के अधिकार में नहीं है । बहराइच में चकबन्दी के उपरान्त किसानों पर ६–६, ८–८ वर्षों का बकाया लगान लगाया गया । लेकिन मुझे खुशी है कि बकाया लगान की वसूली स्थगित कर दी गई है । इसके लिये मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं । लेकिन धारा २१० के अन्तर्गत जिस दिन से वे सीरदार घोषित किये गये हैं उसी तिथि से उन पर लगान निर्धारित किया जाना चाहिये । गलत लगान निर्धारण को उसी आधार पर ठीक किया जाय, यह मेरी आप से प्रार्थना है ।

*श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९६० में जो संशोधन करने का प्रस्ताव माननीय मंत्री जी लाये हैं, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं । मान्यवर, जब यह विधेयक पहले बना था, उस समय जो इसकी धारा १ थी, उससे ऐसा लगता था कि यह विधेयक तराई भाबर की खास स्टेट पर भी, जहां सरकार की जमींदारी है, लागू होगा । लेकिन आज इस सदन के सामने जो उपधारा (२) इस संशोधन विधेयक के द्वारा रखी जा रही है, उसमें माननीय मंत्री जी ने क ख ग घ, संशोधन रखे हैं । उनसे ऐसा लगता है उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि तराई भाबर की खास स्टेट पर वह लागू न होगा । मैं बड़े नम्र शब्दों में प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह सरकार समाजवाद के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है और जब वह दूसरे व्यक्तियों की जमींदारियों को समाप्त कर रही है और जिसकी वजह से किसानों को काफी राहत मिली है, तो यह आवश्यक था कि खास स्टेट में भी वह जमींदारी को समाप्त करती क्योंकि बिना उसके खास स्टेट के किसानों को वे सुविधायें नहीं मिल सकतीं जो दूसरे किसानों को मिल रही है । मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस पर विचार करेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यही तो हमारी मंशा है ।

श्री देवेन्द्रसिंह—

अगर इनकी यही मंशा है तो मंत्री जी इसको जरा कड़ाई से और जल्दी से इस अधिनियम में उसको जुड़वा दें ।

दूसरी बात यह है कि जब तक खास स्टेट के कृषकों को ऐसा हक नहीं दिया जायगा तब तक वे उन सुविधाओं को नहीं पा सकेंगे जिनको अन्य किसान पाते हैं । जब कोआपरेटिव आदि से लोन दिया जाता है तब स्टेटस आदि की हमेशा शिकायत रहती है, और लोन देते समय स्टेटस को वेरीफाई किया जाता है । इसलिये जब तक इनका स्टेटस न होगा तब तक वे उस रियायत से, लोन की व्यवस्था से लाभ न उठा पायेंगे ।

इस संबंध में मैं मंत्री जी से इतना निवेदन करूंगा कि आपने बजट के दौरान में घोषणा की थी कि गढ़वाल, चमोली और टेहरी के जिलों में भी तमाम जिलों की सी व्यवस्था की जायगी, मैं चाहता हूं कि उसको लागू करने के लिये जो बाकी जिले छूट गये हैं वहां के लिये भी वह की जाय ताकि वहां के किसानों को थोड़ी राहत मिल जाय । इस संबंध में मैं ज्यादा न कह कर मंत्री जी ने जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव, जो नेता विरोधी दल की ओर से प्रवर समिति में इस विधेयक को भेजने का, आया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । आप भी, श्रीमन्, किसान हैं और किसानों की हालत को अच्छी तरह से जानते हैं और उधर के माननीय सदस्य भी किसानों द्वारा ही चुने गये हैं और यहां आये हैं और हम सभी किसानों के चुने हुये हैं । इसमें एक धारा १८ है । मैं चाहता हूं कि उसमें से 'क' निकाल दिया जाय । आप जानते हैं किसानों से आसानी से ९५–९६ और ९७ प्रतिशत वसूली हो जाती है और इसमें आप ने जो कलेक्टर को अधिकार दिये हैं उसमें किसानों का प्रतिनिधि होने के नातें मैं कह सकता हूं कि इस धारा का कलेक्टर लोग दुरुपयोग करेंगे ।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

क्या इस स्टेज पर 'क' निकालने की कोई बात इस तरह से कही जा सकती है ?

श्री अधिष्ठाता—

वह सुझाव ही दे रहे हैं ।

श्री रतीपाल—

वह हमारा सुझाव मान लें, मंत्री जी तो वकील हैं हमतो वकील नहीं हैं.....

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हम काश्तकार भी हैं ।

श्री रतीपाल—

आप बड़े काश्तकार हैं, लेकिन हमारी समाजवादी पार्टी का कहना है कि समाजवादी लक्ष्य तक पहुंचने के लिये केवल दस एकड़ से नीचे के काश्तकार ही काश्तकार माने जायं और ३० एकड़ से ऊपर की जमीन मंत्री जी छीन कर नीचे के लोगों को बांट दें । अगर मंत्री जी इस तरह का आश्वासन दे दें तो मैं उन्हें बड़ा धन्यवाद दूंगा । आज किसानों की स्थिति प्रदेश में अधिक मजबूत नहीं है ।

(इस समय १ बजकर ५८ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री होती लाल अग्रवाल पीठासीन हुये।) इसलिये आप कलेक्टरों को जो पावर दे रहे हैं उसमें बड़ी दिक्कत हो जायगी और आप की जो पंचवर्षीय योजना चल रही है और ज्यादा गल्ला पैदा करने के लिये जो आप किसानों को सहायता दे रहे हैं, उनको वह कर्जा कोआपरेटिव व ब्लाक से बैल, भैंस आदि के लिये मिलता है । जब ब्लाक की, कोआपरेटिव की और मालगुजारी की तीनों वसूलियां आप का कुर्क अमीन एक साथ लेकर जायगा तो उस वक्त किसान की हालत क्या होगी और उसी वक्त अगर उसको लड़की की शादी का भी प्रबन्ध करना हुआ तो उसके लिये मुसीबत का सामना करना होगा। उसे कलेक्टर साहब मौका नहीं देंगे और उसकी जमीन नीलाम करा ली जायगी और बेच दी जायगी और जो विधेयक की मन्शा है उससे किसान महरूम रह जायगा। हमारे इलाके में चकबन्दी हुई है, चकबन्दी के हम विरोधी नहीं हैं हम भी चाहते हैं कि चकबन्दी हो लेकिन इसके साथ ही हमारी यह मांग जरूर है कि चकबन्दी के बाद जो जमीन बचे वह भूमिहीनों को दी जाय। हमारे जिले में और सारे प्रदेश में यह जमीन भूमिहीनों को नहीं दी गई है, यह एक बहुत बड़ा नुकसान उन लोगों का हुआ है ।

सरकार ने वादा किया था कि हम किसानों पर लगान नहीं बढ़ायेंगे। ४० साल तक किसी किस्म का लगान नहीं पड़ेगा लेकिन चकबन्दी होकर किसानों के ऊपर किस्म-किस्म के एरियर आ गये हैं। यही नहीं, श्रीमन्, उनका लगान भी १२ गुना और कितने कितने गुना तक बढ़ गया है और उन्हें वह देना पड़ रहा है। चकबन्दी को ले लीजिये। उसमें एक जमीन ऐसी होती है जिसका कोई चक नहीं होता है उसका भी एरियर उसी प्रतिशत से लिया जाता है जैसे और-और भूमि का। तो मैं चाहता हूं कि अब चकबन्दी के बढ़े हुए एरियर को सरकार किस्तों द्वारा वसूल करे ।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, कोरम नहीं है ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रतीपाल—

श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि आपके जो एरियर बनते हैं किसानों पर उस रुपये को एक ही बार में वसूल न करें। उसके लिये किसानों को ३ साल के लिये मौका दें और उसे ३ या ४ किस्तों में वसूल किया जाय। इससे किसानों की परेशानी किसी हद तक दूर होगी।

दूसरे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे इलाके में चकबन्दी होने जा रही है। वहां के किसानों में एक बड़ा भय लगा हुआ है कि चकबन्दी आ रही है। गहना आदि बेच कर रुपया तैयार रखो घूस देने के लिये। चकबन्दी में अब हमारे इलाके में कुछ ईमानदार लोग पहुंचे हैं। इस चकबन्दी ही के कारण हमारे इलाके में कुछ लोगों को ऐसी जगह जमीनें मिली हैं कि जहां पर पानी भरा रहता है। किसान बेचारे बोल भी नहीं पाते हैं। अपनी बात समाप्त करते हुए मैं विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री नित्यानन्द पांडेय (जिला कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल अभी आपके सामने माननीय मंत्री महोदय ने पेश किया है उसकी उपयोगिता और आवश्यकता के बारे में न इधर के बैठने वाले माननीय सदस्य और न उधर के बैठने वाले सदस्यों ने कोई विरोध किया है। सब लोग उसकी उपयोगिता को महसूस करते हैं कि माननीय मंत्री जी ने सचमुच काश्तकारों के लिये बड़ा सुविधाजनक कार्य किया है। वैसे तो काश्तकारों के सम्बन्ध में यह सरकार आरम्भ से बड़ी ही जागरूक है और समय-समय पर उनके फायदे के लिये और उत्कर्ष के लिये निरन्तर प्रयास करती रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नित्यानन्द पाण्डेय]

इस बिल को रख कर जो किसानों की कठिनाइयां थीं, उनको दूर करने के लिये बड़ा प्रयास किया है। इसके लिये हमारे प्रदेश के किसान माननीय मंत्री जी को साधुवाद की संज्ञा देंगे। आज हालत यह है कि गांव समाज की सम्पत्ति जो गांवों में है और जो सारे साधन हैं, उन पर पैसे वाले कब्जा कर लेते हैं और फिर नहीं छोड़ते हैं। वे लोग तहसीलदार से मिल मिला कर काम करा लेते हैं। अतः प्रार्थना है कि माननीय मंत्री जी को इस तरफ ध्यान देना चाहिये। आज तहसीलों में बड़ी गड़बड़ियां हैं। अकबरपुर तहसील में सैकड़ों मिसालें इस प्रकार की मिलेंगी। अकबरपुर तहसील में रनिया गांव है जहां इंडस्ट्रीज का बड़ा भारी सेंटर खोला गया है, वहां के लोगों ने शिकायतें भी की हैं कि कुछ रुपया गांव समाज को मिला था जो सारा का सारा तहसीलदार के पास चला गया। उस सम्बन्ध में इंक्वायरी चल रही है। आशा है सरकार इस तरफ ध्यान देगी।

आज काश्तकार इस बात के लिये परेशान है कि लेखपाल से बार-बार इंतखाब मांगने पर भी उसे नहीं मिलता। सरकार यह अनिवार्य कर दे कि खसरा और खतौनी का इन्तखाब हर काश्तकार को साल के आखिर में मिल जाय ताकि उसे पता चल जाय कि उसकी जमीन पर कब्जा किसका लिखा है। इससे किसानों को बड़ा लाभ होगा। किसान को सैकड़ों रुपया खर्च करना पड़ता है पटवारी से यह जानने के लिये कि उसके खेत पर किसका कब्जा है। इस ओर जरा कड़ाई का रुख अख्तियार किया जाय तभी किसान फायदा उठा सकता है।

मेरे जिले में एक कसेड़ी गांव है। गांव के बाहर लोगों ने मकान बना लिये लेकिन गांव समाज उसे नहीं रहने देना चाहता कि वे लोग उस ढंग से भी रह सकें। इसलिये उनको तंग किया जा रहा है। मंत्री महोदय इस तरह की व्यवस्था कर दें कि जहां लोग आबादी में रहते हैं उनको रहने दिया जाय। इसकी व्यवस्था गांव समाज मैनुअल में भी है, लेकिन उस पर अमल नहीं होता है।

जहां तक चकबन्दी का ताल्लुक है हमारी सरकार ने ऐसा करके एक उत्तम और सुन्दर काम किया है, लेकिन जिन हाथों में उसकी व्यवस्था है वे इसका बड़ा दुरुपयोग करते हैं। इस तरफ कड़ाई का रुख अख्तियार किया जाय ताकि समस्या का समाधान हो सके। वैसे इस विधेयक में चकबन्दी के सम्बन्ध में एक धारा है। गांव समाज की हालत आज क्या है? जिन तालाबों में मछली होती है, नदियों में मछली होती है वहां के तहसीलदार, लेखपाल मिल जाते हैं जिससे कि सरकार तथा गांव समाज के खजाने में कुछ नहीं आता और सरकार कोई व्यवस्था करके उसकी रक्षा की ओर ध्यान दे। यह जो कहा गया कि आदमी बार-बार बेदखल किये जाते हैं और वे बार-बार खेत जोत लेते हैं तो यह काम वही कर सकता है जो साधन संपन्न है, सबल है, कोई गरीब नहीं कर सकता। इन शब्दों के साथ में इसका समर्थन करता हूं।

*श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन पेश हुए हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। मेरा पहला सुझाव यह है कि यह जो खिचड़ी विधेयक लाया गया है वह उचित नहीं है। इसमें ७ विधेयकों से सम्बन्धित संशोधन लाये गये हैं। अच्छा होता कि उनको संबंधित विधेयकों में ही संशोधित किया जाता। उसकी हमेशा जनता में भी आलोचना की जाती है। इस वजह से अलग-अलग सबका विधेयक होना चाहिये, एक में मिश्रित होना ठीक नहीं है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ठीक है, भविष्य में ऐसा ही होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट—

मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है तो वह अवश्य उसे करेंगे। दूसरी बात यह है कि जो भी संशोधन आये उसे जनमत जानने के लिये या प्रवर समिति में अवश्य भेजा जाया करे। आप जितने संशोधन ला रहे हैं, वह उच्च न्यायालय की रूलिंग के अनुसार ला रहे हैं। पहले आप विधेयक ठीक नहीं बनाते हैं, वह दोषपूर्ण रहते हैं। जब वह गलतियां उच्च न्यायालय द्वारा पकड़ी जाती हैं तब आपको ध्यान आता है उसमें संशोधन लाने का। पहले से ही सब पहलुओं पर विचार करके बिल नहीं बनाये जाते हैं। २२९-बी० के हजारों मुकदमे खारिज हो गये। यहां के बनाने वाले अफसर लोग एयरकन्डीशन्ड कमरों में बैठे रहते हैं और शुरू में कोई ध्यान नहीं देते हैं और जब कोर्ट में केस खारिज होते हैं, उसके खिलाफ रूलिंग्स होती हैं, तब आप अमेन्डमेंट लाते हैं। इसलिये अगर आप इसको प्रवर समिति में भेज दें जनमत संग्रह के लिये, तो जो भी गलतियां हों वह आपके सामने आ जायें, जिस बात को आप पहले नहीं सोचते हैं।

यह जो ड्राफ्टिंग का दोष है, पैनल लाइयर के बारे में कहा गया है आज माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान दें जो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अप्वाएन्ट करते हैं, उन्हें आप नामिनेट करते हैं, वह दरअसल एक रस्मअदायगी करते हैं, वे कोई काम नहीं करते हैं। काम तभी होता है जब ग्राम सभापति उसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं और दूसरा वकील कर लेते हैं। आपको पैनल जो बनाना है उसको उस लेवेल पर बनाना चाहिये कि कमिश्नर का पैनल अलग होगा, हाईकोर्ट का पैनल अलग होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अलग होगा। हर कोर्ट का पैनल अलग-अलग होना चाहिये।

अभी आपने वसूली के लिये कहा है कि उसकी पूरी होल्डिंग का नीलाम होगा पूरी होल्डिंग के नीलाम करने के नियम में भी वही नतीजा होगा जो २२९-बी० में हुआ है। इस नियम में कोई फोर्स नहीं है और इस प्रकार के नियम भी हाईकोर्ट में जाकर खारिज हो जायगे। पूरी होल्डिंग न रख कर होल्डिंग का वह पोर्शन रखा जाये, जितने के ड्यूज हों। यदि आप पूरी होल्डिंग के नियम बनाये रखेंगे तो गरीब किसान की सारी जमीन उसके हाथ से निकल जायगी और उसे फिर वह प्राप्त नहीं कर पायेगा।

सबलेटिंग के बारे में कहा गया। मैं भी कहता हूं और इसका समर्थन करता हूं कि सबलेटिंग होना चाहिये, लेकिन वह रिस्ट्रिक्शन के साथ हो तभी उससे लाभ हो सकता है अन्यथा नहीं। जो भूमि परती पड़ी रह जाती है, उसके लिये आवश्यक है कि सबलेटिंग हो, किन्तु वह विद सम रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिये।

चकबन्दी के बारे में भी मैं एक प्वाइन्ट बताऊंगा। काश्तकार के पास कोई ऐसा फाइनल नक्शा होना चाहिये यह नक्शा उसे मिलना चाहिये, जिससे उसे मालूम हो सके कि उसे कितना लम्बा चौड़ा चक मिला है, और उसके उत्तर पश्चिम, पूर्व और दक्षिण किसके किसके खेत हैं। क्योंकि जैसा आपने कहा है जो रिकार्ड बनते हैं दरसल यह गलत नक्शे बनते हैं। यदि आप एक कमेटी इस काम के लिये बना दें तो वह बतायेगी कि जहां चक बना दिये गये हैं वह अधिकांश ८० प्रतिशत गलत बने हुये हैं। इसके सुधारने के लिये तो आपको स्वयं कोशिश करना चाहिये। लेकिन जो आप उपाय करेंगे उनमें एक नक्शा खेत का मिलना चाहिये कि उसकी लैण्ड कहां पर है, उसकी स्थिति क्या है। इन शब्दों के साथ मैं संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, कल ही मैंने कहा था कि मैं इस अधिनियम के विरोध में कुछ नहीं कहना चाहता। केवल मैंने एक संशोधन रखा है जिसे मैंने उचित समझा। मैंने यह भी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

कहा था कि माननीय मंत्री जो संशोधन लाये हैं, वह समय की मांग थी और सभी उससे प्रसन्न हैं, उसके लिये बधाई देते हैं, यद्यपि उन्होंने सोचा बहुत देर से लेकिन उस चीज की आवश्यकता है किन्तु एक बात यह अवश्य है कि अगर यह संयुक्त प्रवर समिति में जाता या इसके सम्बन्ध में जनमत संग्रह किया होता तो जो इसमें खामियां होतीं वह भी उनके ज्ञान में आ गयी होती और फिर ऐसा विधेयक बनता कि दो चार वर्ष तक कोई संशोधन न करना होता। यह हमारा ही विचार नहीं, अपितु जो उधर के भी माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये उनसे भी यही अर्थ निकलता है। हमारे मंत्री जी के हृदय में भी यह बात है कि इसमें जो अवगुण हैं उनको दूर होना चाहिये। वह भी चाहते हैं कि गांव सभा की सम्पत्ति का संरक्षण हो। गांव सभा की सम्पत्ति का कितना दुरुपयोग हो रहा है इसका अनुभव हमको तो है, माननीय मंत्री जी को शायद न हो, क्योंकि वे अधिकतर लखनऊ में ही रहते हैं और वकालत करते नहीं हैं और उनके भय के मारे उनके पक्ष के लोग उनसे कहते नहीं, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। अगर आप इसे ठीक कर देते तो बड़ा पैसा गांव समाज में आता और आपको उसमें न देना पड़ता, उसको रुपये के अधिक साधन मिल जाते। इसलिये एक अवसर दें और इसे संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द करें।

अलाभकर जोत के विषय में और इनहेरिटेंस के बारे में कहा जा चुका है। मैं कहता हूं कि इन पर विचार करने का यही अवसर है। माननीय मंत्री जी ने कल हमसे कहा कि तुम लोग इतना विरोध क्यों करते हो, हम तो चाहते हैं कि जल्दी हो जाय, इससे देर हो जायगी। मैं कहता हूं कि थोड़ी देर, महीने दो महीने की हो सकती है, लेकिन जो लाभ इससे जनता को होगा इसका अनुमान आप नहीं लगा सकते। आप इस ७-७ विधेयक को एक साथ क्यों ले आये? एक एक करके लाते तो जिसको हम उचित समझते कि यह संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द हो, उसे करते, लेकिन आप ने सब को एक में नत्थी कर दिया और यह गलती आपने कर कर दी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि भविष्य में ऐसी गलती न हो।

श्रीमन्, वकीलों और जजों की राय श्रीमन् के अधिनियमों के बारे में यह है कि आपने सेक्शन ५ बनाया उसमें लिख दिया कि जैसा दफा ७ में लिखा हुआ है, दफा ७ में देखा लिखा है कि जैसा दफा २२६ में लिखा है और २२६ में लिखा है कि २२२ में जैसा है। इस सम्बन्ध में चीफ जस्टिस महाजन ने एक बात कही थी कि आपने कानून का एक जंगल बना दिया है और इतना अस्पष्ट है कि एक नियम का अर्थ लगाने के लिये कितनी ही किताबों को इकट्ठा करना पड़ेगा। मंत्री जी योग्य व्यक्ति हैं, अगर वे यह अवसर अब भी दे दें तो यह कमी दूर हो सकती है।

दूसरी बात जरा टेकनिकल है। बहुत दिनों से मेरे पास यह सूचना थी, सही हो या गलत, यह बात कदाचित् कैबिनेट के सामने आयी और हमारे माल मंत्री जी के सामने आयी जिस पर वह कभी सहमत नहीं हुए और बात जुरिस्डिक्शन की है। कंसालिडेशन के बारे में जो निर्णय होते हैं, चाहे किसी के अधिकार हो, चाहे किसी के डिवीजन का हो या कोई भी प्रश्न हो वह किसी दूसरी ऊंची अदालत के निर्णय को भी बार कर सकता है। निर्णय करने वाला कौन है? ए० सी० ओ० या सी० ओ० या अन्य व्यक्ति जिनको इतना तजुर्बा नहीं है। इसमें राहत मिल सकती थी अगर माननीय मंत्री जी इतना करते कि इनकी रिविजन की ताकत, इनकी अपील फाइनल डिस्ट्रिक्ट जज के यहां करते। उसके लिये आप यह कह सकते हैं कि वहां पर देर लगेगी, लेकिन मैं यह कहूंगा कि सीलिंग ऐक्ट में आपने डिस्ट्रिक्ट जज को फाइनल अधिकार दिया है तो वह इतनी जल्दी फैसला देते हैं कि जो तारीफ के योग्य हैं। मैं अपने जिले की बात कहता हूं। वहां जितने भी इसके केस हैं वह १, २ को छोड़ कर ९० फीसदी केसेज सीलिंग ऐक्ट के तय हो चुके हैं। अब कंसोलिडेशन होने के बाद सिविल लिटिगेशन कम हो गया है। इसकी वजह से जिले में लिटिगेशन कम हो गया है और हल्का हो गया है तो उनके

पास भी काम हल्का है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि अगर आप समझते है कि निर्णय के लिये रिवीजन का अधिकार डिस्ट्रिक्ट जज को दे दें। सिविल जज को आप कर दें तो वह दोनों से पहले फैसला करेगा। वह शहादत देख कर निर्णय देगा।

दूसरा पक्ष यह है कि जमींदारी अबालिशन ऐक्ट के बारे में मन्त्री जी के सामने कई बार यह बात आई कि जहां पर एडाप्शन का प्रश्न है, मैरेज का प्रश्न है, इनहैरिटेन्स का प्रश्न है, लेजिटिमेसी का प्रश्न है और टाइटिल का प्रश्न है, ये सब प्रश्न जे० ओ० के द्वारा आप निर्णय न करायें क्योंकि आप इससे परिचित है कि रेवेन्यू कोर्ट में एक पेशकार इधर बैठा हुआ है और एक पेशकार इधर बठा हुआ है। एक पेशकार जजमेंट लिखता चला जाता है। वह इस तरह से लगा रहता है कि जिसकी वजह से पूरा ध्यान उधर नहीं होता है। उनके हाथ में यह खेल होता रहता है। इसलिये वहां से हटाकर आप डिस्ट्रिक्ट जज को यहां कर दें तो उसे समय कम लगेगा और खेल भी लोगों को मालूम नहीं होगा। इस समय जब उसको यह कह दिया जाता है कि ५० फैसले होने चाहिये और अगर ३ महीने का कोटा पूरा नहीं किया तो खारिज कर देते हैं। उस पर ध्यान नहीं देते। इसलिये इस तरह से आप देखेंगे कि समय ज्यादा लगता है।

दूसरी बात हाईकोर्ट की एक नजीर देख कर मैं कहना चाहता हूं। एक समय हाईकोर्ट के सामने यह प्रश्न आया कि माल मन्त्री जी कहते है कि रेवेन्यू कोर्ट में मुकदमा दायर होने से कम खर्च होगा। हाईकोर्ट ने यह कहा कि लिटिगेन्ट पब्लिक को जहां पर राहत मिलेगी वह वहीं पर जायगी। उसके लिये सिविल कोर्ट या रेवेन्यू कोर्ट का प्रश्न नहीं है। हाई कोर्ट ने इस तरह से कहा है कि

"The question which arises for determination in this revision is whether a plaint containing such arguments is entertainable by the Civil Courts or not. This question arises in numerous cases and is assuming greater importance now because the tendency on behalf of the plaintiff is to avoid the revenue courts and obtain a decision from the Civil Court. There is nothing improper in this and their preference for the Civil Courts is understandable. But the courts have to follow the law as it stands, and give full effect to it."

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप समझते हैं कि रेवेन्यू कोर्ट से हटाकर जुरिस्डिक्शन सिविल कोर्ट को नहीं करते हैं, तो मेरा सुझाव यह है कि जुरिस्डिक्शन कान्करेन्ट कर दें यानी रेविन्यू कोर्ट और सिविल कोर्ट दोनों का जुरिस्डिक्शन कर दें। इसमें यह होगा कि जिसके जी में जहां आयेगा और जहां पर राहत मिलने की उसको सम्भावना होगी वहां पर वह जायगा। इसमें हमारा विश्वास यह है कि खेल नहीं होगा जैसे कि जे० ओ० और डिप्टी कलेक्टर आज कल कर रहे हैं और शायद इन्साफ भी होगा। तो इसको वहां जाने का मौका आप दीजिये। अगर वह यहां नहीं जाना चाहेंगे तो रेवेन्यू कोर्ट्स में जायेंगे। अगर कोर्ट फीस ज्यादा लगती है तो आपने कितना कानून ऐसा बनाया कि अमुक प्रकार की दरखास्त पर आठ आना कोर्ट फीस लगेगी और टेनेन्सी इस्टैबलिश करने के लिये अगर कोई दरखास्त देता है तो उस पर एक रुपया कोर्ट फीस लगेगी? आपने ही कोर्टफीस ऐक्ट में बनाया था, इसमें भी बना दीजिये। तो इन पहलुओं को ध्यान में रख कर आम जनता को सुविधा देने के लिये सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन उनको दें। अगर आपका यह खयाल है कि उनको बहुत दूर दौड़ना पड़ता है, तो म आपको बतलाना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जिले में सेंट्रलाइज होते हैं। वहीं सब मामले फैसल हो जायेंगे, लेकिन आप के यहां जुडिशियल आफिसर डिस्ट्रिक्ट में फैसला करेगा, कमिश्नरी के लिये उसे गोरखपुर आना पड़ेगा और फिर बोर्ड में उसे दौड़ना पड़ेगा। आप के इस प्रोसेस में ज्यादा समय तथा पैसा उसका लगेगा। अगर सिविल कोर्ट्स को अधिकार देते हैं

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

तो उसी जिले में सारे मामले तय हो जायेंगे और उसे राहत मिल जायगी। इन कारणों को देखते हुये भले ही इसमें देर हो जाय, मैं तो चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर एक बार और विचार कर लें और अगर एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन नहीं देना चाहते तो कान्करेंट जुरिस्डिक्शन दे दें, लेकिन जनता को राहत अवश्य दें। इतनी ही मेरी प्रार्थना है और इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय त्रिपाठी जी का ऋणी हूं कि जो संकल्प उन्होंने रखा था उसे छोड़ कर मेरे संकल्प की उन्होंने ताईद की है और मेरे संकल्प से वे सहमत हैं. . . . .

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उन्होंने दोनों के लिये कहा है।

श्री कमलासिंह यादव—

इससे ज्यादा फर्क नहीं होता। अगर आप उनका ही अमेंडमेंट मानने के लिये तैयार हों तो मैं उनके नाम का संशोधन ही स्वीकार करने को सहमत हूं।

श्रीमन्, मैं शुक्रगुजार हूं दोनों तरफ के माननीय सदस्यों का और उनके विचारों का जो उन्होंने इस संबंध में व्यक्त किये हैं। उन्होंने काफी रोशनी डाली है। खास कर एक माननीय सदस्य का मैं शुक्रगुजार हूं जिन्होंने स्वीकार किया कि सहसपुर में चकबन्दी में गड़बड़ी हुई है। कुछ माननीय सदस्यों ने यहां सदन में बतलाया कि चकबन्दी बहुत जल्दी हो जानी चाहिये। मैं इसके खिलाफ हूं। माननीय मंत्री जी ने कई बार सदन में कहा है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। चकबन्दी में जल्दी का ही नतीजा है कि यहां से बार-बार आदेश जाते हैं कि तीन महीने के अंदर चकबन्दी समाप्त हो जानी चाहिये, इतना काम हो जाना चाहिये। तमाम गड़बड़ी इसी वजह से हो रही है। यह हर व्यक्ति को महसूस करना चाहिये कि गांव में बहुत तरह के झगड़े होते हैं और हर तरह के झगड़ों को तय करना आसान काम नहीं है। वहां की सारी पेचीदिगियां गांव में जा कर समझने पर ही समझ में आती हैं और तभी कोई आदमी महसूस कर सकता है कि उनको सुलझाना कितना कठिन काम है। जल्दीबाजी चकबन्दी में ठीक नहीं होगी। इसके बजाय धीरे धीरे और सुचारु रूप से काम हो ताकि किये हुये कामों को दुहराने की जरूरत न पड़ा करे। वही उचित होगा और वही काम काबिले तारीफ होगा। अगर ए० सी०ओ० कुछ देर भी कर दें, लेकिन उसके काम से गांव के सार लोग संतुष्ट हो जायं तो ज्यादा अच्छा है, बनिस्बत इसके जल्दी में वह गलत फैसला कर दे। गलत काम होने से हजारों लिटीगेशन के केसेज आ खड़े होंगे। मैं निवेदन करता हूं कि अगर ए० सी० ओ० के किसी केस की अपील होती है तो सी० ओ० को मालूम होना चाहिये कि उस अपील का कारण क्या है। मौके पर जाकर उसकी बात को सुननी चाहिये और उस कश्तकार को संतुष्ट उन्हें करना चाहिये। नतीजा यह होता है कि सी० ओ० जब मौके पर जाता है तो ए० सी० ओ० से बात करके कहता है कि खारिज। इसी तरह से यही चीज एस० ओ० सी० के बारे में पाता हूं कि वह सी० ओ० और ए० सी० ओ० से बात करके खारिज कर देते हैं। डिप्टी डायरेक्टर के स्टेज पर भी यही होता है, उनके कानूनगो, पटवारी वहां पर मौजूद रहते हैं। मैं आपको बताऊं कि सिंगारा एक मौजा है। वहां नयी चकबन्दी हो रही है। वहां ४ भाई हैं। एक भाई ने दरख्वास्त दी कि हम चारों की जितनी अच्छी और खराब जमीन है वह मिलाकर सबको बराबर बांट दी जाय, लेकिन वह एस० ओ० सी० के यहां से खारिज कर दी गयी। वह किसी दूसरे की अच्छी जमीन नहीं मांग रहा है, लेकिन इससे बढ़कर बात क्या हो सकती है कि ऐसी इंसाफ की मांग को भी ठुकरा दिया गया। तो यह लिटीगेशन आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से अपील और रिवीजन की तादाद बढ़ती जा रही है।

दूसरी चीज यह है कि. . . . . .

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

कोरम नहीं है ।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री कमलासिंह यादव—

मैं कह रहा था कि गाजीपुर जिले की तहसील सैदपुर में टड़ियाहों एक मौजा है जिसमें बहाल नाम का किसान है । उसके पास १५ बीघा जमीन है । एस० ओ० सी० के यहां से एक चक उसका काटा गया । डिप्टी डायरेक्टर के यहां उसका चक बदल दिया गया और दूसरे के चक में शामिल कर दिया गया । उसके बाद उसने हाईकोर्ट में रिट दाखिल किया जो मंजूर हो गया । लेकिन ४–५ साल हो गये, एस० ओ० सी० को दरख्वास्त देने के बावजूद भी उसके चक का पता नहीं है और मालूम नहीं कि कहां है । न तो कब्जा दिलाया गया और न चक का डिमार्केशन कराया गया । १५ बीघे जमीन है, उसके बाल बच्चे भूखों मर रहे हैं । अगर उससे राय ली जायगी तो वह कहेगा कि ऐसी चकबन्दी से दूर रखा जाय ।

तीसरी चीज यह है कि एक जगतसिंह प्रोफेसर हैं, उनकी मिसाल देना चाहता हूं । उन्होंने २ हजार रु० बीघा जमीन पर खरीदी और दूसरे आदमी ने २५ रुपया बीघा खरीदी । उनकी २ हजार बीघा वाली जमीन २५ रुपया बीघा वाले को दे दी गयी । डायरेक्टोरेट तक उन्होंने अपील की, वह खारिज कर दी गयी । १० परसेंट हम ज्यादा दे सकते हैं मैग्जिमम, तो इस तरीके से जब २ हजार पर जिसने खरीदी है अगर २५ रुपये वाले को दे देते हैं तो किस तरह से कम्पेंनसेट करेंगे ? यह एक चकबन्दी के अवगुण हैं जिनको दूर करना चाहिये ।

करप्शन की बात बहुत से लोगों ने कही है । मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा । लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि करप्शन है, आप लोगों को सजायें भी देते हैं, मगर फिर भी वह बढ़ता जा रहा है । कुछ माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि चकबन्दी कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जाय । मैं उनके इस सुझाव से सहमत नहीं हूं । स्थायी न भी करें, तब भी आज अगर आप उनको निकालना भी चाहें तो भी नहीं निकाल पायेंगे, उनको निकालना बड़ा कठिन हो गया है । लोगों ने बहुत काफी कमा लिया है । इसलिये स्थायी करने के सुझाव से मैं सहमत नहीं हूं ।

जो नये संधोधन आये हैं उनमें लैंड रेवेन्यू में २८ और ३३ का भी जिक्र किया गया है । २८ इनहैरीटैन्स के बारे में है और ३३ क्लैरीकल मिस्टेक के बारे में हैं । मैं समझता हूं कि यह दोनों बहुत ही आवश्यक हैं । जो लोग रुपया लेकर गलत इन्दराज कर दिया करते हैं, वह अब नहीं हो पायेगा । इसके लिये जो यह प्राविधान किया गया है यह उचित है ।

श्री उपाध्यक्ष—

अपना भाषण कृपया शीघ्र समाप्त करें ।

श्री कमलासिंह यादव—

अच्छी बात है । एक निवेदन यह है कि लैंड रेवेन्यू प्रांत में फिक्स होना चाहिए । हमारे प्रांत में काफी डिस्क्रीमिनेशन है । एक किस्म की जमीन के लिए कई तरह के रेट्स हैं और लैंड रेवेन्यू भिन्न-भिन्न है । मेरा सुझाव है कि इसके लिए एक कमीशन बिठाया जाय जो सारे प्रांत के लिए जमीन के मुताबिक एक रेंट फिक्स करें ताकि किसी भी किसान को यह कहने का अवसर न मिले कि आज खराब जमीन का ज्यादा लगान लिया जा रहा है और अच्छी जमीन का कम लगान लिया जा रहा है । इसलिए माननीय मंत्री जी को एक कमीशन इस काम के लिए बैठाना चाहिए ।

एक चीज मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कृषि कोई ट्रेड या प्रोफेशन नहीं है । किसान तो हर एक को जिंदा रखते हैं, देश को जिंदा रखते हैं । इसलिए ऐसे लोगों से माननीय मंत्री जी को तो चाहिए यह कि उनसे कम से कम लगान वसूल किया जाय । जो भी लोएस्ट रेट

[श्री कमलासिंह यादव]

पासिबिल हो सके वह इन किसानों से लिया जाना चाहिए और वह भी फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वह भिन्न-भिन्न हो। इससे उनको अपना जीवन स्तर ऊंचा करने का मौका मिलेगा। माननीय मंत्री जी ने कल बतलाया कि जो लोग पंजाब से लौटे वे अंडाकार शक्ल की चकबन्दी बना कर आये और हमारे यहां चौकोर है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने जिले के सैदपुर में हुई चकबन्दी की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां पर जब चकबन्दी हुई तो शुरू-शुरू में रेकटैंगुलर चक बनाये गये जिसके देखने के लिए उत्तर प्रदेश के कोने-कोने से लोग आये। मौके पर चक तो चौकोर बनाये गये, लेकिन नक्शे ठीक अंडाकार चक के बनाये गये। माननीय मंत्री जी, वे केवल अंडाकार ही नहीं है बल्कि कहीं-कहीं हमने यह भी देखा है कि बिलकुल टेढ़े मेढ़े---जैसे गंगा नदी या किसी नदी के मुहाने पर जैसे मिट्टी की हालत हो जाती है उसी तरह के चक वहां बनाये गये हैं। अब आप ही सोचें कि मौके पर तो चक चौकोर हैं और अगर उनको कभी नक्शे के मुताबिक नापा गया तो उस समय उस चक की क्या हालत होगी? इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जहां भी ऐसी गड़बड़ी नक्शे में हो, उसको दूर कराने की कोई व्यवस्था होनी चाहिए।

एक चीज और है, वह यह कि अक्सर यह देखा जाता है कि जब १३९ का जिक्र मैंने माननीय मंत्री जी से किया तो उन्होंने कहा कि १३७ पढ़ लो। १३७ में १३१ का जिक्र है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दो चीजों की ओर दिलाना चाहता हूं। ऐग्रीकल्चरल टेनेंट्स ऐंड प्रिविलेजेज ऐक्ट, १९४९ की धारा ३(१) के अनुसार जिसने भी लगान का १५ गुना जमा कर दिया तो वह भूमिधरी का हकदार हो गया। हजारों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो इस धारा के अन्तर्गत भूमिधर हुए, लेकिन इसके लिए कोई प्राविधान इस विधेयक में नहीं है कि ऐसे लोगों पर कौन सा कानून लागू होगा? दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने दस गुना या १५ गुना जमा कर दिया, उनके लिए कोई प्राविधान इसमें नहीं है कि वे लोग किस नियम के अन्तर्गत भूमिधर होंगे? इसके लिए १३१ ए० बी० सी० दिया हुआ है। ए० के बारे में तो इसमें दिया हुआ है, लेकिन बी० और सी० के बारे में नहीं दिया हुआ है और ऐसे दो किस्म के जो भूमिधर होंगे उनके लिए कोई प्राविधान इसमें नहीं है।

कई बार आपने असामी को भी भूमिधर बनने का मौका दिया कि चीफ टेनेंट की कंसेंट से यानी अगर ओरीजिनल टेनेंट राजी हो जाता है कि असामी भूमिधर हो जाय, तो मैं समझता हूं कि इसमें आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं कि ऐसे मामले में तो आपको प्रोत्साहन देना चाहिए ताकि जो असामी हैं वे भी समझ सकें कि आगे चल कर वे भी भूमि के मालिक होंगे। अगर यह भावना उनके अन्दर आ गयी तो इस तरह से जो भूमि वगैरह हैं उनमें भी सुधार होगा और तमाम भूमि अच्छी से अच्छी शक्ल में आयगी जिससे उत्पादन भी बढ़ सकेगा।

जहां तक वसूली का संबंध है, अंग्रेजों के जमाने में आपने जमींदारी के लिए टेनेंसी ऐक्ट बनाया था। लेकिन उसमें भी अरेस्ट और डिटेंशन की कोई बात नहीं रखी गयी थी। हां, जहां तक औरतों व नाबालिगों का संबंध है उनको आपने बरी कर दिया है, लेकिन जो सख्त बीमार हों या मरणशैय्या पर पड़े हों, या असाध्य रोग से पीड़ित हों, वे इस विधेयक के द्वारा आपके शिकंजे में आ जायेंगे और उनको पकड़ कर जेल में बन्द कर दिया जायगा। इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि जिन बातों को मैंने बतलाया है उन पर गौर करके, जो सही और आवश्यक बात होगी, उसको करने की कोशिश माननीय मंत्री जी करेंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कितना टाइम मिलेगा?

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय मंत्री जी, ऐसा है कि वक्त पूरा है। संशोधनों के लिए अलग समय मुकर्रर है। आप अपनी सब बातें कहें।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर आज दो रोज से वादविवाद हो रहा है। हमारे बहुत से मित्रों ने, जो इस तरफ और उस तरफ बैठे हैं, इस विवाद में भाग लिया। इन सब मित्रों को मैं दो श्रेणियों में विभाजित करना चाहता हूं। एक तो वे जिन्होंने बहुत संजीदगी के साथ विचार प्रकट किए हैं। दूसरे वे हैं जो जोश में आकर बातें किये हैं। कौन किस श्रेणी में हैं, मैं इसको नहीं कहूंगा।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

कौन किस श्रेणी में है, इसको भी बता दीजिए ?

*श्री हुकुमसिंह विसेन---

घबड़ाइये नहीं, आप तो बोले भी नहीं हैं। आप नगण्य हैं।

मैं सबसे पहले उन मित्रों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने, चाहे दिल से नहीं, मजबूरन बधाई दी है। "जादू वह जो कि सिर पर चढ़कर बोले।" हमारी मुखालिफ पार्टी के लोगों ने भी इस विधेयक का स्वागत किया है। जहां तक विधेयक का संबंध है, यह उपयोगी है, जरूरी है और जनहित में है, इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं। हमारे भाई माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी ने भी इस विधेयक का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि बहुत देरी हो गई है इसमें। इस विधेयक को तो बहुत ही पहले आना चाहिए था। मैं उनको क्या जवाब दूं। उनका जो तर्जे अमल है---पहले तो उन्होंने जनमत के लिए प्रस्ताव रक्खा और आज प्रस्ताव बदल करके संयुक्त प्रवर समिति के लिए प्रस्ताव रखते हैं। तो वे कहीं किसी ठिकाने पर रुकते नहीं। कल ऐसी बातें कीं और आज कैसी बातें कीं। तो इससे हमारी परेशानी बढ़ जाती है। हमारे बहुत से और मित्रों ने और फिर हमारे दोस्तों ने इधर उधर की तमाम बातें कीं। जहां तक विधेयक का ताल्लुक है उनको यह देखना चाहिए था कि यह क्यों जनमत संग्रह के लिए जाय। उनको कोई वजूहात इस सदन के सामने पेश करने चाहिए थे। जहां तक उनका प्रस्ताव था और उसके बाद जो प्रस्ताव उन्होंने आज रक्खा जिसमें वे सोच समझकर आये तो उससे वे मीलों आगे चले गये। पहले वाले प्रस्ताव को कतई छोड़ दिया गया और ऐसा छोड़ा जैसे गरम आलू हाथ में लें और तुरन्त डाल दें। पहले प्रस्ताव पेश करते हैं फिर उसे गिव अप करते हैं। उनकी पोजीशन तो हमें कानसिस्टेंट नहीं मालूम हुई। आज सिविल कोर्ट को पावर दिया जा रहा है, वह दिया जा रहा है, यह दिया जा रहा है, कल उन्होंने यह सब कहा था और यह भी कि आपके यहां का ड्राफ्टिंग बड़ा गलत है। ड्राफ्ट करने वाले इनकांपीटेंट हैं। वे जो चाहें कुछ कह दें। सदन में अधिकार है उनको कहने का। वे बड़े काबिल हैं। पर उनका भाषण शुरू से आखिर तक इनकोहेरेन्ट ही रहा। कल मुझे वे शाम मिले तो मैंने उनसे कहा था कि आपसे ऐसी तकरीर की मैं उम्मीद नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि मैं अपना माइन्ड मेक अप नहीं कर सका। इस तरह से वकील भी कन्फ्युज्ड हो जाते हैं इसलिए यह कहना कि वकील क्लास के लोगों को बुलाकर ड्राफ्टिंग दिया जाय, ठीक नहीं है।

पैनल लाइयर के बारे में कितनी शिकायत थी। मैं वकीलों की इज्जत करता हूं, लेकिन जो खतरात हैं वह पैदा न हो जायं। आप ही लोगों की बहस से जो जानकारी हुई उससे मुझे बड़ा दुख हुआ। जहां तक ड्राफ्टिंग का ताल्लुक है, मैं एक बात और अर्ज करना चाहता हूं कि यह प्रोग्रेसिव इकोनामी है। जैसे-जैसे हालत बदलती जावेगी वैसे-वैसे कानून में तब्दीलियां आयेंगी। यह हमारा कसूर नहीं। यह जमाने का कसूर कहिए। हमारी तारीफ करनी चाहिए। हालांकि मैं इसको चाहता नहीं हूं, मैं स्टेटिक नहीं हूं कि एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

जगह खड़े हैं, आगे बढ़ते ही नहीं हैं। जमाना बदलता जायगा। हमको अपना कदम भी उसके साथ बढ़ाना पड़ेगा, अपना पैर उसके साथ मिलाकर चलना पड़ेगा। लिहाजा जब हालात बदलते रहते हैं तो कानून में भी तरमीम लाकर के उसको हालात मौजूदा के मुताबिक करना पड़ता है। तो यह कारण है उसका, न कि यह कि कानून की ड्राफ्टिंग में डिफेक्ट हो। डिफेक्ट हो भी सकता है। जब इतने बड़े-बड़े कानून बनाये जाते हैं तो मैं तो इस बात का कभी दावेदार हूं नहीं कि मैं अकलेकुल हूं, मैं इंसान नहीं हूं। हां, यह दावा है कि मैं इंसान हूं, और अगर इंसान से गलतियां होती हैं, तो मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं। माधव प्रसाद जी को शायद इस बात का गुमान है कि वह इंसान नहीं हैं क्योंकि उनसे गलती शायद नहीं होती है। गलती केवल एक ही हस्ती से नहीं होती है बाकी सबसे होती है। तो बार-बार तरमीम लाना अनावश्यक ही नहीं है, यह जमाने की मांग है।

एक बात उन्होंने ऐसी कही और माननीय कमलासिंह ने भी कही कि सबलेटिंग की इजाजत दे दी जाय। जिस पर लाठियां चल गई, बड़े-बड़े इलाके गायब हो गये, ऐसे मौलिक सवाल के ऊपर इतनी आसानी से कह दिया कि सबलेटिंग का अधिकार दे दिया जाय। पुराने जमाने का जो जमींदारी एबालीशन का कानून चल रहा था उसकी जो कार्यवाही हुई थी, बड़ी-बड़ी कमेटियां बैठी थीं, जिनका उद्धरण हमारे मित्रों ने यहां दिया, जमींदारी एबालीशन कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र किया, उसमें यह सब मसले बड़े गौर से देखे गए थे। तो यह मसला ऐसा नहीं है कि साधारण से बिल में झट से उसका प्रवेश कर दिया जाय। मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं लेकिन उस जमाने की जो असेंबली थी वह भी अच्छी थी, मैं कम्पेयर नहीं करता, लेकिन वह भी अच्छी थी और यह भी अच्छी है। उसने बहुत गौर से इस मसले को देखा था और उसके बाद फैसला लिया था। अब कहते हैं कि लिमिटेशन रख दिया जाय कि कभी "सबटेनेन्ट बेदखल न हो और यह भी कह दिया कि वह उतना लगान दे जितना कि भूमिधर देता है, तो वह देगा ही क्यों? जब कोई लाभ न होगा, कोई इंसेटिव नहीं होगा तो देगा क्यों? तो यह सब दिक्कतें हैं, इनको साधारण तौर से सोचना, मैं नहीं समझता कि कोई अच्छी बात है।

अलावा इसके बहुत सी मुख्तलिफ बातें कही गईं। कमलासिंह जी ने किसी गांव का नाम लिया। अब वह नाम तो मुझे याद नहीं है और याद रह नहीं सकता। तो इन सब बातों का जवाब मैं नहीं दे सकता। हमारे भाई लखी सिंह जी भी बहुत बिगड़ गये। उन्होंने तो चकबन्दी का लेन-देन कर दिया, कोई रेस्ट्रेंट नहीं रहा। तो ऐसी बातों का हम क्या जवाब दें? हम तो एक दायरे के अन्दर रहकर के ही जवाब देंगे। (व्यवधान) तो उसमें तुलसीदास जी की बात को हम मान लेते हैं कि "तुलसी बुरा न मानिए" इसके अलावा और क्या जवाब हम दें।

चकबन्दी में बहुत से लोगों ने कहा कि बड़ी गड़बड़ी है और उसका कारण यह है कि कर्मचारी टेंपोरेरी हैं। क्या आप यह कहेंगे कि जितने मुस्तकिल अफसरान हैं वह सब आनेस्ट हैं? उससे नतीजा तो यही निकलता है कि सबको मुस्तकिल कर दें। जो अच्छे होंगे उनको मुस्तकिल भी करेंगे। विभाग टेंपोरेरी है, टेम्पोरेरी जब तक रहेगा उसमें मुस्तकिल तकर्रुरी नहीं हो सकती। यह साधारण सा नियम है। लेकिन उनमें जो अच्छे हैं, आनेस्ट हैं, दयानतदार हैं, जिनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है उनको और महकमों में भी ऐबजार्व करेंगे। ब्राइट फ्युचर उनके सामने है और मैं कहता कि बहुत से ऐसे हैं, बड़ी भारी फौज हमारी है, २५-३० हजार की फौज है। वही लेखपाल भी उसमें है जिनकी रोज महिमा यहां पर गायी जाती है, इन सीजन और आउट आफ सीजन। तो इतनी बड़ी फौज के लिए हम यह कैसे कह दें कि सब दूध के धोये हैं, यह दावा मैं नहीं करता, लेकिन उसमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि जो बहुत ही ईमानदार हैं।

आखिर बेईमानी का कारण क्या है? मैं कुछ कह भी नहीं सकता हूं और बिला कहे जी भी नहीं मानता है। उसमें यह होगा कि असंसदीय है, तो यह सब मैं नहीं चाहता।

लेकिन उसमें बहुत से हमांशुमां के लोग भी जिम्मेदार हैं कुछ हद तक जो कहते हैं कि हमारा चक अच्छा बनाओ। वह नहीं बना पाता है, तो शिकायत करते हैं, मेरे पास गलत शिकायतें आती हैं, और अगर बनाता है, तो बेईमानी करता है। तो हम लोग भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। जब तक हमारा आपका स्तर ऊंचा नहीं होगा तब तक कोई शख्स ईमानदार रहे, यह जरा मुश्किल है। अगर कोई ईमानदार रहना भी चाहे, तो वह मजबूर हो जाता है और ईमानदार नहीं रह पाता। यह खास कारण है। खास कारण यह नहीं है कि वह आदतन बेईमान है, बल्कि उसको मजबूर किया जाता है, जिनके पास पैसा है, वह उसको प्रलोभन देते हैं। कितने आदमी ऐसे हैं कि जिनके सामने रुपया रख दिया जाय और फिर वह अपने दिल को सम्भाल सकें? इन कामों से छोटे किसान को नुकसान पहुंचता है। इस लिए हमारा और आपका दैनिक स्तर ही जो नीचा है, बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आदमी ईमानदार नहीं रह सकता। इसलिये जब तक हम अपने ऊपर नियंत्रण नहीं करेंगे, तब तक हम बरखास्त करते रहें और बहाल करते रहें, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते।

एक शिकायत यह की गई कि गांव प्रधान के हाथ में गांव की प्रापरटी महफूज नहीं है। मैं कुछ हद तक इससे सहमत हूं। कानून में पूरा प्राविजन है कि कैसे उसकी रक्षा की जाय। जब प्रधानों की शिकायतें यहां की जाती हैं, अगर चार आना भी वह ठीक है, तब भी शर्मनाक बात है। चुने हुये लोगों के जरिये से इन्तजाम कराया जाता है और उसमें अगर गड़बड़ी होती है, तो यह देश और प्रदेश का दुर्भाग्य है। यह मसला हमारी स्टैंडिंग कमेटी में आया था। उसमें एक सब-कमेटी बनी थी, जिसमें विचार किया गया है। मैं आशा करता हूं, उसकी रिपोर्ट जल्द ही आ जायगी और उसके बाद जो भी मुनासिब होगा, वह गांव की प्रापरटी की रक्षा करने के लिये किया जायगा। मेरे पास भी ऐसी शिकायतें आती हैं कि प्रधान और लेखपाल मिल कर बड़ी गड़बड़ी करते हैं और लैन्ड मैनेजमेंट कमेटी भी निरुत्साह सी बैठी हुई है और जो आशा उससे थी, वह पूरी नहीं होती है। अब हमें क्या करना है, यह प्रश्न विचाराधीन है और जो मुनासिब बात तय होगी, की जायगी। टुअरिंग अफसरों को हिदायत कर दी गई है कि जब वे दौरे पर जायं, तो गांव समाज की प्रापर्टी के बारे में जरूर खास तौर से तवज्जह दें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

हम लोग लिख कर के दरख्वास्त देकर हार गये, २–४ दरख्वास्तें दीं, लेकिन कोई तवज्जह नहीं देता है।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैं तो इसको नहीं मानता। अगर आदेश का पालन नहीं करेंगे, तो क्या अपनी नौकरी खोयेंगे।

श्री उग्रसेन—

हमारे यहां जिलाधीश गये तो घाघरा के रेत पर नाच किये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैं यह सब मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मैंने आदेश दिया है और हमारी कोशिश है कि हुकुम की तामील करें। अगर नहीं करेंगे, तो जो मुनासिब कार्यवाही होगी, वह की जायगी। यह भी हिदायत की गई है कि जहां एनक्रोचमेंट, इल्लीगल कब्जा पायें, उसको हटाने की कानूनी कार्यवाही करें।

श्री कमलासिंह यादव—

जो चक रोड वगैरह जोत ली गई हैं, उसके लिये भी कोई व्यवस्था कर दें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उसके लिये वकील से पूछ लीजिये वह जो बतायें, वही कार्यवाही कीजिये। माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने एक बात कही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में कि सरकार पावर ले लेती है, रूल बना देती है और फिर मनमानी करती है। चौदह दिन के लिये हम ऐसे रूल्स को दोनों सदनों में रखते हैं। अब यह आपका काम है कि आप उन पर तवज्जह दें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

हमारा कहना है कि जहां सब्सटेंटिव राइट्स इन्वाल्व रहें, उसको यहीं रखिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैं यही कह रहा हूं कि जब आपके सामने आ जायें, तो आप पढ़ कर जो मुनासिब तरमीम हो, वह रखिये।

बहुत से माननीय सदस्यों ने तथा माननीय कमला सिंह ने कहा कि जितने लैन्ड रिफार्म्स हुए हैं, उसमें गरीब का कुछ फायदा नहीं हुआ। अब मैं क्या बताऊं, इसकी दवा हमारे पास नहीं है। जो लोग इनकार कर चुके हैं कि हम देखेंगे ही नहीं उनको दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन जनता जानती है जिस पर मुसीबत थी, उसने जमींदारी एबालीशन और लैण्ड रिफार्म से क्या फायदा उठाया है, वही जानता है और इसी का नतीजा है कि इतनी भीड़ यहां बैठी हुई है। तो यह कह देना कि कुछ फायदा नहीं हुआ तो इससे कोई गुमराह नहीं होगा। देहात की आबहवा आज देखी जाय, कितनी आजादी की सांस किसान लेते हैं। वह लोग बड़े जमींदारों की बेगार से छुट्टी पाये। बहुत से राजा महाराजाओं के यहां क्या हाल होता था, यह मैं सब जानता हूं क्योंकि सन् २० से मेरी जिन्दगी इसी में रही है। पहले किसानों को घर से निकलने की गुंजायश नहीं थी। बहुत से जमींदार ऐसे थे, जो छोटे किसानों का दरवाजा तक जोताये हुये थे और एक पटरी छोड़ते थे कि इसी से वह किसान आ जा सके। बहुत से जमींदारों ने अपनी जमीन छोटे किसानों से निकाल ली और किसी को नहीं दी और कहते थे कि जमीन सो रही है इसको न जोतो। उनके क्लैचेज से किसान को निकाला गया, फिर कैसे आप कहते हैं कि लैंड रिफार्म से फायदा नहीं हुआ? अब आप सब-लेटिंग चाहते हैं, तो क्या यह इन्डाइरेक्टली पुरानी व्यवस्था का लाना नहीं है?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

सब-लेटिंग का उनको अधिकार दिया जाय, जो मौजूद नहीं रहते।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हम आपके चक्कर में नहीं आयंगे। हमारे भाई गिरिवर प्रसाद जी कल बोले। अच्छी तकरीर उन्होंने की, लेकिन हमने उसको देखा और ढूंढ़ा कि क्या इसमें कोई तत्व है तो कुछ भी न मिला। उन्होंने विरासत के बारे में कहा, लेकिन जो संशोधन लाये गये हैं उनके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। आगे भी उनके बारे में अब क्या कहेंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि चकबन्दी बहुत खराब है, हमारे किसान उससे तबाह और बरबाद हो गये हैं। लेकिन हमारे पास तो अभी भी दरख्वास्त आती है कि चकबन्दी हमारे गांव में भी करा दी जाय। कमलासिंह जी की सैदपुर तहसील के १६–१७ गांवों के लोग आते हैं कि हमारे यहां भी चकबन्दी करा दीजिये।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं तो अब भी कहता हूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

लेकिन भाई गिरिवर प्रसाद कहते हैं कि उसने किसानों को बरबाद कर दिया। पश्चिमी जिलों के लोग आते हैं कि आपने बड़ी इनायत की, इसकी वजह से हम मालामाल हो गये। माननीय गिरिवर प्रसाद जी की तकरीर से एक बात मालूम हुई कि उनका जन-संपर्क से कोई वास्ता नहीं है।

जहां तक वकीलों का संबंध है, मैं वकीलों की शान के खिलाफ तो कुछ कह नहीं सकता। हमारी लायर्स की जो पेनेल है, उसमें भले ही एक दो खराब हों, लेकिन उनकी वजह से सब को कन्डेम नहीं कर सकता। अगर हमारे पास कोई शिकायत आयेंगी तो हम उनको भी देखने की चेष्टा करेंगे। कमेटी बोर्ड वगैरह में हम कर नहीं सकते थे, उसके लिये ही हम संशोधन लाये हैं। हाईकोर्ट के बारे में हम देखेंगे कि वहां ऐसे वकील मिल सकते हैं।

जहां तक कोआपरेटिव का ताल्लुक है, हमारे रियासत हुसेन साहब बोले, वे तीसरी श्रेणी में आते हैं। उन्होंने उड़ाई कि कोआपरेटिव फार्मिंग रखना बड़ा गड़बड़ है। आज हम अगर यह तरमीम न रखते तो सरप्लस लैंड जो बचता है उसका क्या होता? दो को हम देते हैं, अगर स्टेकर्स हैं तो उसका कंसालिडेशन कैसे करें? (व्यवधान) आपका पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, समझते हैं नहीं, खाली लेक्चर से काम नहीं चलता। साल भर तक इसी सदन में ११ से ५ बजे शाम तक हिन्दी में जमींदारी अबालिशन का विधेयक चला और आप जानते हैं कि वह कितना पेचीदा था जिसे आज तक आप कहते हैं कि सरल किया जाय, वह हम ने निबटाया।

रिसीवर के बारे में भी एक बात कही गई कि जब किसान पर ४ रुपया बकाया होगी तो उतने के लिये रिसीवर का बड़ा खर्च पड़ जायगा। लेकिन आप सोचें कि कलेक्टर क्या बेवकूफ होगा कि वह ४ रुपये के लिये रिसीवर मुकर्रर करेगा? ४ रुपया तो किसान वैसे ही दे देगा। हमेशा से तरीका चला आता है, हर किसान वक्त से अपनी मालगुजारी देता है, वह जानता है कि अगर एक बार २ साल की जमा हो गई तो देना मुश्किल हो जायगा। वह खुद देता है, वसूली करना हमारे आप के बस की बात नहीं है, अगर वह खुद न दे, हमारी ही नहीं, बड़े-बड़े लीडरों की यही राय है। इसमें हमें कोई क्रेडिट नहीं है, वह अधिकतर अमीन को स्वयं ही दे देते हैं, वैसे ही कोई नादिहन्दा हो तो बात दूसरी है या उग्रसेन जी जैसे कोई देवरिया में बहकाते हों तो बात दूसरी है। तभी हमें कोअर्सिव मैथड्स अख्तियार करना पड़ते हैं। कहा गया कि रिसीवर क्यों मुकर्रर किया जायगा? अगर संशोधन पढ़ें तो मालूम हो जायगा। ध्यान देकर पढ़ते तो खुद ही समझ में आ जाता, अगर समझ में नहीं आता तो श्री कमला सिंह जी या माधो प्रसाद जी से पूछ सकते थे, वह बता देंगे। जैसे शुगर फैक्टरी की बकाया को सरकार मालगुजारी की तरह वसूल कर सकती है, परसों ही आप ने बिल पास किया है। अगर हम कुर्क कर लें और नीलाम कर दें तो शुकर फैक्ट्री बन्द हो जायगी और लेबर चला जायगा, फिर आप ही लोग तमाम प्रश्न करेंगे श्रम मंत्री जी से कि मजदूर मरे जा रहे हैं। अभी वह कानून बना है, आप ने अब हमें अवसर दिया है, ऐसा चलाऊंगा अब इस हथियार को कि गला साफ कर दूंगा। खतरा तो सब को ही रहेगा, लेकिन हम उस में कोई डिसक्रिमिनेशन नहीं करेंगे। बड़ी शिकायत है कि रिसीवर से सत्यानाश हो जायगा। तो आप चाहते हैं कि ऐसे केस में हम फैक्टरी बन्द कर दें, नीलाम कर दें और ताला लगा दें, किसानों से कह दें कि गन्ना सुखाओ और मजदूरों से कह दें कि भूखों मरो और आप श्रम मंत्री जी से हजारों सवाल कर दें कि यह क्या किया? हम तो वहां रिसीवर मुकर्रर करके कारखाना चलवायेंगे और उनका अकाउन्ट तक ले लेंगे ताकि फैक्टरी चालू रहे, मजदूर काम करते रहें और किसानों का गल्ला बिकता रहे। उसकी नियुक्ति से लाभ ही होगा। हमने उसमें शब्द "औद्योगिक अन्डरटेकिंग्स" रखा है। हम ने इसके लिए हिन्दी शब्द ही रखे हैं, मिल 'भी" हिन्दी अब हो गया है बनाने से। "प्लीज" और "बेग योर पार्डन" भी अब हिन्दी हो गया है।

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

हमारे भाई, माननीय बृजबिहारी मिश्र जी, ने हमारा काम आसान कर दिया। हजारों दावे ऐसे बायर हो गये इन वकीलों की गल्ती से। अब हमने उसे "जुड़" कर दिया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें भी इन्टेरेस्ट की बात है। गरीब किसानों की जो परेशानियां हुआ करती थीं उनको इन संशोधनों से राहत मिलेगी। हमारे माननीय मैनेजर सिंह, जो आज सदन में नहीं है, एक गांव के प्रधान हैं। वे प्रधान बहुत बढ़िया हैं और इसके लिए उन्हें मैं बधाई देना चाहता हूं कि वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वहां से कोई शिकायत भी हमारे पास नहीं आयी है। बलिया हम जाने वाले हैं, देखेंगे कि वे वहां कैसा काम करते हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

उनकी रोकड़ की भी जांच करवाइये।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अगर हम सबकी रोकड़ की जांच करेंगे तो न जाने क्या क्या निकलेगा।

जहां तक कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम का ताल्लुक है, उसमें हमें एक दिक्कत पड़ रही है। हम चाहते हैं कि इसे १ जुलाई से लागू कर दें। हमारी जो खास स्टेट्स हैं, तराई भाभर में, इनमें टेनेंसी ऐक्ट लागू था। तो टेनेंसी में भूमिधर, सीरदार सब आसामी होते हैं और वहां पर खायकर होते हैं तो इस हिस्से को तरमीम करके अगर जमींदारी अबालिशन ऐक्ट को लागू करते हैं तो जो ओवरलैपिंग होती है, उसको दूर करने के लिए यह किया गया है।

लैंड रेवेन्यू ऐक्ट में जो संशोधन जरूरी है, उसको तो सब समझ गये हैं। जोत चकबन्दी को माननीय सदस्य समझ गये हैं। इनमें कोई खास बात नहीं है। जमींदारी एबालिशन में भी जो तजुर्बे में त्रुटियां मालूम हुई है, उनको बदला है। उसमें भी हमने कोई बेसिक प्रिंसिपिल या मौलिक बात को नहीं बदला है। रोजमर्रा की जो तकलीफात नजर आयी हैं, उनको दूर करने के लिए हम ये संशोधन लाये हैं और मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इन्हें स्वीकार करेंगे।

श्री गिरवरप्रसाद (जिला एटा)—

मुझे यह निवेदन करना है कि जो अमेंडमेंट्स रखे हैं····

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया आप बैठिये। आप ने तो कल बहुत सी बातें कह ली थीं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६५, को १ मास तक जनमत जानने के लिए जनता में परिचालित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा परित हुआ है, इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जिसको विधेयक में परिवर्तन तथा परिवर्द्धन करने का अधिकार हो तथा समिति अपना प्रतिवेदन एक मास के भीतर सदन के सम्मुख प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन विधेयक, १९६५, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

२—उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १ की उपधारा (२) के अन्त में आये हुए पूर्ण विराम के स्थान पर कोलन रख दिया जाय और तत्पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय—

१९५१ ई० का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १ की धारा १ का संशोधन ।

"किन्तु प्रतिबंध यह है कि रामपुर म्युनिसिपैलिटी में सम्मिलित क्षेत्रों के संबंध में यह उपधारा इस प्रकार प्रभावी होगी मानों अंक तथा शब्द "७ जुलाई, १९४९ ई०" के स्थान पर उसमें अंक तथा शब्द "३१ जुलाई, १९४९ ई०" रख दिये गये हों ।"

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

३—मूल अधिनिम की धारा २—क की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

धारा २—क का संशोधन ।

"(१) यदि किसी नदी की क्रिया से या अन्य प्रकार उत्तर प्रदेश के राज्य क्षेत्र में कोई क्षेत्र बढ़ जाय तो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम को उक्त क्षेत्र में प्रसारित कर सकती है ।"

*श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(१) यदि किसी नदी के डिल्यूवियन या एल्यूवियन क्रिया से अथवा अन्य प्रकार (डेरिलिक्शन) उपेक्षा या परित्याग से उत्तर प्रदेश के राज्य क्षेत्र में कोई क्षेत्र घट बढ़ जाय तो राज्य सरकार गजट से विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम को उस क्षेत्र में निरसित अथवा प्रसारित कर सकती है ।"

श्रीमन्, यह विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है । इस संशोधन के जरिए तात्पर्य केवल यह है कि अगर किसी नदी के डिल्यूविन या एल्यूवियन ऐक्शन से कोई हिस्सा हमारे प्रदेश का बढ़ जाता है अथवा घट जाता है तो उसकी क्या पोजीशन होगी ? रिवर का जो ऐक्शन होता है उसके बारे में बंगाल रेगुलेशन ऐक्ट है, उससे वह गाइड होता है । कानून यह बतलाता है कि यकायक कोई जमीन इस प्रदेश में मिल जाय तो उस वक्त हमारे प्रदेश का कानून उस पर लागू होना चाहिए । यह निर्विवाद बात है कि कोई भी ऐसा कानून, ऐसे क्षेत्र में जो सीमा बढ़ने से मिला है, नदी की क्रिया से मिला है । जब तक हम इस विधान सभा में न पास

*वक्ता ने भाषण का पुनर्दीक्षण नहीं किया ।

[श्री कमलासिंह यादव]

करें, लागू नहीं हो सकता, क्योंकि कानून के अन्तर्गत यह दिया हुआ है कि जिस तरह पर यह सदन कानून बनायेगा, जब जब चाहेगा, गजट में प्रकाशित करन के बाद वह प्रसारित होगा। जिस तरह से विस्तार की बात इस कानून में कही गयी है उसी तरह में यह चाहता हूं कि इसी कानून के अन्दर चाहे क्षेत्र घट जाय या क्षेत्र बढ़ जाय, इसकी व्यवस्था कर दी जाय तो फिर दोबारा इस सदन के अन्दर संशोधन विधेयक लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्षेत्र घटा जाय तो सरकार विज्ञप्ति द्वारा उसे घटा सकती है। ऐसे क्षत्र में जहां इसे लागू किया है या प्रसारित किया है अगर वह क्षेत्र घट जाय तो उसे विज्ञप्ति द्वारा निरसित भी कर सकती है। इसलिए मैं यह संशोधन लाया हूं।

सदन के सामने एक मिसाल भी आई है। नैनीताल में माननीय मंत्री जी सोचते रहे कि सरकार पार्टी नहीं होगी। जिन जमीनों पर लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा था सरकार ने उसमें अपने को पार्टी नहीं समझा और नतीजा यह हुआ कि आज जो संशोधन इस सदन में लाना पड़ा और उसकी वजह से पास करने के बाद तक हम उसे कार्यान्वित नहीं कर सके। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को सचेत करना चाहता हूं कि यदि इस सदन से पावर लेना चाहते हैं प्रसारित करने के लिए किसी संशोधन को, तो यदि थोड़ा घट जाय तो उस एरिया को कम करने का भी अधिकार आप ले लें और उसका गजट के द्वारा आप प्रकाशन भी करा सकें, इसका भी अधिकार ले लें और उसको निरस्त भी कर सकें। इसलिए मैं संशोधन लाया हूं। मैं समझता हूं कि जिस तरह से मैं संशोधन लाया हूं उसे मंत्री जी स्वीकार कर लेंगे। यदि स्वीकार कर लेंगे तो सरकार को यह अधिकार हो जायगा कि वह जब चाहे आवश्यकता होने पर उसको प्रसारित करे और जब चाहे तब उसे निरस्त करे। इन शब्दों के साथ में कहना चाहता हूं कि मंत्री जी इसे मानेंगे जिससे दुबारा विधेयक न लाना पड़े। विधेयक में लिखा है कि विधेयक के द्वारा ही हम इसे जारी कर सकेंगे और उसी के द्वारा घटा सकेंगे, इसलिए मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इसे अवश्य स्वीकार करेंगे, जिससे दुबारा सदन का समय न बर्बाद हो और यह ताकत सरकार को मिल रही है तो मैं पावर दे रहा हूं, इससे माननीय मंत्री जी अपने को वंचित नहीं करेंगे।

*श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैं भाई कमलासिंह जी का बड़ा आभारी हूं कि वह हमें बड़े उदारता के साथ पावर देना चाहते हैं, जिसका खुद हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। "नदी की क्रिया से" एक व्यापक शब्द है, उसमें डिल्यूवियन और एल्यूवियन दोनों के ही भाव आ जाते हैं। इन दो शब्दों को अलग-अलग रखन की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझता हूं। लिहाजा यह दोनों शब्द निकाले जायं। इसके अलावा जो आपका एमेंडमेंट मान लिया जाय तो यह तो एडीशनल टेरिटेरी का मामला है। जो इलाका हमारे पास से निकल जाएगा उसके लिए हम निरसन की कार्यवाही करने वाले कौन होते हैं? जो क्षेत्र हमारी सीमा से निकल गया उससे हमारा कोई मतलब नहीं रह जाता है। जिधर हिस्सा जाएगा वहां की सरकार इसके बारे में कार्यवाही करे, हमें उस पर कुछ नहीं करना है। इसके लिए तो हमारी असेंम्बली भी नियम नहीं बना सकती है कि हम दूसरी स्टेट के बारे में कोई कार्यवाही करें। हमारे इलाके में जो आ जायगा उसे प्रसारित कर लेंगे और जो निकल जाएगा वह चला जायगा उसके लिए जहां वह हिस्सा जायगा वहां की सरकार कार्यवाही करेगी। इसलिए हमें इसमें दिक्कत मालूम पड़ती है और हम इसका विरोध करते हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

हमारे खयाल से हम इसे कर सकते हैं और करना भी चाहिए। अगर जमीन घटकर चली गयी तो वह दूसरे क्षेत्र में है। जिस वक्त आपने इस विधेयक का विस्तार कर दिया उस वक्त आपके काग-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खात बन जायंगे। मान लिया जाय कि बिहार की जमीन के बारे में एक हजार बीघे का आपका खाता बन गया तो जब तक उसे आप निरस्त नहीं करेंगे तब तक वह खाते में आपके रहेगा और आपके किसान को मजबूर हो कर उसके लिये लगान देना होगा। यदि नदी का परिवर्तन धीरे-धीरे होता है वहां पर, तो दूसरी बात है, लेकिन जहां पर तेजी से स्पष्ट परिवर्तन होता है उसमें आपको कार्यवाही करना आवश्यक है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इधर आकर्षित करना चाहता हूं। यदि वह टेरिटरी के हिसाब से देख रहे हैं कि फारेन टेरिटरी है तो मुझे इस पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन यह बात भारत के अन्दर की है, कोई विदेश की बात नहीं है। इस पर आप कर सकते हैं और करना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैंने मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है। यदि उचित समझ तो मान लें, नहीं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

श्री हुकमसिंह विसेन—

नहीं, आप इसे वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(१) यदि किसी नदी के डिल्युवियन या एल्यूवियन क्रिया से अथवा अन्य प्रकार (डेरिलिक्शन) उपेक्षा या परित्याग से उत्तर प्रदेश के राज्य क्षेत्र में कोई क्षेत्र घट-बढ़ जाय तो राज्य सरकार गजट से विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम को उस क्षेत्र में निरसित अथवा प्रसारित कर सकती है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४

४—मूल अधिनियम की धारा ३ में—

(१) खंड (१४) में शब्द तथा अंक "धारा १४३ और १४४ को छोड़कर" धारा ३ के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा १०९, १४३ और १४४ तथा अध्याय ७ को छोड़ कर" रख दिये जायें और सदैव से रक्खे गये समझे जायें। संशोधन।

(२) खंड (२८) के अन्त में आया हुआ शब्द "और" निकाल दिया जाय, खंड (२९) के अन्त में आये हुये पूर्ण विराम के स्थान पर सेमीकोलन और शब्द "और" रख दिये जायें और तत्पश्चात् निम्नलिखित नया खंड बढ़ा दिया जाय और सदैव से बढ़ा गया समझा जाय —

"(३०) किसी अधिनियमिति का कोई अभिदेश उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित उक्त अधिनियमिति का अभिदेश और, कोड आफ सिविल प्रोसीजर, १९०८ की दशा में, उसकी प्रथम अनुसूची में दिये गये नियमों में उच्च न्यायालय द्वारा उसकी धारा १२२ के अधीन समय-समय पर किये गये अभिशून्यनों, परिवर्तनों तथा परिवर्तनों परिवर्द्धनों के भी अधीन रहते हुए, उक्त कोड का अभिदेश समझा जायगा।"

श्री उपाध्यक्ष--

मेरे पास कुछ संशोधन इस खण्ड में और आये हैं तथा और खण्डों पर भी आये हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

इनको भी ले लिया जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

हमें इस पर आपत्ति है, हमने उसे देखा तक नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, देखने की बात तो हमें मालूम है कि यह बिल कौंसिल से पास हो चुका है और आप एक भी अमेंडमेंट मानने वाले नहीं हैं। लेकिन सुझाव देने का आपोजीशन को अधिकार है, खामी हम दिखाना चाहते थे, आप सुन लें, मानें या न मानें आपको अधिकार है। हमारी जबरदस्ती थोड़े ही है।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

लेकिन जब तक हमारा डिपार्टमेंट उसको न देख ले हम उसे कैसे मान लें ?

श्री कमलासिंह यादव—

कल दो घंटे को छोड़कर जब पंचायतराज बिल पर विचार होगा, सारा समय इस बिल के लिये है। १५ संशोधन के करीब इस में हैं। हर एक पर दो-दो, तीन-तीन मिनट लगेंगे, ७५ मिनट में हो जायेगा। कोई अधिक बोलने वाला भी नहीं है। एक मूव करने वाला और मंत्री जी और अधिक से अधिक कोई एकाध आदमी और। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि आप हमको भी एकोमोडेट कीजिये ताकि हम सुझाव देने से वंचित न रह जायं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस पर कम से कम समय लिया जाय और हमने उनकी बात मान ली थी। इसलिये अब मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे हम लोगों को भी एकोमोडेट करने की कृपा करें। वे बहुत पुराने आदमी हैं और हम जैसे कितने आये और चले गये, लेकिन अगर वे हम जैसे लोगों के सुझावों को सुन ही लें, तो इसमें उनको कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिये। मानें तो ठीक, न मानें तो हमें कोई आपत्ति नहीं।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

मैं अपने भाई कमलासिंह की हर बात मानने के लिये तैयार हूं, लेकिन अपना गला फंसा कर नहीं। हमारे डिपार्टमेंट ने देखा नहीं है, अगर रिजेक्ट कर दूं तब भी ना-मुनासिब बात होगी और मान लूं तब भी। अगर यह था तो उन सुझावों को वक्त से आना चाहिये था ताकि हम भी देख कर मुतमईन हो लेते।

श्री कमलासिंह यादव--

आप उन पर आज वोटिंग न करायें, कल मंत्री जी अपने विभाग को दिखवाकर तय कर लें तब उन पर वोटिंग हो जाय। दूसरी बात यह भी है कि माननीय मंत्री जी ने समय निर्धारित कर दिया है, उस से अधिक समय तो हम लेंगे नहीं, उसी के अन्दर हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय कमला सिंह जी जरा सुन लें। यह विधेयक ३१ तारीख को टेबुल पर ले डाऊन कर दिया गया था। पहली तारीख को यह तय हो गया था कि यह विधेयक ५ तारीख को और ६ तारीख को लिया जायगा। ३६ घंटे का कायदा है। उसके पहले संशोधन आ जाने चाहिये थे। सरकार की दिक्कत यह है कि १५, २० अमेंडमेंटस का वह इस वक्त कैसे जवाब दे सकते हैं ....

*श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, सदन में यह परिपाटी रही है और मंत्री जी संशोधन लेते रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

हम लोग यह करते रहे हैं कि अगर आपको कोई संशोधन पेश करने के लिये ३६ घंटे का समय नहीं मिला है तो उसके लिये आपको मौका दिया गया है। लेकिन चूंकि इसमें काफी टाइम मिल चुका है, इसलिये दिक्कत है।

*श्री कमलासिंह यादव—

जो आज संशोधन लिये जायं उन पर कल वोटिंग हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आज जितना काम हो जायगा उतना हो जायगा। कल उसके आगे जो आपके संशोधन होंगे उनके विषय में मंत्री जी सलाह कर लेंगे अपने अधिकारियों से। तो वह बाद में ले लिये जायेंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जो क्लाज आज हो जायेंगे वह तो हो ही जायेंगे। उनके लिये कोई प्रश्न नहीं रह जायगा।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (१) की तीसरी पंक्ति से शब्द तथा अंक "तथा अध्याय ७" निकाल दिये जायं।

जहां तक अध्याय ७ का सम्बन्ध है यह गांव सभा से सम्बन्धित है। यह मूल अधिनियम की धारा ३ के अन्दर यह संशोधन आया है। धारा ३ में जो भूमि की परिभाषा है वह इस तरह से है—

" 'land' except in Sections 143 and 144, means land held or occupied for purposes connected with agriculture, horticulture or animal husbandry which includes pisciculture and poultry farming."

इसके अन्तर्गत हम यह देख रहे हैं कि इस में जो भूमि की परिभाषा दी गई है वह केवल २ सेक्शन को वंचित करती है, १४३ और १४४ को। सेक्शन १४३ का जहां तक सम्बन्ध है उसको मैं पढ़ देना चाहता हूं जो इस प्रकार से है :

"Use of holding for industrial or residential purpose :

Where a bhumidhar uses his holding or part thereof for a purpose not connected with agriculture, horticulture, or animal husbandry which includes pisciculture and poultry farming, the Assistant Collector in charge of th sub-division may, *suo moto* or on an application, after making such enquiry as may be prescribed, make a declaration to that effect.

(1) Where a declaration under Sub-Section (1) has to be made in repsect of a part of the holding, the Assistant Collector incharge of the Sub-Division may in the manner prescrib demarcate such part for the purposes of such declaration.

(2) Upon the grant of the declaration mentioned in Sub-section (1) the provisions of this chapter (other than this section) shall cease to apply to the bhumidhar with respect to such land and he shall thereupon be governed in matter of devolution of the land by personal law to which he is subject."

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, कमला सिंह जी से आप यह कह दें कि वह इसकी हिन्दी भी समझाते चलें। वरना केवल अंग्रेजी पढ़ने से बड़ी गड़बड़ी होगी।

श्री उपाध्यक्ष—

सेक्शन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल उसको हिन्दी में बतला दें।

श्री कमलासिंह यादव—

बिना पढ़े मैं कैसे बतला सकता हूं ?

श्री उपाध्यक्ष—

जिस स्प्रिट में आपने कहा था और जिस स्प्रिट में यह तय हुआ था उसी स्प्रिट में आप चलिये।

श्री कमलासिंह यादव—

स्प्रिट तो मंद हो गई।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

जब कमला सिंह जी ही नहीं समझ पाते तो हम लोग क्या समझेंगे ?

(व्यवधान)

श्री कमलासिंह यादव—

जहां तक धारा १४३ का सम्बन्ध है, उसमें दिया हुआ है कि कोई भी होल्डिंग अगर....

श्री उग्रसेन—

हमारी पार्टी के ही श्री लखी सिंह जी हैं जो विरोध कर रहे हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह—

इस सदन की भाषा और लिपि दोनों ही कानून द्वारा और माननीय अध्यक्ष की कौंसिल द्वारा हिन्दी और देवनागरी निश्चित हो चुकी हैं। अगर वह अंग्रेजी में पढ़ें तो उसका अनुवाद तो आप करवा ही दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

वह कानून पढ़े हुये हैं। आप केवल उसका जिस्ट हिन्दी में बतला दीजिये।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

कानून का जिस्ट नहीं बतलाया जाता। उसमें एक-एक शब्द के अर्थ बतलाने की आवश्यकता पड़ती है।

श्री कमलासिंह यादव—

मैं अपने को इतना काबिल नहीं समझता कि सही-सही इसका अनुवाद कर सकूं। इसलिये अगर कुरसी की तरफ से अनुवाद हो जाय तो अच्छा है। अन्यथा मंत्री जी अनुवाद करके सुना दें तो ज्यादा सुन्दर होगा।

श्री काशीनाथ मिश्र—

कानून का जिस्ट ही माननीय सदस्य बतला दें, पढ़ने की क्या जरूरत है ? यह तो सब अंग्रेजी राज के बनाये हुये मुरदा कानून हैं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कानून हिन्दी में ही बना हुआ है, अंग्रेजी के जमाने का नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

हिन्दी कापी मंगवा दें तो आसानी हो जायगी। लाइब्रेरी में मुझको मिली नहीं।

तो जहां तक १४४ का सम्बन्ध है उसके अन्दर यह दिया हुआ है कि औद्योगिक परपज के लिये अगर कोई मकानात बना ले तो उसकी पोजीशन दूसरी होगी। वहां पर, ऐसी हालत में चूंकि भूमिधरी की जमीन पर यह चीज होगी इसलिये कहा गया है कि जब भूमिधरी की जमीन पर उद्योग से सम्बन्धित कोई मकान बन जायगा, जो कि पिसीकल्चर, ऐग्रीकल्चर या एनीमल हस्बेन्डरी से सम्बन्धित न हो, तो असिस्टेन्ट कलेक्टर, इंचार्ज जो होगा वह अप्लीकेशन पर या खुद उसका डिमार्केशन करेगा। अब डिमार्केशन के बाद वह डिक्लेरेशन करेगा। उसके बाद इस विधेयक द्वारा जो कानून का प्रसार हुआ है वह शून्य की स्थिति पर पहुंच जायगा यानी उसका एनफोर्समेंट खत्म जायगा तो उस वक्त परसनल ला से गवर्न होगा। इसलिये माननीय मंत्री जी ने इसको अलग रखा है लैंड की डेफिनीशन से।

दूसरी चीज यह है कि जहां तक १४४ का सम्बन्ध है, उसमें दिया हुआ है कि—

"144. Use of Land for Agricultural Purposes —

(1) Whenever any land held by a bhumidhar which is not used for purposes connected with agriculture, horticulture or animal husbandry which includes pisciculture and poultry farming, has become land used for such purpose, the Assistant Collector-in-charge of the Sub-Division may, *suo-moto* or on an application, after making such enquiry, as may be prescribed make a declaration to that effect and thereupon the bhumidhar shall, as respects the land, be subject to the provisions of this chapter.

(2) Upon the grant of the declaration under Sub-section (1) in respect of any land, person other than the bhumidhar in possession of the plot shall—

(*a*) if he holds it under any contract or lease which is inconsistent with any of the provisions of this chapter, be deemed to be an occupant liable to ejectment under section 209 ;

(*b*) if he holds it under any contract or lease whch is not inconsistent with any of the provisions of this chapter, be entitled to the rights in the land determined in accordance with provisions thereof.

(3) Any contract or lease referred to in Sub-clause (*a*) of Sub-section (2) which is inconsistent with the provisions of this chapter shall, to the extent of the inconsistency, become void with effect from the date of declaration:

Provided that any mortgage with possession existing or on any such land shall to the extent of the amount due and secured on such land, be deemed to have been substituted by a simple mortgage carrying such rate of interest as may be prescribed."

१४३ और १४४ धारायें इसलिय छोड़ी गयी हैं कि एग्रीकल्चरल परपज में नहीं आती हैं, ऐसे परपज में आती हैं जो इनकांसिटेंट होंगे, जो विपरीत हालत होती है, उसमें इस्तेमाल होती हैं। इसलिये दो को अलग किया गया है।

अब इस विधेयक में हम परिभाषा लैंड की कर रहे हैं। अध्याय ७ में लैंड मैनेजमेंट कमेटी इस चीज का प्रबन्ध करती है। अगर लैंड की डेफिनेशन से अध्याय ७ निकाल दिया जाय तो उसकी पोजीशन क्या होगी कि लैंड तो रहेगी नहीं तो आपकी लैंड मैनेजमेंट कमेटी किस बात की रहे और किस चीज का बन्दोबस्त करगी।

[श्री कमलासिंह यादव]

दूसरी चीज यह है कि जहां तक गांव समाज की बंजर लैंड का संबंध है उसको भी हम उपजाऊ बना देते हैं और फिर बन्दोबस्त करते हैं। जो प्रधान ऐसे हैं, जो खुद नहीं जोत सकते वह सबलेट भी कर देते हैं। इस तरीके पर कृषि कार्यों में उसका प्रयोग करते हैं। तो उस समय जब कि कोई भी भूमि जो कि गांव समाज के नाम से हो या ग्राम समाज में निहित हो, अगर उसमें हम कृषि का कार्य करते हैं तो उस वक्त भूमि की परिभाषा उसे न दें, तो मैं नहीं समझ पाता हूं कि उसको किस चीज की संज्ञा दी जाय ? अगर परिभाषा के अन्तर्गत ग्राम समाज की जमीन नहीं लेंगे तो उस वक्त बड़ी दिक्कत हमारे सामने पैदा होगी, क्योंकि जिस तरह का विधेयक माननीय मंत्री जी लाये हैं उससे एक टेक्नीकैलिटी के बाद दूसरी टेक्नीकैलिटी आप पैदा करते जा रहे हैं। अभी तक जिस रूप में यह विधेयक था वह बहुत अच्छा था। लैंड की परिभाषा में से अध्याय ७ को निकालना उचित नहीं होगा। इसको निकालने के बाद बड़ी दिक्कत होगी। जो गांव समाज की भूमि होगी उसको आप फिर क्या रूप प्रदान करेंगे, कौन सी उसको संज्ञा देंगे ? माननीय मंत्री जी के सलाहकार भी यह नहीं बता सके कि उसके बाद इस जमीन को वे कौन सी संज्ञा देंगे। जब आप गांव समाज की भूमि के लिये कोई नयी संज्ञा नहीं देने जा रहे हैं, उस वक्त अध्याय ७ को निकाल देना, मैं समझता हूं, उचित नहीं होगा।

१०९ के बारे में भी माननीय मंत्री जी ने गलती की है। माइन्स और मिनरल्स ऐक्ट को अगर आप देखें तो श्रीमन्, उसमें मिनरल्स की जो परिभाषा है उसमें "क्ले" भी शामिल है। उस परिभाषा को मैं श्रीमन्, पढ़े देता हूं—"उप-खनिजों का तात्पर्य इमारती पत्थर, बजरी, मामूली मृदा नियत प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली बालू से भिन्न मामूली बालू अथवा किसी ऐसे खनिज से है जिसे केन्द्रीय सरकार ने समय-समय पर घोषित किया है या जिसके उप-खनिज होने के बारे में माइन्स और मिनरल्स (रेंगुलेशन ऐन्ड डेवलपमेंट) ऐक्ट, १९५७ (१९५७ के ऐक्ट संख्या ६७) की धारा ३, के खंड (ङ) के अधीन सरकारी गजट में विज्ञापित और घोषित करे।"

इससे आप देखेंगे कि श्रीमन्, क्ले जो कंकड़ होगी वह भी क्ले का ही एक रूप होगी। यह ठोस रूप है। तो अगर लैंड की परिभाषा से इस भूमि को हम अलग कर देते हैं तो पूर्वी जिले की जितनी जमीन है वह सब आपकी इस परिभाषा से अलग हो जायेगी। इसलिये आप कानून में जो यह तरमीम कर रहे हैं, इस गलती की वजह से लैंड रेवेन्यू की वसूली गलत ढंग से होगी। इसलिये मैं चाहूंगा कि लैंड की परिभाषा जिस रूप में पहले से वर्णित है उसको उसी तरीके से रहने दिया जाय। वह परिभाषा काफी विस्तृत है और मैं समझता हूं कि इसमें इस तरह से कोई अमेंडमेंट या संशोधन करना उचित न होगा।

ग्राम सभाओं के बारे में जो बात आपने कही, अपनी जगह पर वह स्थायी चीज है और मैं समझता हूं कि भूमि प्रबन्धक समिति के रहते हुये माननीय मंत्री जी का यह कहना कि ग्राम सभाओं की जो भूमि हैं वे इसके अन्दर नहीं आतीं, यह तो समझ के परे बात है। जो विस्तृत परिभाषा लैंड को दी गयी है वह अपनी जगह पर अच्छी भी है और मैं समझता हूं कि आज की पोजीशन में उसी परिभाषा को मानना काफी अच्छा होगा। कोई दिक्कत हमारे सामने न होगी। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर आपने कोई दिक्कत महसूस की है, तो उसके बारे में वे हम लोगों को बतलाने की कृपा करें ताकि सदन को इस बात की जानकारी हो जाय कि वे कौन सी दिक्कतें हैं जो आपके सामने आयीं जिसकी वजह से आप इस कानून के अन्दर परिवर्त्तन करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी हम लोगों को सूचित करें और इस बात को बतलावें कि उनकी क्या दिक्कतें हैं। और जो हमने सुझाव दिये हैं उन बातों का भी खयाल करें ताकि हमारे सामने दिक्कत कोई न आवे।

(श्री रक्षपालसिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी को बोलने दें ।

श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, कानून के मुताबिक ही काम होने दें । आपका कानून है कि अगर कोई भी प्रस्ताव या खंडों के ऊपर संशोधन हम लोग प्रस्तुत करें तो उसके बाद कोई बोलना चाहे तो बोल सकता है । मैं प्रस्तावक हूं, मैं बोल चुका और उसके बाद अगर कोई आदमी बोलना चाहे तो उसे रोका तो जायगा नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—

रोका तो किसी को नहीं जायगा । लेकिन जिस स्पिरिट में मैंने कहा था कि आप लोगों के जितने नये अमेंडमेंट्स आये थे वे टाइम बार्ड थे फिर भी मैंने कहा कि आज जितने हो जायें उतने हो जाने दीजिये ।

श्री कमलासिंह यादव—

जिस वक्त आपका आदेश होगा कि हम लोग न बोलें उसी वक्त हम लोग बोलना छोड़ देंगे और सरकार का आदेश जिस रूप में होगा उसको उसी रूप में मान लेंगे । आज काफी काम हो जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

ऐसा कर लीजिये कि आज खंड ११ तक हो जाय ।

*श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

श्रीमन्, मैं माननीय कमला सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करता हूं । वैसे तो श्रीमन्, कल भी मैंने अपने भाषण में थोड़ा सा उल्लेख इस परिभाषा के संबंध में किया था । जहां तक धारा १४३ और १४४ का प्रश्न है, उसमें तो ठीक था कि उन धाराओं के लागू न होने के कुछ कारण थे । धारा १०९ में इंडस्ट्री वाली बात है कि जहां इंडस्ट्री कोई चलती हो, वह लैंड या उसके आसपास की जो भूमि है, उसको अगर भूमि की परिभाषा से निकाल दिया जाय तो वह अलग बात है, लेकिन चैप्टर ७ में एक विशेष बात है कि सारे के सारे गांव समाज की लैंड मैनेजमेंट समिति का जहां तक संबंध है, यदि लैंड की परिभाषा उस चैप्टर पर लागू नहीं होगी तो वह चैप्टर ही नहीं रह जायगा । उसका कारण मैं यह समझता हूं कि अगर माननीय मंत्री महोदय हमारी बातों को देख लें कि जो प्रस्तावित धारा ११७ है और जो चैप्टर ७ है उसमें दिया हुआ है कि कौन कौन भूमि ऐसी है जो गांव समाज के अन्दर या स्थानीय निकायों के अन्दर निहित होगी, तो यह भूमि की परिभाषा इसमें नहीं लगने वाली है । ११७ का जो उद्देश्य है "कुछ भूमि आदि का गांव सभाओं तथा अन्य स्थानिक अधिकारिकी में निहित होना", इसमें जो भूमि की परिभाषा है वह नहीं लागू हो रही है । "११७ (१) धारा ४ में उल्लिखित विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाने के पश्चात् किसी समय राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह प्रख्यापित कर सकती है कि तदर्थ निर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से निम्नलिखित सभी या कोई वस्तु, अर्थात्—

'(१) तत्समय किसी जोत या बाग के अन्तर्गत भूमि को छोड़कर सभी भूमि, चाहे वह कृषि योग्य हो या नहीं,'

गांव समाज में भूमि वैस्ट करेगी वह इसमें लिखा हुआ है—

"(५) ऐसी भूमि पर, जिन पर धारा–१८ की उपधारा (१) के खंड (क) से (ग) के उपबन्ध लागू होते हों अथवा धारा ९ में उल्लिखित स्थलों तथा क्षेत्रों पर लगने वाले हाटों, बाजारों और मेलों से भिन्न हाट, बाजार और मेले, और"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री रक्षपालसिंह]

तो श्रीमन्, पहिले बाग जो हैं वह भूमि है गांव समाज की। गांव समाज एक काम भी करती है तो वह भूमि प्रबन्धक समिति ही है। चाहे वह उस भूमि को मकान बनाने के लिए दे दे या भूमिहीनों या कृषकों को दे दे। परन्तु जब यह सारा परिभाषा से हट जावेगा, वह भूमि है नहीं तो पट्टा ही कैसे लिखा जावेगा? या फिर मंत्री महोदय का ऐसा विचार हो कि गांव समाज की भूमि जो उसके नाम पर वेस्ट कर दी गई है वह पट्टे पर नहीं उठाई जावेगी। एक पार्टीकुलर क्लाज के लिये कि इस पर्पज के लिये भूमि नहीं मानी जावेगी, तब तो ठीक है। इस तरह से श्रीमन्, मैं विचार करने के बाद और अपने मित्रों से सलाह लने के बाद इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि पूरे चैप्टर में भूमि की परिभाषा वैसे नहीं लिखी गई होगी जैसे चैप्टर सात में। चैप्टर सात भूमि की परिभाषा से निकाल दिया जाय तो ठीक है। इसके समर्थन में कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, एक मेरा भी संशोधन है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप भी पेश कर दीजिये।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

माननीय राजस्व मंत्री जी भी तो सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राजस्व मंत्री, कृपया सुन लें।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि खंड (४) के उपखंड (१) की तीसरी पंक्ति में शब्द "अध्याय ७" निकाल दिया जाय और मूल अधिनियम की धारा ३ के खंड (१४) के अन्त में पूर्ण विराम के पूर्व अधोलिखित बढ़ा दिया जाय:

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सीरदार तथा भूमिधर द्वारा अपनी भूमि अथवा उसके किसी भाग पर निवास के लिये भवन निर्माण करा लेने के बाद मकान तथा उसकी एपर्टनेंट भूमि इस भूमि की परिभाषा से मुक्त हो जायगी।"

श्रीमन्, इसके दो हिस्से हैं, जो मैंने संशोधन रक्खा है। एक हिस्सा तो वही है जिसके बारे में माननीय कमलासिंह जी और रक्षपालसिंह जी ने तर्क रक्खा है। उस तर्क के साथ और एक तर्क रखता हूं। वह तर्क यह है कि क्या परिणाम होगा अगर वह अध्याय ७ इसमें रख दिया जाय। उसका परिणाम दूर तक देखें, इसीलिये मैंने संशोधन के पहले माननीय मंत्री जी से यह कहा था कि इन खंडों को रखते समय दूसरी धाराओं पर भी ध्यान दें। पहला परिणाम तो यह होगा कि एक दफा १६१ है उसको मैं पढ़ दूं—

"A Bhoomidhar or Sirdar may exchange with any other Bhoomidhar or S irdar land held by him ;"

इससे कोई मतलब नहीं है, आगे है—

"Or any Gaon Sabha or local authority lands for the time being vested in it under section 117 and 117-A."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यानी कोई भी भूमिधर या सीरदार उस भूमि को बदले में या तबादले में लेना चाहे जो भूमि निहित हो गई है गांव सभा में ११७ और ११७–ए दफा के अधीन तो वह १६१ दफा के अन्दर दरख्वास्त दे सकता है और तबादला कर सकता है। उसकी विधि दी गई है कि यह-यह विधियां हैं। विधियों में एक यह भी है कि उसकी मालगुजारी आंकी जायगी, उस भूमि की किस्म देखी जायगी, इत्यादि, इत्यादि। और जो जमीन इसमें आयेगी एक्सचेंज वाली दफा की परिभाषा में, वह जमीन वही होगी जो इस परिभाषा की तमाम शर्तों को पूरा करेगी तो परिभाषा भूमि की दी गई है। यानी लैंड की जो परिभाषा दी गई है वह परिभाषा अगर पूरी होती है दफा १६१ में, तब एक्सचेंज हो सकता है। अगर लैंड की परिभाषा में अध्याय ७ निकाल दिया जाता है तो नतीजा यह हो जाता है कि गांव सभा में जो भूमि ११७–ए में निहित हुई वह भूमि उस परिभाषा में नहीं नहीं आयेगी। तो उसके लिये भी १६१ बेकार हो गया। एक्सचेंज वाली दफा यही कहती है कि जमीन ही इधर उधर एक्सचेंज होगी और वह कौन जमीन इधर उधर एक्सचेंज होगी, वह होगी जिसकी परिभाषा इस जमींदारी एबालीशन ऐक्ट में दी हुई है। तो वह वह भूमि ही नहीं रहेगी इस परिभाषा के अन्दर तो एक्सचेंज कैसे होगा, यह मैंने एक उदाहरण दिया।

दूसरी बात यह है कि अगर वह जमीन उसमें नहीं आती है तो लैंड रेवेन्यू उस पर नहीं लगेगा और अगर लैंड रेवेन्यू नहीं लगेगा तो दूसरी शर्त को वह कैसे पूरा करेगी? यानी एक जगह से दूसरी जगह जमीन जायगी तो दोनों की किस्म देखी जायगी, मालगुजारी लगी हुई है तो वह देखी जायगी, नहीं लगी है तो क्या मालगुजारी नियमों के अनुसार हो सकती है, जिसको अंग्रेजी में पेएबिल कहते हैं, वह देखी जायगी। लेकिन जब वह जमीन की परिभाषा में नहीं आयेगी तो मालगुजारी कैसे लगायी जायगी? इसलिये अध्याय ७ इसमें से निकाल देना चाहिये।

अब एक दूसरा अंश इसका है—"किन्तु, प्रतिबन्ध यह है कि सीरदार तथा भूमिधर द्वारा अपनी भूमि अथवा उसके किसी भाग पर निवास के लिये भवन निर्माण करा लेने के बाद मकान तथा उसकी एपर्टमेंट भूमि इस भूमि की परिभाषा से मुक्त हो जायगी।" माननीय मंत्री जी यह कहेंगे कि दफा १४६ में भूमिधर को यह अधिकार दिया गया है कि वह मकान बना ले। लेकिन जो अधिकार भूमिधर को दिया गया है कि वह चाहे तो मकान बना ले या अपने यहां इंडस्ट्री सेट आप कर ले, या और जो चाहे, करे, यह अधिकार सीरदार को क्यों नहीं दिया गया? अगर वह भूमि जो इस भूमि के परिभाषा में आती है उसमें वह हार्टीकल्चर, ऐग्रीकल्चर और दूसरे कल्चर सब कर सकता है तो उस सीरदार ने जिसको जिन्दगी पर जोता और उसमें उसने अपना रहायशी घर बना लिया तो उसको क्यों इजेक्ट करते हैं? वह २०६ और २०७ के अन्दर इजेक्ट हो जायगा? उसका कसूर केवल इतना ही होगा कि वह अपने खेत में मकान बना लिये है और इसलिये जिस निमित्त उसको खेत दिया गया, कि वह खेती करे बाग-बगीचा लगाये, मछली पालें, वह नहीं कर रहा है और उसने मकान बना लिया तो वह बेदखल हो जायगा, दफा २०६ के मुताबिक जो इस प्रकार है—

"206. A Sirdar or an assami shall be liable to ejectment on the suit of the (Gaon Sabha) or the landholder, as the case may be, for using land for any purpose other than a purpose connected with agriculture, horticulture or animal husbandry which includes pisciculture and poultry farming and also to pay damages equivalent to the cost of works which may be required to render the land capable of use for the said purposes."

इतना ही नहीं होगा कि दफा २०६ में बेदखल हो जायगा, बल्कि उसका मकान गिराया जायगा, वह हटाया जायगा, उस जमीन को हमवार किया जायगा और फिर खेती के योग्य बनाया जायगा। और इसमें जितना खर्चा लगेगा, वह भी उससे वसूल किया जायगा। तो जो संशोधन मैंने और माननीय कमलासिंह ने रखे हैं, वह दोनों जनहित में हैं। इसलिये शुरू में कहा गया था

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

कि जरा विचार करने का अवसर दीजिये। मैं ऐसा समझता हूं कि मंत्री जी की यह इच्छा नहीं है कि सीरदार को अधिकार दिये जांय, जो भूमिधर को दिये गये, उसका कसूर केवल इतना है कि उसने दसगुना नहीं जमा किया। मेरी राय में यह बड़ा भारी अन्याय है। सीरदारी में वह किसी चीज से बेदखल नहीं होता, लेकिन अगर मकान बना लिया तो बेदखल हो जायगा। यह अधिकार उसको आप दें, और वह तभी दे सकते हैं, जब हमारा संशोधन आप मान लें। यदि ऐसा कोई और कहीं प्राविजन है, तो मैं उसे मान लूंगा, परन्तु यह बात मंत्री जी बता दें कि अगर सीरदार के पास एक ही बीघा खेत है, और वह जमीन जुड़ी हुई है किसी नगर से और उसने अपना मकान बना लिया, उस खेत पर, तो कैसे बचाया जा सकता है? कैसे उसका मकान रह जायगा और कैसे वह इजेक्टमेंट से बचे?

दूसरा मेरा तर्क यह है कि अगर वह अपना मकान बना लेगा सीरदारी में और उस जमीन को इस जमीन की परिभाषा से अलग कर दिया जायगा तब वह परसनल लास से गवर्न होगा, क्योंकि खेती से जमीन निकल जायगी तो वह घर परसनल लास से गवर्न होगा। तीसरी बात यह कि अगर कोई दैवी आपदा पड़ी और वह बेचना चाहता है, तब यह कानून उसको रोक नहीं सकता और वह उसको बेच सकता है। सीरदारी बेचने पर रोक लगाई गई, लेकिन अगर उसने मकान बना लिया, और इस भूमि की परिभाषा से निकाल दिया गया, तो जब चाहे तब बेच सकता है और परसनल लास से गवर्न होगा। किसी सीरदार से अथवा भूमिधर से लगान या मालगुजारी इसलिये ली जाती है कि वह जमीन उन परपजेज के लिये इस्तेमाल होती है, जिनके लिए इस कानून में प्राविजन है। अब जब वह खेती के लिये इस्तेमाल नहीं करेगा, या अन्य परपजेज के लिये जो ऐक्ट में दिये गये हैं, नहीं इस्तेमाल करेगा या जितनी नहीं इस्तेमाल करेगा तो उसको उस पर मालगुजारी नहीं देनी चाहिये। अगर वह नगर में कहीं हुआ तो आप उससे कर भी लेंगे जैसे गांव सभा से कहें कि मकान-कर लो और अगर वह किसी टाउन एरिया या म्युनिसिपैलिटी में हैं तो उससे भूमि भवन कर लेंगे। इस तरह से उस पर डबल कर हो जायगा—एक मालगुजारी और दूसरा भवन-कर। तो इससे भी वह मुक्त हो जायगा। यह मेरी तीसरी दलील हुई।

जो तर्क मेरी बुद्धि से आये, वह मैंने मंत्री जी के सामने रख दिये हैं, अगर वह कोई दूसरा प्राविजन बता दें, जिनसे मेरी मंशा पूरी होती है, तो मैं अपना संशोधन वापस ले लूंगा, अन्यथा मेरे संशोधन को मंत्री जी स्वीकार करें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

संशोधन तो बहुत सीधा सादा है, लेकिन उसमें पेंच है। यह जो चैप्टर ७ है, यह जो भूमि या और चीजें जमींदारी एबालीशन ऐक्ट के सेक्शन ४ के नोटीफिकेशन के बाद सरकार में निहित होती हैं, उनका मैनेजमेंट कैसे हो, उनका रख-रखाव कौन करे, यह काम गांव सभा लैंड मैनेजमेंट कमेटी करती है। और गांव समाज तथा लैंड मैनेजमेंट कमेटी के पास बहुत तरह की जमीनें हुआ करती हैं और जो परिभाषा जमीन की सब-क्लाज १४ में दी हुई है, वह सीमित है। यह वही जमीन है, जो खेती पशुपालन या फल वगैरह लगाने के लिये होती है। केवल वही जमीन एग्रीकल्चर की परिभाषा में आती है। और गांव समाज के पास जो जमीन निहित होती है, उसमें हाट बाजार भी हैं। तो अगर हाट बाजार वाली जमीन के लिये भी वही परिभाषा रखी जाय, जो सब-क्लाज १४ में है, तो वह न खेती के लिये, न पशुपालन के लिये, न मुर्गीपालन के लिये, न किसी कल्चर के लिये और न फल के लगाने के काम आ सकती है। सी को साफ करने के लिये यह अमेंडमेंट रखा गया है। किसी की जमीन हम नहीं लेना चाहते। आपके संशोधन से उनका टाइटिल डाउटफुल हो जाता है। फारेस्ट की लैंड न खेती के और न पशुपालन के काम आती है। तो वह जमीन कैसे उसमें निहित रहेगी? इसलिये लिमिटेड डेफिनिशन के बाद निकाल कर बाकी जमीन उनको देना चाहते हैं, यह दिक्कत है।

दूसरा संशोधन जो मकान के बारे में है, उसमें एक दिक्कत ऐसी है, कि भूमिधर और सीरदार को अपनी होल्डिंग में राइट है जैसा कि डिफाइन्ड है। टु होल्ड दि लैंड सो लांग ही पेज दि

रेंट । और आपका जो संशोधन है, उसमें जो लैंड है, उसको आर्डिनरी लैंड की डेफिनीशन से निकालना चाहते हो । तो जो लैंड की आर्डिनरी परिभाषा है, वह बड़ी व्यापक है और जो जमींदारी एबोलीशन ऐक्ट में है, वह संकुचित है । इससे भी एक दिक्कत पड़ने वाली है कि वह होल्डिंग की डेफिनीशन से खत्म हो जायगी और उसका राइट और टाइटिल भी उस मकान से खत्म हो जायगा । इस पहलू को भी आप सोच लें ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें जो वैकुअम क्रियेट हो जायगा इससे किसानों के हित की रक्षा होने वाली नहीं है । उनको इससे और उल्टा नुकसान हो जायगा । अतः आपने जो युक्तियां दी हैं उनकी ओर न जाकर जो हमारी इस संशोधन को मानने में डिफीकल्टीज हैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूं ।

श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यह समझ रहा था कि माननीय मंत्री जी कोई ऐसी बात कहेंगे जिससे हम लोग भी कुछ समझ लेंगे । आखिरकार इस भूमि को आप क्या संज्ञा देंगे ? लेकिन अगर हमारा राजस्व मंत्री ऐसा काबिल नहीं है या यह नहीं जान सकता है कि वह भूमि जो इस भूमि की परिभाषा से निकल जायगी, उसको कौन सी संज्ञा दी जायगी, तब उसके लिए और कहा क्या जा सकता है ?

श्रीमन्, त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छी तरह से इस बात को बताया कि हमारे सामने दफा १६१ के मुताबिक कौन-कौन सी दिक्कतें आने वाली हैं । बहुत सी प्रैक्टीकल डिफीकल्टीज की तरफ माननीय त्रिपाठी जी ने संकेत किया । मैं एक बात की तरफ और माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं दफा ११७(१) (१) में दिया हुआ कि—

> "तत्ससमय किसी जोत या बाग के अन्तर्गत भूमि जो छोड़कर सभी भूमि, चाहे वह कृषि योग्य हो या नहीं ।"

एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि भूमि की परिभाषा में यह नहीं आया और दूसरी तरफ इसमें आप कहते हैं 'सभी भूमि' । और इसके आगे भी आप कहते हैं कि "चाहे वह कृषि योग्य हो या नहीं ।"

उन्होंने हाट बाजार का भी जिक्र किया, लेकिन कल्टीवेबिल लैंड के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है । इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको अगर लैंड की परिभाषा से निकाल दिया जायगा तो बड़ी दिक्कत हो जायगी ।

चकबन्दी भी इस विधेयक के साथ-साथ चल रही है और उसमें जो गांवसभा की जमीन है उसके भी चक बनाये जा रहे हैं । अगर वह लैंड नहीं है तो किस तरीके से मानी जायगी ? गांव सभा की जमीनों का जो मूल्यांकन होता है, उसकी वैल्युयेशन को निकालने के लिए क्या होगा ? दूसरी चीज यह भी है कि मान लीजिए गांव सभाओं के नाम से कोई चक काट दिया गया । उस वक्त पोजीशन क्या होगी ? जब यह विधेयक लागू हो जायगा तो गांव समाज की भूमि जमीन नहीं रह जायगी । वह चक हो जायेंगे तब इसका क्या होगा ?

इसके अलावा हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वह यह है कि गांव समाज की भूमि से किसी काश्तकार को भूमि का कोई चक अलाट किया गया और किसी वजह से उसको खराब भूमि दे दी गयी है और अब डायरेक्टर चाहता है कि उसको अच्छी भूमि दे दी जाय । लेकिन आपकी भूमि तो भूमि रही नहीं, फिर उसको आप कैसे ऐक्चेन्ज करेंगे ? इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि इसमें कोई जल्दी नहीं है, इसके बारे में अपने अधिकारियों से सलाह ले लें और उसके बाद जो उचित समझें वह करें । हम चाहते हैं कि हमारी यह कठिनाई दूर हो जाय ।

माननीय मंत्री जी ने हाट, बाजार और फारेस्ट की लैंड के बारे में कहा । मैं नहीं कहता कि इसको व्यापक बना दिया जाय । यहां तो हम इसको सीमित कर रहे हैं । लेकिन अगर

[श्री कमलासिंह यादव]

व्यापक हो भी जाता है तो ऐसी भूमि के बारे में हम स्पष्टीकरण में उसको ला सकते हैं। इसके लिए आप नीचे एक स्पष्टीकरण दे दें। मैं समझता हूं कि इससे हमारी सारी कठिनाई दूर हो जायगी इसलिए मंत्री जी का मैंने ध्यान आकृष्ट किया है, क्योंकि यह बड़ा गंभीर मसला है और इससे बहुत सी समस्यायें खड़ी हो सकती हैं क्योंकि चकबन्दी में और जमींदारी अबालिशन ऐक्ट में गांव समाज की लैंड का भी सवाल है क्योंकि बन्दोबस्त तो प्रधान करेगा और लोगों की बेदखली भी वह करेगा। सरकारी जमीन भी गांव सभाओं में निहित होगी उस की क्या पोजीशन होगी, यह तमाम दिक्कत होंगी। मंत्री जी इसमें जल्दबाजी न कर, बल्कि वह अपने अधिकारियों और ला डिपार्टमेंट से राय लेकर कल इसको स्वीकार कर लें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने अपने मंत्री जी के विचार इस संशोधन के बार में सुनें और यदि मैं उनको ठीक समझा तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके हृदय में यह बात है कि गलती जरूर की है और वह कैसे ठीक की जाय और वह अभी तक अपना मस्तिष्क पक्का नहीं कर पाये हैं। यह सोच कर ही मुझे भरोसा हुआ और उसी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि बजाय इसके कि आप इस संशोधन को आज ही समाप्त कर दें, आप उस पर आज मतदान न करायें और उसको कल तक के लिए स्थगित कर दें ताकि मंत्री जी की नेक नीयती पर संदेह न हो। आप सीरदार को राहत देना चाहते हैं और उसके हितों की रक्षा भी चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह भी हो सकता है कि हम भी इतनी जल्दी में ठीक सुझाव न दे पाते हों। मंत्री जी खुद बुद्धिमान हैं और विधि विभाग भी उनका बहुत चतुर है उससे वह सलाह कल तक ले लें। आप ने तसलीम किया कि हम सीरदार को अधिकार देना चाहते हैं, लेकिन यह नहीं बताया कि किस दफा में आप सीरदार तो रहायश के मकान बनाने का हक दे रहे हैं कि जिस पर से वह बेदखल न हो सकेगा। आपने नहीं बताया, या संभव है मुझे न मालूम हो।

दूसरे, रिकार्ड मेनटेन करने की बात है। उसमें २ ही चीजें होंगी। आपने कहा कि होलडिंग नहीं रहेगी तो हमें कैसे मालूम होगा कि उसकी होलडिंग कहां है, उसके हित कहां हैं? यह तो नक्शे से ही मालूम होगा और जब कि पुराने सीरदार का रिकार्ड रहेगा। उसका टाइटिल साफ रहेगा। जब परिभाषा से दूसरी चीज निकाल रहे हैं तो यह भी निकाल दें और इस तरह से मालगुजारी नहीं लगेगी और वह बेदखल नहीं होगा। या ऐसा कर दें कि मालगुजारी देना पड़े और बेदखली न हो। अच्छा है यहीं यह हो जाय, वर्ना जिस तरह से साल में दस बार जमींदारी ऐक्ट में संशोधन आते हैं यही विचार है तो बात दूसरी है। लेकिन आपकी नेक-नीयती पर विश्वास करके हम विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आज इस पर आप विचार स्थगित कर दें और सरकार स्वयं ही हम से भी अच्छा संशोधन लाये ताकि सीरदार के हित की रक्षा हो और खेत में वह मकान बना सके। अगर यह न हो तो सरकार अपना संशोधन लाये तो हम उसको भी मान लेंगे।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ज्यादा कहना नहीं है, जो कहना था वह मैंने पहले ही कह दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि "खंड ४ के उपखंड (१) की तृतीय पंक्ति से शब्द तथा अंक "तथा अध्याय ७" निकाल दिये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) की तीसरी पंक्ति में शब्द "अध्याय ७" निकाल दिये जायें और मूल अधिनियम की धारा ३ के खंड (१४) के अन्त में पूर्ण विराम के पूर्व अधोलिखित बढ़ा दिया जाय।

"किंतु, प्रतिबंध यह है कि सीरदार तथा भूमिधर द्वारा अपनी भूमि अथवा उसके किसी भाग पर निवास के लिए भवन निर्माण करा लेने के बाद मकान तथा उसकी एपर्टनेंट भूमि इस जमि की परिभाषा से मुक्त हो जायगी ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ५

धारा ११७ तथा ११७-क के स्थान पर नयी धाराओं का प्रतिस्थापन ।

५—(१) मूल अधिनियम की धारा ११७ और ११७-क के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और मूल अधिनियम की, जैसा कि वह अधिनियम के प्रारंभ होने क पूव था, उक्त धाराओं के अधीन की गयी किसी कार्यवाही अथवा जारी की गयी किसी विज्ञप्ति के संबंध में यह समझा जायगा कि वह एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नयी धाराओं के उपबन्धों के अधीन की गयी कार्यवाही अथवा जारी की गयी विज्ञप्ति है, मानो यह धारा सभी सारवान दिनांकों पर प्रचलित थी :—

कुछ भूमि आदि का गांव सभाओं तथा ६ अन्य स्थानिक अधिकारियों में निहित होना

"११७—(१) धारा ४ में उल्लिखित विज्ञप्ति प्रकाशित हो जाने के पश्चात् किसी समय, राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा यह प्रख्यापित कर सकती है कि तदर्थ निर्दिष्ट किए जाने वाले दिनांक से निम्नलिखित सभी या कोई वस्तु, अर्थात्—

(१) तत्समय किसी जोत या बाग के अन्तर्गत भमि को छोड़कर सभी भूमि, चाहे वह कृषियोग्य हो या नहीं,

(२) जंगल,

(३) जोत में अथवा जोत की मेड़ पर या बाग अथवा आबादी में स्थित पेड़ों को छोड़कर, अन्य सभी पेड़,

(४) मीनाशय,

(५) ऐसी भूमि पर, जिन पर धारा १८ की उपधारा (१) के खंड (क) से (ग) के उपबन्ध लागू होते हों अथवा धारा ९ में उल्लिखित स्थलों तथा क्षेत्रों पर लगने वाले हाटों, बाजारों और मेलों से भिन्न हाट, बाजार और मेले, और

(६) तालाब, पोखर, निजी नाव-घाट, जल-प्रणालियां (water channels) रास्ते और आबादी के स्थल (abadi-sites),

जो इस अधिनियम के अधीन राज्य में निहित हो गये हों, उस संपूर्ण गांव या उसके भाग के लिए जिसमें उक्त वस्तु स्थित हो, स्थापित गांव सभा या किसी अन्य स्थानिक अधिकारिकी में, अथवा अंशतः एक ऐसे स्थानिक अधिकारिकी (जिसके अन्तर्गत गांव सभा भी है) और अंशतः दूसरे में निहित हो जायेंगे :

किन्तु राज्य सरकार के लिए पूर्वोक्त प्रख्यापन ऐसे अपवादों तथा प्रतिबन्धों के अधीन करना वध होगा जिन्हें विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाय ।

उ० प्र० अधिनियम संख्या २, १९५९।

(२) इस अधिनियम में अथवा तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, प्रख्यापित कर सकती है कि ऐसे दिनांक से जो तदर्थ निर्दिष्ट किया जाय, उपधारा (१) के खंड (१)से(६) तक में निर्दिष्ट सभी या कोई वस्तु जो इस अधिनियम के अधीन राज्य में निहित होने के पश्चात् किसी गांव सभा अथवा किसी अन्य स्थानिक अधिकारिकी में, या तो इस अधिनियम के अधीन अथवा उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९, की धारा १२६ के अधीन निहित कर दिये गये हों, ऐसे संपूर्ण गांव या उसके भाग के लिए जिसमें उक्त वस्तु स्थित हो, स्थापित किसी अन्य स्थानिक अधिकारिकी (जिसके अन्तर्गत गांव सभा भी है) में निहित हो जायेंगे।

यू० पी० ऐक्ट संख्या २६, १९४७

(३) यदि उपधारा (१) के खंड (१) से (६) तक में निर्दिष्ट किसी भी वस्तु को किसी गांव सभा में निहित करने के लिए उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन कोई प्रख्यापन किया गया हो, और ऐसे गांव या गांव का भाग, जिसमें वह वस्तु स्थित हो, गांव सभा के मंडल के बाहर हो, तो ऐसी गांव सभा या उसकी भूमि प्रबंधक समिति, उस वस्तु के संबंध में ऐसे कृत्यों का संपादन, कर्त्तव्यों का पालन तथा अधिकारों का प्रयोग करेगी जो कि इस अधिनियम अथवा यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७, द्वारा या उसके अधीन, यथास्थिति गांव सभा या भूमि प्रबंधक समिति को अभ्यर्पित या उस पर आरोपित या उसे प्रदत्त हो मानो वह गांव या गांव का भाग भी उस मंडल के अन्दर स्थित हो।

उ० प्र० अधिनियम संख्या २, १९५९ यू० पी० ऐक्ट संख्या २६, १९४७

(४) यदि उपधारा (१) के खंड (१) से (६) तक में निर्दिष्ट किसी भी वस्तु को गांव सभा से भिन्न किसी स्थानिक अधिकारिकी में निहित करने के लिए उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन कोई प्रख्यापन किया गया हो और ऐसा गांव अथवा गांव का भाग जिसमें वह वस्तु स्थित हो ऐसे स्थानिक अधिकारिकी की सीमाओं के बाहर हो, अथवा यदि उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन किसी प्रख्यापन के हो जाने के पश्चात् वह वस्तु उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९, की धारा १२६ के अधीन नगर महापालिका में निहित हो जाय, अथवा यथास्थिति, निहित हो चुकी हो, तो ऐसा स्थानिक अधिकारिकी उस वस्तु के संबंध में ऐसे कृत्यों का संपादन, कर्त्तव्यों का पालन तथा अधिकारों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम अथवा यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४८ द्वारा या उनके अधीन गांव सभा या भूमि प्रबंधक समिति को अभ्यर्पित या उस पर आरोपित या उसे प्रदत्त हो

किन्तु प्रतिबंध यह है कि स्थानिक अधिकारिकी इस उपधारा के अधीन अपने कृत्यों का संपादन, कर्त्तव्यों का पालन तथा अधिकारों का प्रयोग करने में ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो नियत की जाय।

(५) यदि उपधारा (१) के खंड (१) से (६) तक में निर्दिष्ट कोई भी वस्तु गांव सभा से भिन्न किसी स्थानिक अधिकारिकी में निहित हो जाय तो धारा १२६ तथा १२७ के उपबन्ध ऐसे किन्हीं अपवादों तथा परिष्कारों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निर्दिष्ट करे, ऐसे स्थानिक अधिकारिकी पर आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

(६) राज्य सरकार किसी भी समय गजट में विज्ञप्ति द्वारा पूर्वोक्त किसी वस्तु के संबंध में, या तो सामान्यतया अथवा किसी गांव सभा या अन्य स्थानिक अधिकारिकी के संबंध म, किय गय किसी प्रख्यापन अथवा किसी विज्ञप्ति को

संशोधित अथवा निरस्त कर सकती है, और ऐसी वस्तु को वापस ले सकती है, और जब कभी राज्य सरकार कोई ऐसी वस्तु इस प्रकार वापस ले ले तो, यथास्थिति, गांव सभा या स्थानिक अधिकारिकी उस वस्तु में अथवा उस वस्तु पर उसके द्वारा किए गए केवल विकास कार्य ही के कारण, यदि कोई हो, प्रतिकर पाने का हकदार होगा और उसको उसी के लिए प्रतिकर दिया जायगा ।

किन्तु प्रतिबंध यह है कि राज्य सरकार इस प्रकार वापस लेने के पश्चात्, ली गयी वस्तु को उसी या किसी अन्य स्थानिक अधिकारिकी (जिसके अन्तर्गत गांव सभा भी है) में निहित करने के लिए उपधारा (१) या उपधारा (२) के अधीन नया प्रख्यापन कर सकती है, और यथास्थिति उपधारा (३), (४) और (५) के उपबन्ध ऐसे प्रख्यापन पर आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे ।

११७–क––(१) यदि––

(क) किसी गांव सभा के मण्डल के भीतर स्थित कोई गांव अथवा गांव का कोई भाग ७ जुलाई, १९४९ के पश्चात् किसी अन्य स्थानिक अधिकारिकी (जो गांव सभा न हो) की सीमाओं में सम्मिलित हो जाता है ; या

(ख) किसी अन्य स्थानिक अधिकारिकी (जो गांव सभा न हो) की सीमाओं के भीतर स्थित कोई गांव अथवा गांव का भाग ७ जुलाई, १९४९, के पश्चात् किसी गांव सभा के मण्डल में सम्मिलित हो जाता है ; या

गांव सभा या अन्य स्थानिक अधिकारिकी द्वारा राज्य-क्षेत्रातीत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए अतिरिक्त उपबन्ध

(ग) धारा ११७ की उपधारा (१) के खंड (१) से (६) तक में निर्दिष्ट कोई भी वस्तु उक्त धारा के अधीन किसी ऐसी गांव सभा या अन्य स्थानिक अधिकारिकी में, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर वह न हो, निहित कर दी जाय,

तो राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, यह निदेश दे सकती है कि किसी ऐसे गांव या उसके भाग के भीतर जोत के क्षेत्र के संबंध में अथवा खंड (ग) की दशा में ऐसे गांव या उसके भाग के शेष के भीतर, जिसके संबंध में उक्त खंड में अभिदिष्ट वस्तु हो, ऐसी गांव सभा या उसकी भूमि प्रबंधक समिति अथवा अन्य स्थानिक अधिकारिकी, जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट किया जाय, ऐसे किन्हीं अपवादों, प्रतिबन्धों तथा परिष्कारों के अधीन रहते हुए, जो तदर्थ निर्दिष्ट किये जायें, ऐसे कृत्यों का संपादन, कर्त्तव्यों का पालन तथा अधिकारों का प्रयोग करेगी जो इस अधिनियम या यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७, द्वारा या उसके अधीन किसी गांव सभा या भूमि प्रबंधक समिति को अभ्यर्पित, उसे आरोपित या प्रदत्त हों ।

यू० पी० ऐक्ट, संख्या २६, १९४७

(२) कोई गांव सभा या अन्य स्थानिक अधिकारिकी जो उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम, १९५६, के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व दिनांक को उपधारा (१) में अभिदिष्ट किसी क्षेत्र या वस्तु के संबंध में उक्त उपधारा में अभिदिष्ट प्रकार के कृत्यों का संपादन, कर्त्तव्यों का पालन या अधिकारों का प्रयोग कर रही हो, तब तक ऐसे कृत्यों का संपादन, कर्त्तव्यों का पालन तथा अधिकारों का प्रयोग करती रहेगी जब तक कि उक्त उपधारा के अधीन विज्ञप्ति द्वारा उसमें कोई परिष्कार या अभिशन्यन (Annulment) न कर दिया जाय ।

(३) इस धारा के उपबन्ध, धारा ११७ की उपधारा (३) से (६) तक में दी गयी किसी बात के अतिरिक्त होंगे और न कि उसके अल्पीकरण म ।

(२) मूल अधिनियम की धारा १२८ की उपधारा (२) के खंड (कक) में शब्द तथा अंक "धारा ११७ की उपधारा (१) के द्वितीय प्रतिबंधात्मक खंड" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा ११७ उपधारा (६)" रख दिये जायें ।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, खंड ५ का मैं विरोध करता हूं और इसके २,३ कारण हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या आपने अपने सब एमेंडमेंट वापस ले लिए हैं ?

श्री कमलासिंह यादव--

वह तो वैसे ही वापस हो जायेंगे । अगर, श्रीमन्, आप ६ पर चले जायेंगे तो ५ तो हमारा खत्म हो जायगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

अच्छा, आप इस पर ५ मिनट बोल लीजिए ।

श्री कमलासिंह यादव--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं खंड ५ का विरोध करता हूं और उसके कई कारण हैं । पहला तो यह है कि ११७(१) (१) में दिया हुआ है--

"तत्समय किसी खाते या बाग के अन्तर्गत भूमि को छोड़कर" तो जहां तक शब्द "बाग" का सवाल है चकबन्दी में यह देखा जा रहा है कि जहां पर चकबन्दी हो रही है वहां पर बहुत से ऐसे किसान हैं जिन्होंने एक स्थान पर इतनी संख्या में पेड़ लगा रखे हैं जो कि बाग की शक्ल धारण कर लेते हैं । तो बाग की परिभाषा में वे आ गये । वे खासे बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि कागज में नहीं लिखा हुआ है इसलिए दिक्कत पड़ेगी । इस धारा के अन्दर दिया गया है कि "तत्समय किसी खाते या बाग के अन्तर्गत भूमि को छोड़कर" । चूंकि कागज में "बाग" नहीं दिखाया गया है पर मौके पर बाग है, तो वह बाग भी गांव समाज का बाग हो जायगा ।

दूसरी बात यह है जिस पर कि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान फिर ११७ (१) की (३) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । उसमें दिया हुआ है "जोत में या जोत की मेड़ पर या बाग या आबादी में स्थित पेड़ों को छोड़कर अन्य सभी पेड़ ।" तो श्रीमन, ३ तरह के पेड़ों को माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक के जरिए रखा है । जैसे-- जो अपने खेत में लगा ले उसका मालिक हो गया । खेत की मेड़ पर लगा ले, आबादी में लगा ले तो उसका किसान मालिक होगा । लेकिन बंजर में जितने पेड़ किसानों ने लगाये हैं मंत्री जी उनसे उनको महरूम करना चाहते हैं और गांव समाज को मालिक बनाना चाहते हैं, जो कि उचित नहीं होगा । सरकार ने यह प्रेरणा पैदा की कि जितने किसान हैं वे एफारेस्टेशन करें, उससे जमीन का कटाव रुकता है और इसी कारण यह प्रोत्साहन दिया गया कि वे पेड़ अधिक से अधिक संख्या में लगायें । मैं नहीं समझ पाता कि जिस परिश्रम से किसान ने पेड़ लगाये, जिनके फल फूल से वह आज तक फायदा उठाता रहा, वे पेड़ आज उनसे क्यों छीने जा रहे हैं ? किसान जिसने इतने परिश्रम से बंजर में पेड़ लगाये उनसे अगर वह वंचित कर दिया जायगा तो उसको बड़ी हानि होगी ।

इसी के खंड ६ की ओर भी मैं सरकार का ध्यान ले जाना चाहता हूं । बहुत सी जमीनें ऐसी हैं जो सरकार में निहित थीं और आज उनको ग्राम पंचायतों में ट्रांसफर कर दिया गया है । सरकार जब चाहेगी उन जमीनों को उनसे वापस ले सकती है । इसमें यह दिया हुआ है कि कोई भी विकास का कार्य अगर गांव समाज ने किया है तो उनका कम्पेनसेशन गांव समाज को मिलेगा । अगर लोकल अथारिटी ने कोई विकास का कार्य किया है तो उसका कम्पैनसेशन उसको मिलेगा,

लेकिन अगर किसान ने गांव सभा से कोई जमीन लेकर किसी किस्म का विकास का कार्य किया है तो उसका कम्पेन्सेशन उसको नहीं मिलेगा। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है। इस संबंध में मैं समझता हूं कि किसानों को भी जिन्होंने विकास कार्य किए हैं कम्पेन्सेशन मिलना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इन बातों को ध्यान में रख कर खंड ५ में कुछ तरमीम लाने की कृपा करेंगे।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो खंड ५ है इसका मैं विरोध करता हूं इस नाते कि माननीय कमला सिंह ने जो दलील सदन के सामने रखी है उसका मैं समर्थन करता हूं। यह समझ कर कि आप भी वकील रहे हैं, जो कुछ मैं संक्षेप में कहूंगा आप उसे अपने अनुभव के आधार पर मानेंगे। जो धारा ११७ के उपखंड (१) (३) में दिया गया है, उसके बारे में मैं कहता हूं, यह है—"जोत में अथवा जोत की मेड़ पर या बाग अथवा आबादी में स्थित पेड़ों को छोड़कर, अन्य सभी पेड़।" यदि इस पर आप ध्यान दें, मैं उतना ही कहूंगा जितना कि मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूं। यह बराबर नजीरें होती चली आयीं कि जमींदार और काश्तकार में एक अन्तर किया गया है। बंजर भूमि पर काश्तकार की मिल्कियत भले ही किसी रूप में हो जाये, लेकिन जमींदार का कोई अधिकार नहीं है। जहां पर पोखर, तालाब आदि के पास किसी काश्तकार ने कोई पेड़ लगाये हैं, वहां उसने अपने हाथ से पेड़ लगाये, उसके बाप दादा ने लगाये, जिसका वह उपयोग लगातार करता रहा, उसको उसका अधिकार दिया जाता रहा, तो अब आप उसको क्यों नहीं कर देते हैं? अपने एक अधिकार से भी वह वंचित हो जाता है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

अब नम्बर छठा है, इसमें मैं यह चाहता था कि संशोधन लाने के पहले आप इस पर विचार किये होते तो बहुत अच्छा रहता। काश्तकारों में एक बड़ी संख्या विंध्य, माहिल आदि जातियों की है, जिनके पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं है खेती का, जो खेती नहीं करते हैं। उनमें से कोई सिंघाड़ा बोते हैं, कोई मछली पकड़ने का धंधा करते हैं। तो इस पर यदि पूर्व कोई विचार किया होता तो जैसा कि १९२६ में टेनेंसी ऐक्ट में विचार हुआ था, उसमें यह दूसरी जगह प्राविधान किया गया था कि लैंड की परिभाषा में ऐसी फसल भी लायी गयी थी जैसे सिंघाड़ा वगैरह; वह इसलिए लाई गयी थी कि तालाब, पोखर आदि साधन उसके अधिकार में रहे जो सिंघाड़ा बोते हैं या मछली मारते हैं। यह जो उसको इसका अधिकार दिया गया यह बहुत सोच समझकर ही दिया गया था, क्योंकि उसके पास रोजी का अन्य साधन नहीं है। वही उसकी रोजी का सनातन धंधा है जिसमें तालाब का प्रमुख स्थान है और बिना तालाब, पोखर के उसका धंधा हो ही नहीं सकता है। तो जैसे काश्तकारी करने के लिए उसे अधिकार दिया जाता है वैसे उसे सिंघाड़े के लिए अधिकार दिया जाता है। लेकिन यदि आपने उस बात का प्रयोग किया है तो तालाब और पोखर उनके पास से निकल जाते हैं। आपने शायद मैनुवल में या कहीं प्राविधान किया है कि जब इनका नीलाम हो तो इस धंधे के करने वालों को ७५ प्रतिशत तक पर भी दिया जाये और कोई दूसरा ले तो पूरा दे तथा यह इस प्रकार का रोजगार करने वालों को प्रमुखता के साथ दिया जाय औरों को न दिया जाय। लेकिन इस नियम का प्रयोग होता नहीं है, वह यों ही बने हुए हैं। कुछ दिनों से आप गांव सभा के संपर्क में नहीं होंगे, उनके साथ जो व्यवहार होता है वह आप सोच नहीं सकते हैं, न उनको सिंघाड़ा बिठलाने को मिलता है, न मछली पालने के लिए मिलता है। दूसरे जो लोग होते हैं वह इसे पा जाते हैं, यदि आपने विचार किया होता तो आप इसे छोड़ते नहीं। इसमें इन चीजों का कोई प्राविधान नहीं है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मैं समझता हूं जो हकूक हमारे काश्तकारों के हैं, उन पर हम कोई ज्यादती करने नहीं जा रहे हैं। हमारे भाई कमला सिंह ने शायद यह कहा था कि बंजर भूमि पर जो किसानों ने पेड़ लगा लिये थे...

श्री कमलासिंह यादव—

यह कैसे नहीं उनके हकूकों को छीनता है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

आप जवाबदेही न करें, सुनें। जबान लड़ाने से क्या फायदा ? हमारी भी सुन लीजिये। आपने फरमाया बंजर भूमि पर किसानों ने पेड़ लगाये उसे आप लेने जा रहे हैं। गांव में किसानों को यह अख्तियारात कहां हैं? जमींदारी अबालिशन के पहिले वह अमौला तक नहीं गाड़ सकता था और जो उस वक्त के नोटिफिकेशन के वक्त स्थिति थी वह बदस्तूर है। आबादी में कभी-कभी दरवाजे पर वह कभी नीम, पाकड़ और बरगद का पेड़ लगा लिया तो उसे हमने अलग कर दिया। अगर रकबे पर पेड़ लगा लिया तो बाग की नवइयत हो गयी और उसको हम लेते नहीं हैं।

श्री कमलासिंह यादव—

छिटपुट तो वह बात है जो मैं कह रहा हूं।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

छिटपुट पर तो कानून नहीं बनते। वह तो एक आधार पर बनते हैं। मेरी समझ में उनकी बात आयी नहीं, इसीलिए मैंने माधव प्रसाद जी से कहा कि आप उनकी बात को दोहरा दीजिये, लेकिन वह होशियारी कर गये और मुझे दूसरी तरफ ले गये। मैं समझता हूं कि वह धारा निहायत जरूरी है और इसका विरोध बिला वजह किया जाता है। मैं इस को सपोर्ट करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इसे मंजूर करेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६

धारा १२७-ख के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन

६—मूल अधिनियम की धारा १२७-ख के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्:—

पैनल के वकील

"१२७-ख—(१) राज्य सरकार, ऐसी शर्तों पर आश्रित और ऐसी रीति से जो नियत की जाय, या तो सामान्यतया अथवा किसी मामले में या मामलों के किसी निर्दिष्टवर्ग के लिए, ऐसे स्थानीय क्षेत्रों की गांव सभाओं के सम्बन्ध में जो निर्दिष्ट की जायें, एक या अधिक वकील नियुक्त कर सकती है जो पैनल के वकील कहलायेंगे।

(२) पैनल का वकील, उपधारा (४) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बिना किसी लिखित प्राधिकार के ऐसे क्षेत्र के किसी गांव सभा की ओर से जिसके लिए वह नियुक्त किया जाय, किसी न्यायालय के समक्ष गांव सभा द्वारा अथवा उसके विरुद्ध किसी वाद अथवा अन्य मामले में जो उसे सौंपा गया हो, उपस्थित हो सकता है और वकालत तथा कार्यवाही कर सकता है।

(३) किसी न्यायालय में पैनल का वकील उस क्षेत्र के गांव सभाओं का, जिसके लिए वह नियुक्त किया जाय, ऐसे न्यायालय द्वारा ऐसे गांव सभाओं के विरुद्ध जारी किये गये प्रसरों को लेने के लिए अभिकर्ता होगा।

(४) पैनल का कोई वकील भूमि प्रबन्धक समिति के संकल्प द्वारा मिली पूर्व स्वीकृति के बिना, किसी गांव सभा की ओर से किसी वाद या अन्य कार्यवाही के अभिदेश में न तो कोई अनुबन्ध या समझौता करेगा और न उसे वापस लेगा।"

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड ६ की दूसरी कंडिका की चौथी पंक्ति में "विरुध किसी वाद" और "अथवा" के बीच शब्द "अपील" बढ़ा दिया जाय तथा अन्त में पूर्ण विराम के पूर्व "कार्यवाही कर सकता है" के बाद निम्नलिखित लिख दिया जाय:—

"पुनर्वलोकन और प्रत्यावर्तन के लिए अपने हस्ताक्षर से प्रार्थना-पत्र दे सकता है तथा आवश्यकतानुसार तदर्थ शपथ-पत्र भी गांव सभा की ओर से दे सकता है।"

यह संशोधन बहुत सीधा-सादा है। मैं यह मानते हुये भी कि अपील का प्राविधान उसमें है, लेकिन उसको अधिक स्पष्ट करने के लिए मैंने उसमें अपील शब्द लिख दिया है। मेरा वकालत का तजुर्बा यह है कि जितने मुकदमे गांव सभा के होते हैं वह एक्स-पार्टी डिसाइड हो जाते हैं और फिर रेस्टोर नहीं हो पाते क्योंकि अगर वकील ने दरख्वास्त भी दिया तो गांव सभा का अध्यक्ष, जिसके दरख्वास्त पर दस्तखत होने चाहिये, ऐफिडेविट होनी चाहिये, कि क्यों उसके खिलाफ एक्सपार्टी हो गया, तब रेस्टोर हो सकता है। आता ही नहीं है, वकील नोटिस भेजता रहता है, खबर देता रह जाता है, लेकिन गांव सभा का प्रधान नहीं आता। कभी-कभी दूसरी पार्टी को पैसे देकर वह अपने काबू में कर लेता है और किसी न किसी तरह से फिर भी बुलाता, लेकिन गांव सभा का प्रधान नहीं आता और रेस्टोरेशन की ऐप्लिकेशन नहीं पड़ पाती।

इसके अलावा दूसरी टेक्निकल डिफिकल्टी है। एक फैसला हो गया, उसमें क्लैरिकल मिस्टेक है या टेक्निकल एरर है, तो रिव्यू की ऐप्लिकेशन देना आवश्यक है, लेकिन दे कौन उसे? सिविल प्रोसीजर कोड में यह भी आवश्यक है कि दरख्वास्त देने वाला स्वयं उपस्थित रहे। अगर गांव सभा वाला नहीं रहता है तो वह रिव्यू ऐप्लिकेशन पड़ेगी नहीं और फैसला फाइनल हो जायगा और उसी आधार पर एक्जीक्यूशन हो जायगा। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि अगर गांव सभा के वकील की दृष्टि में यह मालूम हो कि रिवीजन एप्लिकेशन देना आवश्यक है तो बजाय इसके कि गांव सभा के सभापति को वह बुलाये और वह आये तो उसकी जगह पर उसको अपने हस्ताक्षर करके दरख्वास्त देने का अख्तियार रिव्यू के लिए होना चाहिये, ताकि यह दिक्कत दूर हो जाय। इसलिए मैंने यह सादा सा संशोधन रखा है और मुझे आशा है कि मन्त्री जी इसको मान लेंगे।

*श्री कमलासिंह यादव—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने गांव सभा के पैनल में जो वकील हैं उनको पावर तो दी। गांव सभा कोई प्रस्ताव पास करके उसके द्वारा हम उनको अधिकार दे देते हैं कि वह किसी मुकदमे से समझौता कर ले। इसके साथ-साथ एक चीज है। अभी तक जो प्रणाली रही है वह यह है कि ग्राम समाज का अगर कोई प्रस्ताव होता है तो उस प्रस्ताव के पास होने के बावजूद भी अगर एस० डी० ओ० के यहां कोई मुकदमा होता है तो तहसीलदार परमिशन देता है और अगर तहसीलदार के यहां मुकदमा होता है तो एस० डी० ओ० परमिशन देता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सही गाइडेंस के लिए जैसा कि त्रिपाठी जी ने कहा कि कभी-कभी पार्टी मिल जाया करती हैं या किसी इन्टरेस्ट की वजह से एक ही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

जाती हैं और गांव सभा की सम्पत्ति को हड़प करने की कोशिश करती हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो लगान लगा आ रहा है उसके लिए अगर गांव सभा का प्रस्ताव पास हो जाय तो उस प्रस्ताव पर तहसीलदार या परगनाधीश को अधिकार होना जरूरी है कि उनकी परमिशन से ही उनको समझौता करने का अधिकार होना चाहिये। इसलिए मैं मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो प्रणाली अभी तक रही है कि वह समझौता कर लें। हमेशा यह एस० डी० ओ० और तहसीलदार की परमिशन लेनी पड़ती है; वह भी इसके अन्दर लगा देनी चाहिये कि अगर कोई समझौता करना चाहे या केस को विदड्रा करना चाहे तो तहसीलदार या परगनाधीश की परमिशन आवश्यक है। इसलिए इस धारा में या नियमों के अन्दर इस चीज को रखें ताकि अंकुश रहे प्रधान के कार्य के ऊपर और कोई गलत समझौता न हो और ग्राम समाज की प्रापर्टी को किसी तरीके से नष्ट न किया जा सके।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक कमलासिंह जी का ताल्लुक है, वह अगर क्लाज ६(४) को देख लें तो उनकी सारी शंकायें दूर हो जायंगी। उसमें यह है कि "पैनल का कोई वकील भूमि प्रबन्धक समिति के संकल्प द्वारा मिली पूर्व स्वीकृति के बिना, किसी गांव सभा की ओर से किसी वाद या अन्य कार्यवाही के अभिदेश में न तो कोई अनुबन्ध या समझौता करेगा और न उसको वापस लेगा।" इससे उनका खतरा दूर हो जायगा। जब वहां से प्रस्ताव आयेगा तब वह कर सकता है।

दूसरी बात यह है कि माधवप्रसाद जी ने कहा कि वकील को यह अधिकार होना चाहिये कि किसी वाद या अपील के लिए या किसी मामले में कागज दाखिल करे। वकील का वकालतनामा भी होता है और वकील तलबाना भी भी दाखिल करता है। तो क्या कानून में इन सबको रखा जाय कि वह तलबाना भी दाखिल करें? इन सब दिक्कतों की वजह से इन चीजों को मैं कानून में लाना जरूरी नहीं समझता हूं। इस वजह से मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

माननीय मन्त्री जी ने बतलाया कि पहले कलेक्टर या एस० डी० ओ० से परमिशन लेने के बाद ही कम्प्रोमाइज हो सकता था। लेकिन इसमें आपको उनको विकल्प दे दिया है कि वह प्रस्ताव पास कर के कम्प्रोमाइज कर सकेंगे। जहां कोई जमीन हड़पने का सवाल होगा वहां प्रधान कोशिश कर के प्रस्ताव पास करा लेगा और उसे देखने वाला कोई नहीं होगा। इस से कोई लाभ होने वाला नहीं है। और जैसा पहले नियम था वैसा रहने से कम से कम एक कोई अफसर देख तो सकता था कि जो हो रहा है वह गांव समाज के लाभ के लिए है अथवा नहीं। इसलिए मेरा सुझाव है कि पहले जैसा यह सेक्शन था वैसा ही रहना चाहिये।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, इस लिए मैं क्या कहूं। मुझे इससे दुख भी है। श्रीमन्, आप भी वकील रह चुके ह। अगर मेरी दलील को वह इस तरह से समझते हैं कि अरजी दावा, तलबाना और बयान तहरीरी सब एक ही हैं तब मुझे कोई तर्क नहीं करना। मैं हार मान लेता हूं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि इन सब में बड़ा अन्तर है। उस समय उनका ध्यान दूसरी तरफ था। रिव्यू के केसेज में रूलिंग्स हो चुकी हैं और अभी एक भिन्न रूलिंग आयी है। उसके अनुसार जो अरजीदावा तथा बयान तहरीरी दाखिल करेगा वही रिव्यू के लिए भी अर्जी दे सकता है। तो गांव सभा का प्रधान वहां होगा नहीं, उसके लिए दस्तखत कौन करेगा और रिव्यू की दरख्वास्त कौन देगा? वकील साहब उसे खोजते ही रहेंगे। वह महीनों गायब रहेगा। तो इससे काम चलेगा नहीं और गांव

समाज की सम्पत्ति को महान क्षति पहुंचने की सम्भावना है। इसका कोई जवाब मन्त्री जी ने नहीं दिया।

दूसरे, आपने कहा कि मामले और अपील दोनों को आपने एक कर दिया। मैं आपको पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। मैंने आज तक कहीं नहीं देखा, कानून को किसी डिक्शनरी में नहीं पढ़ा, कि मामला माने वाद या अपील या रिवीजन या रिव्यू के होते हैं। आज यह पहले पहल मैं सुन रहा हूं। सम्भव है मन्त्री जी हृदय में महसूस कर रहे हों कि मैंने गलत कह दिया, लेकिन अब वह मानने के लिए तैयार नहीं हैं इसलिए कि यह बात मेरे मुंह से निकल रही है। तो अगर यह सहारा ले कर चलते हैं तो इसके लिए आपको फिर दुबारा संशोधन लाना पड़ेगा और उसमें जनता का पैसा खर्च होगा और फिर सारे सदस्य बैठेंगे। आप को विभाग से सलाह लेनी पड़ेगी, लेकिन चूंकि इस समय कह दिया है इसलिए वह मेरी बात न मानेंगे। यह मैं समझता हूं कि गलत है। ऐसी सूरत में म चाहूंगा कि मन्त्री जी एक बार फिर देख लें और अगर मेरी बात उनको कुछ सही मालूम पड़े तो मामले की जगह अपील, या रिव्यू या रिवीजन रख दिया जाय, अन्यथा अनर्थ हो जायगा और जिस काम के लिए यह बिल लाया गया है उसका मतलब खत्म हो जायगा। इससे गांव समाज की सम्पत्ति की रक्षा नहीं हो सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष--

सदन का समय ५ मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

"पैनल का वकील, उपधारा (४) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, बिना किसी लिखित प्राधिकार के ऐसे क्षेत्र को किसी गांव सभा की ओर से जिसके लिए वह नियुक्त किया जाय, किसी न्यायालय के समक्ष गांव सभा द्वारा अथवा उसके विरुद्ध किसी वाद अथवा अन्य मामले में जो उसे सौंपा गया हो" तो यह दूसरा अवगुण है। अगर गांव समाज का मामला किसी दूसरी जगह फंस गया तो अदालत में नहीं है, जहां की उपस्थिति वकील की बार्ड है कानूनन, तो वहां कैसे चल जायगा आपका कानून? यह तो निश्चित ही है कि अगर "वाद" और "मामला" एक होता तो वाद को प्रारम्भ से लेकर अन्त तक, चाहे अपिलेट कोर्ट हो, रिवीजनल कोर्ट हो, ओरिजिनल कोर्ट हो, सब में एक अर्थ दिया जाता है। "वाद" में जो वकालतनामा कोई दाखिल करता है तो अपील में उसे फिर दाखिल करना पड़ता है और रिवीजन में भी अलग दाखिल करना पड़ता है। तो "वाद" और "मामला" एक नहीं है, दोनों के दो अर्थ होते हैं। तो "अपील" शब्द के लिए जो मैंने अपील की है यह मेरी समझ में मान लिया जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन--

मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड ६ की दूसरी कणिका की चौथी पंक्ति में "विरुद्ध किसी वाद" और "अथवा" के बीच शब्द "अपील" बढ़ा दिया जाय तथा अन्त में पूर्ण विराम के पूर्व "कार्यवाही कर सकता है" के बाद निम्नलिखित लिख दिया जाय--

"पुनरावलोकन और प्रत्यावर्तन के लिए अपने हस्ताक्षर से प्रार्थनापत्र दे सकता है तथा आवश्यकतानुसार तदर्थ शपथ-पत्र भी गांव सभा की ओर से दे सकता है।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७–१०

धारा १३७ का संशोधन।

७—मूल अधिनियम की धारा १३७ में—

(क) उपधारा (२) में शब्द तथा अंक "धारा १३४" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा १३४'की उपधारा (१)" रख दिये जायं, और

(ख) उपधारा (२ क) में शब्द तथा अंक "उपधारा (१)" के स्थान पर शब्द तथा अंक "धारा १३४ की उपधारा (१)" रख दिये जायें।

धारा १३९ का संशोधन

८—मूल अधिनियम की धारा १३९ का प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जाय।

धारा १६१ का संशोधन

९—मूल अधिनियम की धारा १६१ की उपधारा (१) के खण्ड (ख) में शब्द, अंक तथा अक्षर "अथवा ११७–क" निकाल दिये जायें।

धारा २२५-क के स्थान पर नयी धारा का प्रतिस्थापन वसूल न होने योग्य लगान, सायर या अन्य देयों को बट्टेखाते में डालने का अधिकार।

१०—मूल अधिनियम की धारा २२५–क के स्थान पर निम्नलिखित नयी धारा रख दी जाय—

"२२५–क—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन गांव सभा या किसी अन्य स्थानिक अधिकारिकी में निहित किसी भूमि या अन्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में लगान, सायर या अन्य देयों की बकाया पूर्णतः या अंशतः ऐसी परिस्थितियों में जो नियत की जायें, यथास्थिति, भूमि प्रबन्धक समिति या स्थानिक अधिकारिकी द्वारा तदर्थ संकल्प पारित करके न वसूल होने योग्य बकाया के रूप में बट्टेखाते में डाली जा सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई संकल्प तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि कलेक्टर उसकी पुष्टि न कर दे।"

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ७ से १० तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
६ अप्रैल, १९६५।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६७९ पर।]

१—कोई दुर्घटना न होने पर पुरस्कार (No-accident reward) निम्नलिखित पुरस्कार उन ड्राइवरों को दिये जाते हैं जिन्होंने कोई भी दुर्घटना कितनी ही साधारण क्यों न हो, न की हो ;

					रु०
१—पहले वर्ष की समाप्ति पर जिसमें किसी प्रकार की दुर्घटना न घटी हो	,,	..	..	..	१०.००
२—दूसरे वर्ष	,,	,,	,,	..	२०.००
३—तीसरे वर्ष	,,	,,	,,	..	२०.००
४—चौथे वर्ष	,,	,,	,,	..	२०.००
५—पांचवे वर्ष	,,	,,	,,	..	१००.००
६—छठे वर्ष	,,	,,	,,	..	१२०.००
७—उसके बाद प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर जिसमें कोई दुर्घटना न घटी हो		..	..	..	१२०.००

इंजन पुरस्कार (Engine reward)

२—माइलेज की एक निश्चित सीमा तक इंजनों को उचित रूप से चलाने के लिये १०० रु० से लेकर ३०० रु० तक ड्राइवरों को पुरस्कार दिये जाते हैं।

३—टायर पुरस्कार (Tyre reward) १५,००० मील से लेकर ५५,००० मील और उसके ऊपर नये टायरों को विभिन्न प्रकार की सड़कों पर चलाने के लिये ड्राइवरों को ३० रु० से लेकर ७० रु० तक पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।

४—बैटरी पुरस्कार (Battery reward) १२ महीने से लेकर २४ महीने और अधिक बैटरियों को चलाने के लिये १० रु० से लेकर ५० रु० तक पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं।

नियम ३९ (२) में तारांकित प्रश्न ११ से संबंधित

क्षेत्र सियाना, जिला बुलन्दशहर, नलकूप खंड, बुलन्दशहर के राजकीय नलकूपों (जिन पर दो मील लम्बी पुख्ता गूलें अभी तक नहीं बनी हैं) पर पुख्ता गूलों की स्थिति का विवरण

क्रम-संख्या	राजकीय नलकूप संख्या	३१-३-६४ तक पुख्ता गूलों की लम्बाई		१९६४-६५ में बनवाई गई पुख्ता गूलों की लम्बाई		गूलों की लम्बाई जो बनने को बाकी हैं।	
		मी०	फ०	मी०	फ०	मी०	फ०
१	२	३		४		५	
१	३९ कचेसर ग्रूप	..	१	५	..	..	..	३
२	४० ,,	..	१	२	..	..	..	६
३	४१ ,,	..	१	२	..	..	..	६
४	४२ ,,	..	..	६	..	..	१	२

१	२				३		४		५	
५	६०	कचेसर ग्रुप	..	..	७	..	..	१	१
६	६१	,,	..	१	४	..	..	..	४
७	८९	,,	..	१	..	..	..	१	..
८	९५	,,	..	१	१	..	..	..	७
९	९०	,,	..	१	३	..	..	..	५
१०	८५	,,	..	१	१	..	..	..	७
११	८६	,,	..	१	६	..	..	..	२
१२	८७	,,	..	..	७	..	..	१	१
१३	८८	,,	..	१	..	..	..	१	..
१४	४५	,,	..	१	२	..	..	..	६
१५	४६	,,	..	..	७	..	..	१	१
१६	४७	,,	..	१	१	..	..	..	७
१७	९४	,,	..	१	..	..	..	१	..
१८	७३	,,	..	..	७	..	..	१	१
१९	४३	,,	..	१	२	..	..	..	६
२०	४४	,,	..	१	१	..	..	..	७
२१	६२	,,	..	१	३	..	४	..	१
२२	७५	,,	..	१	१	..	..	..	७
२३	११२	,,	..	१	..	..	..	१	..
२४	१०१	,,	..	..	..	..	४	१	४
२५	१०५	,,	..	१	..	..	..	१	..
२६	५	जहांगीराबाद ग्रुप		१	२	..	..	..	६
२७	६	,,	..	१	७	..	..	१	१
२८	७	,,	..	१	..	..	..	१	..
२९	८	,,	..	१	..	..	..	१	..
३०	१९	,,	..	१	६	..	..	१	२
३१	२०	,,	..	..	७	..	..	१	१
३२	२१	,,	..	..	६	..	..	१	२
३३	२२	,,	..	१	२	..	..	..	६
३४	२९	,,	..	१	..	..	..	१	..
३५	४७	,,	..	१	६	..	..	..	२
३६	४८	,,	..	..	३	..	..	१	५
३७	७२	,,	..	..	६	..	..	१	२
३८	७३	,,	..	१	५	..	..	..	३
३९	७८	,,	..	१	५	..	..	..	३
४०	८०	,,	..	१	५	..	..	..	३
४१	४६	,,	..	१	७	..	..	..	१
४२	२७	,,	..	..	६	..	..	१	२
४३	१५	,,	..	..	७	..	..	१	१
४४	१६	,,	..	१	२	..	..	..	६
४५	६८	,,	..	..	७	..	..	१	१

अध्यक्ष पदेश्वर विधान सभा

१	२			३		४			५
४६	४	,,	..	१	२	..	..	..	६
४७	१८	,,	..	१	..	..	..	१	..
४८	१७	,,	..	१	७	..	..	..	१
४९	२३	,,	..	..	७	..	..	१	१
५०	२४	,,	..	१	१	..	..	..	७
५१	२५	,,	..	..	३	..	..	१	५
५२	५१	,,	..	१	५	..	..	..	३
५३	६९	,,	..	..	५	..	..	१	३
५४	९	,,	..	१	१	..	..	..	७
५५	४९	,,	..	१	१	..	..	..	७
५६	१०	,,	..	१	५	..	..	..	३
५७	१०३	,,	..	१	..	..	..	१	..
५८	१०७	,,	..	१	..	..	..	१	..
५९	२६	,,	..	..	६	..	..	१	२
६०	९३	,,	..	..	४	..	..	१	४
६१	६	किथौर ग्रूप	..	..	४	..	..	१	४
६२	४	,,	..	..	५	..	..	१	३
६३	७	,,	..	..	४	..	..	१	४
६४	९	,,	..	..	३	..	..	१	५
६५	८	,,	..	..	४	..	..	१	४
६६	१४	,,	..	१	..	..	४	..	४
६७	१६	,,	..	१	..	..	..	१	..
६८	१७	,,	..	१	..	..	..	१	..
६९	१८	,,	..	१	..	..	..	१	..
		कुल	..	७२	..	१	४	६४	४

उत्तर प्रदेश संग्रहालय

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८४ पर)

किसानों को निम्नलिखित दर से मुआविजा दिया गया

भूमिधर	..	लगान का सौ गुना या १०० रुपया प्रति एकड़ जो भी अधिक हो ।
सीरदार	..	लगान का ३० गुना ।

१२ परिवारों को जिन्होंने मुआविजा लेने से इन्कार कर दिया जमीन के बदले जमीन देने का निश्चय किया गया है।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८९ पर)

८वें मंगलवार के लिये निर्धारित श्री ऊदल के तारांकित प्रश्न संख्या ५ के उत्तर में उल्लिखित सूची:—

वाराणसी टयूबवेल डिवीजन के चार सब डिवीजनों में अक्तूबर, ६४ से जनवरी ६५ तक प्राप्त सीमेन्ट का व्योरा निम्नलिखित है:—

	बोरी
द्वितीय सब डिवीजन	२,४८०
तृतीय सब डिवीजन	
चतुर्थ सब डिवीजन	४,७४९
पंचम सब डिवीजन	२,३८०
योग	९,६०९

गिरधारी लाल,
सिंचाई मंत्री

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६९२ पर)

जिला बाराबंकी

सूची

क्रम-संख्या	स्थानों के नाम	क्रम-संख्या	स्थानों के नाम
१	रसौली	३२	सिपहिया कटरा
२	हैदरगढ़	३३	जैदपुर
३	इचौली	३४	ख्यौली
४	टिकैत नगर	३५	देवगांव
५	राम सनेही घाट	३६	रसूलपुर किदवई
६	दरियाबाद	३७	गदिया
७	नयागंज	३८	जसमन्दा
८	मिटरिया	३९	बस्ती
९	पटरंगा	४०	बनसा
१०	बरैल	४१	नेवला करसन्डा
११	मवई	४२	बुधवारा
१२	भेलसर	४३	सुरसन्डा
१३	देंवा	४४	धरिहारा
१४	सुबेहा	४५	जहांजीसाबाद
१५	दिलवल	४६	अलियाबाद
१६	जरेल कलां	४७	सैदपुर
१७	जरौली	४८	समसी
१८	गदिया	४९	ऐहर
१९	असंधरा	५०	रसूलपुर
२०	सहसपुर दामोदर	५१	मीरमऊ
२१	मोतिकपुर बार	५२	रानीमऊ
२२	धरौली	५३	सनौली
२३	राम नगर	५४	हुनहरा
२४	बरौली	५५	बरतारा
२५	रानीमऊ	५६	बीबीपुर
२६	भिखारपुर	५७	गनेशपुर
२७	कसेरी	५८	जै सुखपुर
२८	सिद्धौर	५९	दीनपनाह
२९	मथुरानगर	६०	कोठी
३०	अकबरगंज	६१	हडहा
३१	न्योरा		

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ३१ एल० ए०—१९६५—८६२।